लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit.
Fumigated
On 24-8-92
Parliament Library

[खंड 33 म अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIII contains Nos. 11 to 20]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 17, मंगलवार, 4 दिसम्बर, 1973/13 अग्रहायण, 1895 (शक)

No. 17, Tuesday, December 4, 1973/Agrahayana 13, 1895 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
322. यातायात को बढ़ावा देने और अधिक अच्छी सेवायें और उपलब्ध कराने के लिये योजना	Scheme to Promote Traffic and render more efficient Services ..	1–2
324. अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा क्रियान्वयन समितियों की तिमाही बैठकें	Quarterly meetings of Official Language Implementation Committees in Subordinate Offices ..	3–4
325. 17 सितम्बर 1973 को '34 अप बिलासपुर एक्सप्रेस' पर गोलियों का चलाया जाना	Shotts Fired on '34 UP Bilaspur Express' on 17th September, 1973	4–5
327. निर्माणाधीन सरकारी तेल शोधन कारखाने	Government owned Refineries under construction ..	6–7
330. बम्बई सबार्बन सेक्शन (पश्चिम रेलवे) के लिये द्रुत रेल परिवहन योजना	Rapid Rail Transit Scheme for Bombay Suburban Section (W. Railway) ..	7–8
331. अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज	Oil Exploration in Arunachal Pradesh..	8–9
332. पश्चिम कोसी नहर के निर्माण के लिये ली गई भूमि के मुआवजे के बारे में भारत-नेपाल समझौता	Indo-Nepal Agreement on Compensation for Lands for Construction of Western Kosi Canal.. ..	9–10
333. नंगनल्लूर रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर निर्माण कार्य	Construction work at Nanganailur Railway Station (Southern Railway)	10–11
334. तापीय बिजलीघरों के रखरखाव के लिये बिजली इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना	Training of Power Engineers for Maintenance of Thermal Power Stations.	11–12
339. महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plants in Maharashtra ..	12–13

किसी नाम पर अंकित यह*इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign *marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

2/Lok Sabha/74-1

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S.Q. No.

323.	पेट्रोल पर बढ़े हुए उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व	Revenue Accuring from Increased Excise Duty on Petrol	13–14
326.	किसानों तथा उद्योगों को समान दर पर बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Agriculturists and Industries at Uniform Rate..	14
328.	एकाधिकार गृहों की संख्या में वृद्धि	Increase in the Number of Monopoly Houses	14
329.	कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना के बारे में इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज से बातचीत	Negotiations with ICI regarding a Coal Based Fertilizer Project ..	15
335.	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सप्लाई किये जाने वाले जिप्सम की कीमतों में वृद्धि	Increase in price of Gypsum supplied by FCI.	15
336.	पटना और पहलेजाघाट के बीच चलने वाला पुराने रेलवे स्टीमर को बदलना	Replacement of old Railway Steamer Operating between Patna and Pahlezaghats	16
337.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड का आयात	Import of Procaine Hydro Chloride by IDPL.	16
338.	बिजली के लिये आपातकालीन योजना तैयार करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग का गठन	Setting up of a High Powered National Energy Commission to draw up an Emergency Plan for Power. ..	16
340.	पेट्रोल की खपत पर नियंत्रण करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश	Directive to State Governments Curb Petrol Consumption	17
341.	त्रिचिरापल्ली तुतीकोरिन तिरुनिवेली मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Trichirappalli Tuticorin Tirunelveli Metre Gauge line into Broad Gauge ..	17

अता० प्र० संख्या
U.S.Q. No.

3192.	औषध निर्माता फर्मों को लाइसेंस संबंधी उपबंधों से दी गई छूट	Exemptions Granted to Drug Firms from Licensing Provisions ..	17
3193.	छूट-प्रादेशों के अंतगत औषधि निर्माता फर्मों द्वारा उत्पादन के विविधीकरण की सीमायें	Limits for Diversification of Production by Drug Firms under Exemption Orders	17–18
3194.	पोलीएस्टर फाइबर उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी	Shortage of raw material for polyester Fibre Industry	18

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3195.	त्रिवेन्द्रम के निकट थुम्बा में नये स्टेशन का निर्माण	Construction of new Station at Thumba near Trivandrum.	18
3196.	केरल में नया रेलवे डिवीजन	New Railway Division in Kerala ..	19
3197.	औषधि निमाता फर्मा द्वारा उत्पादन के विविधीकरण संबंधी छूट आदेशों की शर्तें	Conditions stiputated under Exemption Orders for diversification of production by Drug Firms ..	19
3198.	छूट आदेशों के अंतर्गत विविधीकरण कार्यक्रम के लिये उपकरण लगाना	Instalation of equipment for Diversification Programme under Exemption Orders	19–20
3199.	मध्य प्रदश में रलवे उपरि पुल	Railway over bridges in Madhya Pradesh	20
3200.	तवा बांध और उससे संबंधित नहर का निर्माण कार्य	Work on Tawa Dam and its Feeder Canal	20
3201.	कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिये रूसी फर्मों से करार	Agreement with Soviet Firms for Calcutta Tube Railway ..	20–21
3202.	दिल्ली और गाजियाबाद के बीच चलने वली रेलगाड़ियों के समय सारिणी में परिवर्तन	Changes in Railway Time Table for trains between Delhi and Gahziabad	21
3203.	पश्चिम और दक्षिण रेलवे के लेखा विभाग में परिणामी रिक्तियों के सीधे भर्ती किये जाने वाले स्नातकों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Graduates Direct Recruits in Resultant Vacancies in Accounts Department of Western and Southern Railways ..	21
3204.	भारतीय उर्वरक निगम और चेकोस्लोवाकिया की टेक्नो-एक्सपोर्ट फारेन ट्रेड कम्पनी के बीच करार	Contract between FCI and Techno-export Foreign Trade Company Czechoslovakia	21–22
3205.	बिहार में उठाऊ सिंचाई (लिफट इर्रीगेशन) के लिये अतिरिक्त तापीय बिजली क्षमता पैदा करना	Creation of additional Thermal Power Capacity for Lift Irrigation in Bihar	22
3206.	बिहार के बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों को पेट्रोल एजेंसियां	Dealerships given to unemployed Graduates Engineers from Bihar..	22
3207.	बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों को अलाट किये गये बुकस्टाल	Allotment of Bookstalls to unemployed Graduates/Engineers	23
3208.	इंडियन आयल कम्पनी के लिये अशोधित तेल को शुद्ध करने के संबंध में कालटक्स से प्रस्ताव	Proposal from Caltex regarding Refining of Crude for IOC ..	23
3209.	रेल विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	SC and ST holding posts in Educational institutions run by Railways ..	23–24
3210.	'दामोदर वैली वस्तुहारा संग्राम समिति' नामक संगठन का गठन	Constitution of an Organisation "Damodar Valley Vastu Hara Sangram Samiti"	24

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
3211.	राजस्थान-गुजरात सीमा पर कोडाना बांध की ऊंचाई के बारे में समझौता	Agreement regarding height of Kadana Dam on Rajasthan Gujarat Border..	24
3212.	एरणाकुलम और मदुरै के बीच रेल संपर्क के लियें सर्वेक्षण	Survey for Rail Link between Ernakulam and Madurai ..	52
3213.	अगस्त, 1973 के आन्दोलन के दौरान ड्यूटी पर आने वाले लोको रनिंग कर्मचारियों को दी गई नकदी	Cash amounts paid to Loco running staff who performed duty during August, 1973 agitation ..	25
3214.	चुनावों में व्यय के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां	Supreme Court's Observation on Expenditure on Elections ..	25–26
3215.	प्रबंध-बोर्डों में परिवार का नियंत्रण	Family Control in Managements ..	26
3216.	फर्मों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों से पेनल के कार्य तथा निर्णय में विलम्ब	Resultant Delay in Panel's work and decision due to Tactics by Firms..	26
3217.	नाईलोन उद्योग शुरू करने के लिये तमिलनाडु सरकार से आवेदन-पत्र	Application from Government of Tamil Nadu for Starting a Nylon Industry..	27
3218.	योजना आयोग के जांचाधीन उड़ीसा की बड़े और माध्यमिक दर्जे की परियोजनायें	Major and Medium Projects in Orissa under examination in Planning Commission.	27
3219.	बड़े व्यापार गृहों द्वारा कास्टिक सोडा उद्योग की स्थापना	Setting up of Caustic Soda Industry by larger business houses ..	27–28
3220.	आदेशों का हिन्दी और अंग्रजी में साथ-साथ जारी किया जाना	Simultaneous issue of orders in Hindi and English	28
3221.	संहिताओं और मन्युअलों का हिन्दी में अनुवाद तथा प्रकाशन	Translation and publication of Codes and Manuals in Hindi ..	28
3222.	राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बठकें	Meeting of Official Language Implementation Committees	28
3223.	रेलवे के फार्मों तथा अधिसूचनाओं को हिन्दी तथा अंग्रेजा म सम्मिलित रूप से छापना	Bilingual Printing of Railways Forms and Notifications	29
3224.	सड़क और रेल सेवाओं में समन्वय	Co-ordination of Road and Rail Services	29
3225.	इन्दौर की पार्टियों को औषध लाइसेंस	Drug licences given to parties from Indore	29–30
3226.	विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आरोप	Charges of Restrictive Trade Practices against Foreign Companies ..	30
3227.	पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने अभी तक अपना स्थान ग्रहण नहीं किया	Elected Members who have not taken their seats in West Bengal Assembly ..	31
3228.	रेलवे के अपने बिजलीघरों के लिये स्वीकृत परिव्यय	Outlay sanctioned for Railways own Power Stations	31

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3248.	लखनऊ एक्सप्रैस गाड़ी में हाथरस के लिये पहले दर्जे का कोटा	First Class Quota for Lucknow Express at Hathras..	39
3249.	रेलों के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजनायें बनाने के लिये 'सेल'	Cell to Plan Railway Expension and Modernise Railways	40
3250.	रेलवे का संतुलित विकास	Balanced Development of Railways ..	40
3251.	रेलवे विभाग द्वारा तमिलनाडु में चलाई जा रही शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम	Medium of Instructions in Educational Institutions run by Railways in Tamil Nadu	40
3252.	साबरमती (अहमदाबाद) और विरार (बम्बई) लाइन (पश्चिम रेलवे) का विद्युतीकरण	Electrification between Sabarmati (Ahmedabad) and Virar (Bombay) Line (Western Railway) ..	41
3253.	बिहार में सिकराहना नदी के तटबंधों का निर्माण	Construction of Embankments on Sikarahna River in Bihar ..	41
3254.	1972–73 के दौरान रेलवे की परती भूमि का आवंटन	Allotment of Railway Fallow Ltd., 1972-73	41–42
3255.	गत पांच महीनों में पश्चिम रेलवे में दुर्घटनायें	Accidents on Western Railway during the last five months	42
3256.	दक्षिण रेलवे में गत पांच मास में बिना टिकट यात्रा की घटनायें	Ticketless Travellers on Sourthern Railway During the last five months	42
3257.	दक्षिण रेलवे में गत पांच वर्षों के दौरान तकनीकी दोषों एवं कर्मचारियों की असफलता के कारण हुई दुर्घटनायें	Accidents due to technical defects and human failures on Southern Railway during the last five months ..	42–43
3258.	दक्षिण रेलवे में गत पांच मास में जंजीर खींचने की घटनायें	Chain pulling cases on Southern Railway during the last five months ..	43
3259.	पश्चिम बंगाल में समुद्री कटाव से डीगा की रक्षा करना	Protection of Digha from Sea Erosion in West Bengal	43–44
3260.	पश्चिम बंगाल में तापीय बिजली परियोजना की स्थापना	Setting up of a Thermal Power Project in West Bengal	44
3261.	संसद भवन के रेस्तरां में काम कर रहे रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करना	Redress of Grievances of Class IV Staff of Railways Parliament House Restaurant	44–45
3262	केरल में समुद्र से भूमि कटाव	Sea Erosion in Kerala ..	45
3263.	औषधि-निर्माता फर्मों द्वारा अनधिकृत उत्पादन के लिये दंड	Penalty for unauthorised Production by drug firms	45
3264.	कम्पनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले एकाधिकार गृहों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against monopoly houses found to have violated the provision of Companies Act	45–46

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3265.	रेलवे-वैगनों के गुम हो जाने के बारे में जांच	Enquiry about loss of Railway Wagons	46
3266.	नैरोगेज बी० ए० के० लाइन के लिये यात्री किराये की ऊंची दरें (पूर्व रेलवे)	Higher passenger fare for Narrow Gauge B.A.K. Line (Eastern Railway)	46
3267.	बर्दवान-आसनसोल सेक्शन में ई० एम० यू० कोचों को चलाने की तारीख	Date of running EMU Coaches in Burdwan Asansol Section ..	47
3268.	विभिन्न रेलगाड़ियों की प्रति किलोमीटर औसत आय और व्यय	Average earning and expenditure per kilometre in various Trains ..	47
3269.	पूर्वी रेलवे के बर्दवान-आसनसोल सैक्शन में द्रुत परिवहन प्रणाली	Rapid Transit system in Burdwan Asansol section of Eastern Railway	47
3270.	राजधानी एक्सप्रेस में कुल आय तथा उस पर कुल व्यय	Total earning and expenditure of Rajdhani Express	47–48
3271.	साबुन रहित मैल साफ करने वाले पदार्थों (नान सोपी डेटरजेंट) की आवश्यकता और उत्पादन	Requirement and production of non soapy detergents	48
3272.	उच्चतम न्यायालय में श्रम न्यायपीठ की स्थापना में विलंब	Delay in the Construction of Labour Bench of Supreme Court ..	48
3273.	महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में रेल लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता देना	Priority for construction of Railway Lines in Marathwada Region of Maharashtra	49
3274.	रेलवे ईंधन के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Railways Fuel Cost ..	49
3275.	पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर विश्राम गृहों तथा शयन गृह का निर्माण	Construction of Retiring Rooms and Dormitory at Patna City Railway Station.	49
3276.	बिजली के लिये एक नई योजा का बनाया जाना	Formulation of a new Scheme for Power	49–50
3277.	समाजवादी ढंग पर सिंचाई के जल का वितरण	Distribution of Irrigation Water on Socialistic Pattern	50
3278.	परिवहन के दौरान चुराई गई वस्तुओं के दिये गये मुआवजे के रूप में हुई हानि	Losses suffered by Way of Compensation given for stolen goods during Transit	50
3279.	चोरी के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of RPF Personnel for Thefts ...	51
3280.	नई इण्डेन गैस कनेक्शन देने पर प्रतिबंध	Ban on New Indane Gas Connections..	51
3281.	आंध्र प्रदेश में श्री सैलम पन बिजली परियोजना का निर्माण	Construction of Srisailam Hydel Project in Andhra Pradesh	51–52
3282.	हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद नगरों के लिये सर्किट रेलवे के बारे में अभ्यावेदन	Representation for Circuit Railway for Twin Cities of Hyderabad and Secunderabad	52
3283.	कव्यूर होकर बेला डिल्ला से भद्राचलम तक नई रेलवे लाइन	New Railway line from Bailadilla to Bhadrachalam *via* Kovvur ..	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3284.	कोट्टावलासा, किटडूल लाइन को इष्टतम क्षमता के बारे में सर्वेक्षण	Survey to Optimise capacity of Kottavalasa Kirandul Line ..	52–53
3285.	करीमनगर होकर रामागुंडम से निजामाबाद तक नई रल्वे लाइन के लिये आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव	Andhra Pradesh Government Proposal for new line from Ramagundam to Nizamabad *via* Karimnagar ..	53
3286.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पद्दोन्नति तथा भर्ती की देखभाल के लिये सेल	Cell to look after promotion and Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	53
3287.	पेट्रोल के दामों में वृद्धि से इसकी बिक्री में कमी	Fall in the sale of Petrol due to price hike.	53–54
3288.	गुजरात में जल संकट का अनुमान लगाने के लिये राजकोट में अध्ययन दल	Study team to Rajkot for assessment of water crisis in Gujarat ..	54
3289.	विदेशी तेल कम्पनियों तथा भारतीय तेल निगम के पेट्रोल भरने वाले स्टेशन तथा उनके लाभ की राशियां	Petrol filling Stations of Foreign oil companies and Indian oil corporation and their profits	54
3290.	मिट्टी के तेल की कमी और इसकी चोर-बाजारी	Shortage of Kerosene Oil and its Blackmarketing	55
3291.	तट से दूर समुद्र के तेल निकालने के बारे में विदेशों के साथ बात-चीत	Negotiations with foreign countries for off shore oil exploration ..	55
3292.	दक्षिण पूर्व रेलवे के लोको कर्मचारियों के आन्दोलन के दौरान अद्रा डिवीजन में शैड खलासियों की समाप्त की गई सेवाएं	Services of shed Khalasis terminated in Adra Division (South Eastern Railway) during agitation of Loco Staff	55–56
3293.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपनी आस्तियों का बेचा जाना	Selling of assets by foreign oil companies.	56
3294.	पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के संबंध में विशेषज्ञ समिति	Expert Committee on prices of Petroleum products	56
3296.	औषध-निर्माता फर्मों पर मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of Drug Firms	56
3297.	आई०डी०पी०एल० संयंत्रों का विस्तार	Expansion of IDPL Plants	56
3298.	बाढ़ के कारण कोयाली तेल शोधक कारखाने का बंद हो जाना	Closure of Koyali Refinery due to floods	57
3299.	हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में विद्युत प्रजनन हेतु भू-तापीय भाप के प्रयोग करना	Conducting of experiences for Geothermal Steam for power generation in H.P. and Maharashtra ..	57
3300.	सिचाई जलागार में रेत का भर जाना	Siltage in Irrigation Reservoirs ..	57–58
3301.	ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का वितरण	Distribution of Kerosene Oil in rural areas	58

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3302.	राज्यों में कृषि के लिये बिजली के प्रयोग पर निश्चित शुल्क प्रभार	Fixed Tariff charges for agricultural power consumption in States ..	58
3303.	गोविन्द सागर झील के किनारे बसे भाखड़ा के विस्थापितों की समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding problems of Bhakhra oustees settled on the side of Gobind Sagar Lake ..	58–59
3304.	उत्तर रेलवे में अगस्त-अक्तूबर, 1973 दौरान एक्सप्रेस/मल गाड़ियों का देरी से चलना	Express/Mail trains running late on Northern Railway during August, October 1973	59
3305.	हिमाचल एक्सप्रेस में खतरे की जंजीर की सुविधा का वापस लिया जाना	Withdrawal of Chain facility in Himachal Express	59
3306.	बिहार में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	Flood Control Schemes in Bihar ...	60
3308.	दिल्ली और गाजियाबाद के बीच चलने वाली गाड़ियों की छतों पर यात्रा करना	Travelling on Roofs of Train running between Delhi and Ghaziabad ..	60–61
3309.	चालू वर्ष दौरान बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों की हड़तालों के कारण बिजली उत्पादन में कमी होना	Loss of production of Power due to Strikes by Power Engineers and Workers during Current Year ..	61
3310.	सहकारी समितियों को रेलवे ठेके दिये जाने की योजना	Scheme to give Railway Contracts to co-operative societies ..	61–62
3311.	कोम्प्यूटेक कारपोरेशन आफ बोम्बे तथा एपोलो सिक्योरिटीज आफ बोम्बे के निर्गम-ग्रहों (इश्यू हाउसेज) के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against issue houses of the Computech Corporation of Bombay and Appollo Securities of Bombay	62
3313.	शिवमोनी स्टील ट्यूबस लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की जनता को पेशकश	Equity shares of Shivmony Steel Tubes Ltd., offered to Public ..	62–63
3314.	रल मंत्री को समस्तीपुर में एन० ई० रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करना	Memorandum submitted by N.E. Railway Mazdoor Union to the Minister of Railways at Samastipur ..	63–64
3315.	कलकत्ता से दिल्ली जाने वाली डीलक्स ट्रेन में चेन खींचे जाने के मामले	Chain Pulling Cases in Delux Train from Calcutta to Delhi on 7th November, 1973	64
3316.	7 नवम्बर, 1973 को हिल्सा स्टेशन (बिहार) में टिकट चेकिंग दल द्वारा गोली चलाया जाना	Firing by Ticket Checking Team at Hilsa Station (Bihar) on 7th November, 1973.	64–65
3317.	दानापुर (पश्चिम रेलवे) के रेल-कार्यालयों में बैठने के स्थान की कमी	Shortage of Sitting Accommodation in Railway Offices in Danapur (Eastern Railway)	65
3318.	औषधि निर्माताओं द्वारा तकनीकी विकास के महानिदेशालय को विविधीकरण कार्यक्रम के संबंध म रिपोर्ट	Report Regarding Diversification Programme made to DGTD by Drug Firms.	65

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3319.	बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के लोको कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के कारण गाड़ी रद्द किया जाना	Trains cancelled due to strike by Locomen of Bikaner Division ..	66
3320.	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में सहायक स्टेशन-मास्टरों (वेतनमान रुपये 205—280) की स्टेशन मास्टर (वेतनमान रुपय 205—280) के रूप में पदोन्नति	Promotion of Assistant Station Masters (Gr. Rs. 205-280) as station Master (Gr. Rs. 205-280) in Delhi Division (Northern Railway)	66
3321.	रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली	CGHS System of Medical relief for Railway Employees	66–67
3322.	रेलों में आरक्षण के लिये प्रार्थनापत्र देते समय आयु का बताया जाना	Indication of Age While applying for Reservation on Railways ..	67
3323.	दिल्ली में ओखला स्टेशन पर वहां आने वाले तथा वहां से बाहर जाने वाले माल डिब्बे	Inward and Outward Wagons handled at Okhla Station in Delhi ..	67
3324.	बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें	Irrigation Facilities in Bundelkhand Region	67–68
3325.	भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण के बारे में जांच	Enquiry into working of FCI	68
3326.	उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में कोयले के लिये माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons of Coal for U.P. Haryana and Punjab ..	68–69
3327.	2—टायर के तीसरे दर्जे के यात्री डिब्बों को 3—टायर स्लीपरों में बदला जाना	Conversion of 2-Tier 3rd Class Coaches into 3 Tier Sleepers	69
3328.	ट्रेनों में पाश्चात्य भोजन का परोसा जाना	Serving of Western Style Food in Trains	69
3329.	मद्रास से गुंटाकल तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Railway line from Madras to Guntakal	69
3330.	हल्दिया तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to increase production capacity of Haldia Refinery	70
3331.	पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन की खराब स्थिति	Alleged bad condition of Patna Junction Railway Station	70
3332.	पटना होते हुए मुगलसराय से आसनसोल तक रेलवे लाइन के विद्युतीकरण पर खर्च	Cost of Electrification from Mughalsarai to Asansol *via* Patna ..	70
3333.	गैस टर्बाइन जनरेटिंग सेट लगाने के लिये पंजाब सरकार का अनुरोध	Punjab Government's request for installation of Gas Turbine Generating Sets .. — ..	71
3334.	पंजाब में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा छापा	Raid by RPF in Punjab	71

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3335.	अगस्त, 1973 में रेल इंजन कमचारियों की हड़ताल के दौरान रेल सेवायें चलान के लिये अनर्ह कमचारियों को काम पर लगाया जाना	Unqualified staff deputed to run train services during agitation of Loco Staff in August, 1973. ..	71
3336.	केरल के ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Kerala ..	72
3337.	केरल में इडिक्की पन बिजली परियोजना पर व्यय	Expenditure incurred in Idikki Hydro Electric Project in Kerala ..	72
3338.	पुनालुर और कोटाराकेरा रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) का विकास करने की योजना	Scheme to develop Punalur and Kottarakara Railway Stations (Southern Railway)	72–73
3339.	हावड़ा यार्ड और मुगलसराय यार्ड में मालगाड़ियों में चोरियां	Thefts in Goods Trains in Howrah Yard and Mughalsarai Yard ..	73
3340.	विदेशी उत्पादक संघों द्वारा भारतीय उर्वरक निगम को आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में रुकावट डाला जाना	Foreign Cartels obstructing Growth of FCI	73–74
3341.	श्री कल्याण बसु पर भारत में कम्पनियां खरीदने पर रोक	Restrictions on Shri Kalyan Basu ..	74
3342.	बालासोर से अप और डाउन मेल अथवा एक्सप्रेस गाड़ियों में शायिकाओं का कोटा	Quota of Berths in UP and Down Mail or Express Trains from Balasore ..	74
3343.	दक्षिण पूर्व रेलवे में रूपसा से बदामपहर तक मेन लाइन	Main Line connection from Rupsa to Badampahar (South Eastern Railway)	74
3344.	दामोदर घाटी निगम के कार्यस्तर में गिरावट	Deterioration in Performances of DVC	75
3345.	विदेशी तेल कम्पनियों के फालतू कमचारियों को खपाना	Absorbing of Surplus Staff of Foreign Oil Companies	75
3346.	रलवे में कर्मचारियों को दी गई हार्ट पस मेकर मशीनें	Employees provided with Heart Pace Maker Machines in Railways ..	75–76
3347.	निर्धनों को कानुन संबंधी सहायता देने की योजना लागू करना	Implementation of Scheme for Legal aid to the Poor	76
3348.	कोयली तेल शोधक कारखाने क कर्मचारियों की हड़ताल से गुजरात के उद्योगों पर प्रभाव	Impact of agitation by Employee of Koyali Refinery on Industries in Gujarat	76
3349.	कोटा राजस्थान (पश्चिम रेलवे) में रेलवे लाइन के पास की भूमि के राजस्व में वृद्धि	Increase in Land Revenue along Railway Track in Kota Rajasthan (Western Railway)	76–77
3350.	वर्षा क कारण बयाना से भरतपुर रेलवे लाइन (पश्चिम रेलवे) में दरार पड़ना	Breach in Bayana Bharatpur Railway Line (Western Railway) ..	77

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3351.	कोटा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) में टी स्टाल तथा टी ट्रालियां	Tea Stalls and Tea Trolleys in Kota Division (Western Railway) ..	77
3352	एफ०ए०सी०टी० को नये काय सौंपने के बारे में केरल का लोकमत	Public opinion in Kerala regarding assignment of new works of FACT..	77
3353.	रेल इंजन कर्मचारियों के लिये प्रतिदिन 10 घंटे की ड्यूटी के बारे में बातचीत	Talks regarding 10 hours duty for Locomen	78
3354.	दिल्ली में ईंधन की कमी	Fuel shortage in Delhi	78
3355.	गंडक परियोजना के इन्जीनियरों द्वारा हड़ताल	Strike by Engineers of Gandak Project..	78
3356.	नरकटियागंज से पहलेजाघाट तक शाम की रेलगाड़ी में शयन यान की व्यवस्था करना	Provision for sleeper coach in the evening train from Narkatiaganj to Pahlezaghat	78–79
3357.	मुजफ्फरपुर के पास पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिये बिहार के विधायकों का ज्ञापन	Memorandum from Bihar Legislators for establishment of a Petro-Chemical Complex near Muzaffarpur ..	79
3358.	बुकिंग कार्यालयों (पश्चिम रेलवे) में टिकट गिनने के लिये निर्धारित मापदंड	Yardstick fixed for counting of tickets in booking offices (Western Railway)	79
3359.	पीलीभीत के निकट द्योह नदी क ऊपर रेलवे पुल क साथ गलियारा (कारिडोर)	Corridor by the side of Railway Bridge over River Deoha near Pilibhit ..	79
3360.	मलानी स शाहजहांपर तक रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के बारे में अभ्यावेदन	Representation for Restoration of Railway line from Mailani to Shahjahanpur	80
3361.	सितम्बर, 1973 में लालोरिखेड़ा स्टेशन का लूटा जाना	Looting of Lalaurikhera Railway Station in September, 1973	80
3362.	सितम्बर, 1973 में 61 अप ट्रेन (पूर्वोत्तर रेलवे) की तलाशी और लूटा जाना	Ransacking and looting of 61-UP train (North Eastern Railway) in September, 1973	80
3363.	आल इंडिया कमर्शियल क्लर्कस एसोसिएशन से अभ्यावेदन	Representation from All India Railway Commercial Clerks Association	81
3364.	मेरठ सिटी स्टेशन के बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध शिकायत	Complaint against Booking Clerk Meerut City Station	81
3365.	भविष्य निधि अनुभाग डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रलवे) के सुपरवाइजरी कमचारियों द्वारा गलत मासिक रिपोर्ट का दिया जाना	False submission of Monthly Reports by Supervisory Staff of P.F. Section, DAO New Delhi (Northern Railway)	81
3366.	सभी वर्गों के तीसरी श्रेणी के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of Class III Posts in All Categories ... — ..	81–82

3367.	उड़ीसा में तालचेर पर एक सुपरतापीय बिजलीघर की स्थापना	Setting up of a Super Thermal Power Station at Talcher in Orissa ..	82
3368.	उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हरिजन बस्तियों में विजली लगाया जाना	Electrification of Harijan Basties in Bundelkhand Region of U.P.	82
3369.	अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के तीसरी श्रेणी के बुकिंग कार्यालय में कार्यभार	Work load in III Class Booking Office Ajmer, Station (Western Railway)	82–83
3370.	साधारण जनता/व्यापारियों के साथ करार करने के लिये विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त शक्तियां	Schedule of Powers vested with different officers for entering into contract with Public/Traders	83
3371.	ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के लिये बिहार द्वारा सहायता मांगा जाना	Assistance sought by Bihar for Rural Electrification Schemes ..	83–84
3372.	गोरखपुर जिला (उत्तर प्रदेश) की फरेन्दा तहसील की सिंचाई	Irrigation of Pharenda Tehsil of Gorakhpur District (U.P.)	84
3373.	चुनी हुई बड़ी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Completion of selected major Irrigation and Power Projects	84–85
3374.	गंडक नदी पर प्रस्तावित पुल	Proposed Bridge over Gandak River..	85
3375.	हरियाणा द्वारा यमुना नदी का रुख मोड़ना	Divertion of Yamuna by Haryana..	85
3376.	पश्चिम बंगाल में सोनारपुर के निकट बोद्रा तेल की खोज	Bodra Oil Exploration near Sonarpur in West Bengal	85
3377.	हल्दिया पेट्रोलियम और रसायन परियोजना की प्रगति	Progress on Haldia Petroleum and Chemicals	86
3378.	युवा इंजीनियरों को पैट्रोल एजेंसियां देने संबंधी योजना	Scheme for Allotment of Petrol Stations to young Engineers	86–87
3379.	नई दिल्ली-मंगलौर जयंती जनता में रेमीगुन्टा स्टेशन पर बर्थों का कोटा	Quota of berths in New Delhi in Mangalore Jayanti Jantha at Ramiguntha Station	87
3380.	बिहार में गंगा के आस पास के क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी पर मोकामा पुल और फरक्का बांध के निर्माण का प्रभाव	Effect of Construction of Mokameh bridge and Farakka bridge on draining out of flood waters in Gangetic region of Bihar	87–88
3381.	विद्युत संयंत्रों के लिये रूस से आयात किये गये उपकरणों के बारे में शिकायतें	Complaints Regarding Equipment for power plants imported from Russia	88
3382.	स्टोर खलासियों को भारी श्रम भत्ता	Heavy Manual Allowance in Stores Khallasis	88
3383.	नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक मजूरी में वृद्धि करना	Upward Revision of the daily Wages Casual Labour	88–89

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3384.	रेलवे म अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग किया जाना	Replacement of English by Hindi on Railways	89
3385.	आय-कर निर्धारण हेतु आय कर सीमा बढ़ाना	Upward Revision of Limit for Income Tax Assessment	89
3386.	मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्ते के पिण्डों और पट्टियों की चोरी	Imported Zinc ingots and Slabs Found Missing from Wagons at Meerut City Station	89
3387.	रेलवे के विकास के लिये पांचवीं योजना में प्रस्ताव	Fifth Plan Proposals for Development of Railways	90
3388.	1973–74 के दौरान केरल के क्विलोन जिले में ग्रामों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Quilon District of Kerala during 1973-74..	90
3389.	मिराज-लाटूर को बड़ी लाइन म बदलने के लिये सर्वेक्षण	Survey for Miraj Latur Conversion Work	90
3390.	इंडिया टूबाको कम्पनी के कार्यों की जांच	Investigation into the affairs of India Tobacco Company	91
3391.	मर्सज शा वैलेस एंड कम्पनी	M/s Shaw Wallace and Company ..	91
	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	Re: Calling Attention	91–92
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	92–93
	नियम 377 के अंतर्गत मामले	Matter under Rule 377 ...	93
	(i) आयकर से छूट प्राप्त करने के लिये भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम के अंतर्गत इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन का कथित पंजीकरण	(i) Alleged registration of Indian Cotton Mills Federation under Indian Trade Union Act to avail itself of exemption from Income Tax ..	93
	(ii) कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद के संबंध में बेलगांव में गंभीर दंगों के बारे में समाचार	(ii) Reported serious disturbances in Belgaum in connection with Karnataka Maharashtra border dispute	93–94
	उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक	Industries (Development and Regulation) Amendment Bill ..	94
	विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	94
	श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	94
	श्री रामसिंह भाई वर्मा	Shri Ramsingh Bhai Verma ..	94–95
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	95–97
	श्री सी०एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen ..	97
	श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhwai ..	98
	श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	98-99

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	99
	श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	.. 99–100
	श्री निबंलकर	Shri Nimbalkar	100
	श्री धरनीधर दास	Shri Dharnidhar Dass	..101–102
	डा० केलाश	Dr. Kailas	..102–103
	श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	103
	श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B.K. Daschowdhury	..103–105
	श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam..	106
	खंड 2 से 4 और 1	Clause 2 to 4 and 1	..113–115
	पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass as amended	115
	प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	115
	डा० कैलाश	Dr. Kailas	115
	श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	115
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye ..	115
	श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	116
	श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam..	116

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 4 दिसम्बर, 1973/13 अग्रहायण, 1895 (शक)

Tuesday, December 4, 1973/Agrahayana 13, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

यातायात को बढ़ावा देने और अधिक अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना

***322 श्री के० मालन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने यातायात को बढ़ावा देने तथा ग्राहकों को और अधिक अच्छी सेवायें उपलब्ध कराने संबंधी अपनी नई योजना की घोषणा कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) हाल में इस प्रकार की किसी नयी योजना की घोषणा नहीं की गयी है लेकिन यातायात में वृद्धि करने तथा ग्राहकों को अधिक अच्छी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री के० मालन्ना : रेलवे की कार्यक्षमता कम होती जा रही है। गाड़ियों के चलने तथा पहुंचने के समय में विलम्ब होता है, वैगनों की कमी है सुरक्षा का अभाव है तथा कई ऐसी बातें हो रही हैं जो रेलवे के हित के विपरीत हैं। मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि यातायात में वृद्धि करने तथा ग्राहकों को अधिक अच्छी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह लगातार प्रयास कौन से हैं ?

श्री एल० एन० मिश्र : यह कहना उचित नहीं कि रेलवे की कार्यक्षमता कम हो रही है। हमें विशेषकर पिछले महीनों में मुख्यत: औद्योगिक संबंधों तथा श्रमिक स्थिति के बारे में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमने यात्रियों की सुवधाओं में वृद्धि करने तथा गाड़ियों के मामले में समय की पाबन्दी बनाये रखने के लिये कई कदम उठाये हैं। जहां तक समय की पाबन्दी का संबंध है 9 जोनों में से 6 जोनों में ठीक ढंग से काम हो रहा है। उत्तर-पूर्व, उत्तर और पूर्व तीन ऐसे जोन हैं जहां कि 55–65 प्रतिशत गाड़ियां केवल ठीक समय पर चलती हैं। वैगनों

2/Lok Sabha/74—3

की स्थिति बुरी नहीं है, किन्तु यह उद्योग पर निर्भर करता है। कुछ उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। उन्हें वैगन जल्दी मिल जाते हैं। हमें सीमेंट के परिवहन में कुछ कठिनाई हुई थी। कल मैंने राज्य सभा में बताया कि सीमेंट की 91 प्रतिशत मांग पूरी कर दी गई है। ईंधन के क्षेत्र में भी हम मांग को पूरा करने के भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। ईंधन की कुछ कमी रही है पर इस संबंध में सुधार के लिये हमने काफी कदम उठाये हैं, जैसे उद्योग और व्यापार के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना, ढके वैगनों की कंटेनर सर्विस शुरु करना, वैगन योजनाओं के भाड़े को लोकप्रिय बनाना, पार्सलों में भाड़ा प्रेषण योजनायें, नई आउट एजेंसियां खोलना, द्रुत परिवहन सेवा आदि। कार्यकुशलता के कारण मुआवजे की राशि घट कर 40 लाख रह गई है। यात्रियों को नई सुविधायें दी गई हैं और खान पान व्यवस्था में सुधार किया गया है। हम खान पान संबंधी निगम की स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि कोई नई योजना है, जिसका उत्तर दिया गया—नहीं। फिर ये अनुपूरक प्रश्न कैसे उत्पन्न हुए?

श्री के० मालन्ना : प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में कहा गया है कि ग्राहकों को अधिक अच्छी सेवायें उपलब्ध कराने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि मुसाफिरों को उनके सामान या वस्तुयें खो जाने के कारण कितना मुआवजा दिया जाता है और लोगों के बिना टिकट यात्रा करने के परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी क्षति होती है?

श्री एल० एन० मिश्र : ये आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। मैं कई बार यहां बता चुका हूं कि मुआवजे के रूप में हम प्रति वर्ष 14 करोड़ रुपये देते हैं। इस वर्ष अब तक हम 40 लाख रुपये दे चुके हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just stated that compensation is paid to the tune of Rs. 14 crores a year. Is it a fact that the claimants win over the Railway pleaders and we lose the cases and pay compensation because of that?

Secondly, it has been said that 50 to 55 per cent trains are running late in certain zones. What are the reason therefor? Is it due to any dissatisfaction prevailing there or is it due to the fact that the organisers do not discharge their duty properly?

Shri L.N. Mishra: As regards the first part of the question, I donot have any such information, but various complaints have been received which are being looked into.

So far as the punctuality is concerned, I did not say that 50 to 55 percent trains are running late. I only said that in three zones punctuality is not more than 55 to 65 per cent. Main reason for the late running of trains is strike by the people without prior notice. The hon. Members must be aware of this fact because he himself participates in the labour agitations. The trains are running late because we do not get the fullest cooperation of workers.

श्री बी० के० दास चौधरी : जहां तक माल यातायात का संबंध है अभी मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने कंटेनर सर्विस ढके डिब्बे इत्यादि संबंधी उपाय किये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कुछ स्टेशनों पर काफी संख्या में माल डिब्बे मिल नहीं रहे हैं, यदि हां तो ऐसे मलडिब्बों की संख्या कितनी है? रेलवे माल डिब्बों में इस कमी को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं पहले बता चुका हूं कि इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं। यह सच है कि माल डिब्बों के आवागमन में कुछ गड़बड़ी है और इसकी देखभाल के लिये एक संगठन है। इस समय नई योजना प्रारम्भ करने का हमारा कोई विचार नहीं है।

Quarterly meetings of official language implementation committees in subordinate offices

***324. Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether quarterly meetings of the official Language Implementation Committees are being held regularly every three months in those Subordinate offices of his Ministry where these Committees have been constituted and if not, the action being taken in this regard; and

(b) the reasons for the delay in constituting such Committees in remaining subordinate offices so far?

रेल मंत्री (श्री एल०एन०मिश्र) : (क) राज भाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकें सामान्यत: नियमित रूप से हो रही हैं।

(ख) इस तरह की समितियां सभी अधीनस्थ कार्यालयों में स्थापित की गयी है सिवाए कुछ ऐसी यूनिटों के जो या तो अस्थायी निर्माण परियोजनायें हैं या बहुत छोटे संगठन हैं और जहां ऐसी समितियां स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

Shri Sudhakar Pandey : Will the hon. Minister be pleased to state the names of such small organisations where temporary construction projects are being implemented?

Shri L.N. Mishra : Such committees headed by chief personnel officer exist in every zonal head quarter, likewise their existing a committee in the Railway Board under the Chairmanship of the secretary. No such committee has been constituted in smaller units because of the temporary nature of work nor have such committees been constituted for construction projects.

Shri Sudhakar Pandey : The hon. Minister has stated in his reply that in small organisations such committees have not been constituted. I wanted to know the names of such small organisations.

Shri L.N. Mishra : Language implementation committees have not been constituted in those construction projects where the duration of work is to be only 2 or 3 years. As the small organisations are numerous, their names are not available with me.

Shri Sudhakar Pandey : Inspite of the directives of Home Ministry, the new forms for the Railways are still being printed in English. Are the Hindi implementation Committees aware of it, if so, why are they overlooking it?

Shri L.N. Mishra : The committees and departments supervise the printing of forms. The forms are printed in English as well as in Hindi. It is, however, true that all the forms are not printed in Hindi.

Shri Hukam Chand Kachwai : Is it a fact that Hindi is not used in South and South Central Railways and even the sign boards at Railway stations are written in the regional languages? Is there any scheme for popularising Hindi in these areas?

Shri L.N. Mishra : The Railways have a scheme on all India basis but they do not have any such plan region-wise whether or not the sign boards are in Hindi, it is a fact that the sign boards are in the regional languages, which is very necessary.

Mr. Speaker : The question is about language implementation committee and the hon. member is asking about sign boards.

Shri Madhu Limaye : Will more and more work on Railways be done in regional languages so that harmony could be established between the public of various areas and the Railways?

Shri L.N. Mishra : One of the measures to this effect is that the officers of various zones should make the local languages the media of conversation and should use the regional language in writing also. It is not practicable to use Hindi on all India basis and if we force Hindi, on all, the people are likely to get excited.

Shri D.N. Tiwary : The hon. Minister has stated that the personnel officer presides over the regular meetings. Is it kept in view that the presiding officers should be conversant with the languages of the area where the meeting is held?

Shri L.N. Mishra : It should be so but at the moment I do not have information to this effect.

श्री था० किरुतिनन : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हाल ही में इस समिति द्वारा इस आशय का निर्णय लिया गया है कि रेलवे में सभी जोनल शेडों, गाड़ियों और मालडिब्बों के नम्बर केवल हिन्दी में ही लिखे जायें और किसी स्थानीय भाषा में नहीं और दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों को इसके क्रियान्वयन के लिये कहा गया है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं इसकी जांच करूंगा।

Shri Samar Guha: Is it a fact that on many stations of North India, sign boards are either on Hindi or Urdu but not in English. I wish that the sign boards should be written in English also, side by side with the regional languages.

Mr. Speaker : The question relates to the language implementation committee but the hon. members is digressing from it.

Shri Samar Guha : The question relates to implementation. You have allowed other hon. Members to put questions. Then what fault I have committed?

Shri L.N. Mishra : As I have already said, the regional languages are being made use of one policy is that the names should be written in Hindi, English and the regional language.

Mr. Speaker : I don't want to interrupt but what impression one would have about the role of the Speaker when he reads these proceedings in future. He would not know that members like Shri Kachwai are present in the House.

Shots fired on 34-Up Bilaspure Express on 17th September, 1973

***325. Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether shots were fired on the 17th September, 1973 on the 34-Up Bilaspur Express' between Kareli and Bohani Stations on Jabalpur-Itarsi Section; and

(b) if so, the salient features of the incident and the nature of action taken against the guilty persons?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां यह घटना 16–9–1973 को हुई थी न कि 17–9–1973 को।

(ख) जब 34 अप बिलासपुर इन्दौर एक्सप्रैस गाड़ी 16–9–1973 को करेली और बोहानी के बीच जा रही थी तब टी एल आर, एस ई 4717 में गार्ड को एक जोर का शोर सुनाई पड़ा। गडरवाडा स्टेशन पर जांच करने पर मालूम हुआ कि किसी ने गोली चलाई थी जो राइफल की गोली जान पड़ती थी, जिसके फलस्वरूप केवल खिड़की के शीशे टूट गये। कोई यात्री जख्मी नहीं हुआ लेकिन शीशे के टुकड़ों से ब्रेकमैन को मामूली चोट लगी। सरकारी रेलवे पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

Shri Phool Chand Verma : Sir, this is not the first incident of this kind on this route. Within one year many such incidents have occurred and yet Railway Ministry has not been able to ensure safety of passengers. I want to know whether those who resorted to firing have been arrested so far or not? If so, the action taken against them and the steps to be taken by Government to avoid their recurrence?

Shri L.N. Mishra : It is very difficult to assure that such incidents will not recur, in the present circumstances. Regarding steps to be taken, we are augmentnig the strength of R.P.F. upto 43,000. The State Governments are not inclined to spend any thing and they want the Centre to bear this burden. Till fund are arranged, it is difficult to control the situation. However, major trains are escorted by G.R.P. contingents. I may inform the hon. Member that in this case shot were fired at the running train.

Shri Phool Chand Verma : Sir, while Shri Bharat Singh Chauhan and I were travelling in Bilaspur Express on 10th June, 1973, somebody entered our compartment by breaking open the door and ran away with the bag of Shri Chauhan. The Guard did not stop the train on our request. The matter was reported at Itarsi police station, but so far nothing has came out of it. You can well imagine the fate of other passengers when M.Ps. have such experience. Third Class passengers also pay their fare and they are also entitled to safety on trains. So what steps are contemplated to avoid such incidents?

Shri L.N. Mishra : It is vital to ensure confidence of public in rail-travel and we are worried on that account. We have called three meetings of State Chief Minister and Home Ministers. Augmentation of G.R.P. strength was also considered. We went to the Finance Commission also with the request that funds be granted to augment then strength upto 45,000.

It is true that we are responsible for safe travel and we are sorry not to be able to ensure that. Such incidents are common and have occurred in U.P., Bihar and Rajasthan also. I admit that the position is not very satisfactory, but efforts are afoot to improve the situation.

Shri Vasant Sathe : Will the hon. Minister consider posting security guards regularly in all trains passing through such incident prone areas so that adequate and timely action is taken.

Shri L.N. Mishra: As stated earlier, G.R.P. and R.P.F. staff is provided on all important night passenger trains. In this incident, shots were fired at on the running train from outside.

Shri Nathu Ram Ahiwar : Sir, the R.P.F. is being augmented but thefts are committed with their collusion in Jhansi-Itarsi passenger train. My money was stolen while I was asleep in the train. When I lodged a report at Bhopal, I was asked the numbers of currency notes, which I did not know. Such gangs operate on Bina-Vidisha line and loot the passengers. What is being done to prevent such incidents?

Shri L.N. Mishra : This comes to the same thing. He was deprived of cash, but I was myself deprived of my luggage in Bihar after they assaulted my security man. Till public opinion is mobilised, it is not possible to post security guards in each and every train. Not only the State Governments but your cooperation is also needed in the matter.

Shri Lalji Bhai : Sir, I was travelling in Chetak Express for Udaipur, when 4—5 college students entered the 1st Class Compartment near Alwar and forced the train to halt by pulling the alarm chain but no action was taken by the Railway staff. Three days after, an M.L.A. was assaulted..

Mr. Speaker : We are not super human. We are part of the public at large. What is your question?

Shri Lalji Bhai : He was admitted at Bandikui. The matter was reported but no action was taken. What is being done to check such incidents?

Mr. Speaker : Shri Ahirwar Ji, Thank God they took your money and spared you.

निर्माणाधीन सरकारी तेल शोधन कारखाने

\+
*327 श्री हुकम चन्द कछवाय
श्री पी० गंगा देव :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा तेल शोधक कारखाने के अतिरिक्त इस समय देश में कौन कौन से सरकारी क्षेत्र के तेल शोधन कारखाने निर्माणाधीन हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कान्त बरुआ) : मथुरा तेल शोधनशाला के अतिरिक्त इस समय सरकारी क्षेत्र की दो अन्य शोधनशालायें निर्माणाधीन हैं :–

यह शोधनशालायें निम्नलिखित हैं :–

(1) पश्चिम बंगाल में हल्दिया शोधनशाला प्रायोजना और

(2) असम में बोंगई गांव शोधनशाला तथा पेट्रो रसायन काम्प्लैक्स ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I want to know the time by which these two refineries would be ready and the expenditure involved therein and whether the entire demand would be met and if not, the shortfall thereof ?

Shri D.K. Borooah : This question is like a speach.

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है । आपने नाम पूछे थे जो उन्होंने बता दिये हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : My question arises out of his reply.

Mr. Speaker : You are going from one thing to another, there should be some relevancy atleast ?

Shri Hukam Chand Kachwai : My question arises directly from his reply. Regarding the two other refineries, I wanted some information. That is all.

Shri D.K. Borooah : The annual capacity of Haldia refinery is 2½ million tonnes and its sanctioned expenditure is Rs. 67.50 crore...

अध्यक्ष महोदय : मैं मुख्य प्रश्न से इतना आगे जाने की अनुमति नहीं दूंगा । सदस्य महोदय को भी संगत प्रश्न पूछने चाहियें और आपका उत्तर भी संगत होना चाहिये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Will another factory be set up to make use of the waste-matter available from Mathura Refinery ? If so...

Mr. Speaker : The question relates to construction. This is, therefore, not relevant.

Shri Hukam Chand Kachwai : The waste matter after obtaining refined and will have to be utilised after all. I wanted to know, how?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है । खेद है मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री कृष्ण चन्द्र हलदर : मंत्री महोदय ने बताया है कि हल्दिया शोधनशाला निर्माणाधीन है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक बन जायेगी और चालू हो जायेगी और चालू होने पर कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

श्री देवकांत बरूआ : इस शोधनशाला का ईंधन संबंधी अंग 1974 के मध्य तक बन जायेगा जबकि चिकनाई तेल संबंधी अंग 1974 के अन्त तक बन जायेगा । 700–800 व्यक्तियों को काम मिलेगा और 25 लाख टन कच्चा तेल साफ किया जायेगा ।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या प्रस्तावित हल्दिया कारखाने पर अरब देशों द्वारा निश्चित मात्रा में तेल सप्लाई से कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी अन्य स्रोत से तेल प्राप्त करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है।

श्री बी० के० दास चौधरी : यह मंत्री महोदय के वक्तव्य से उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : हल्दिया शोधनशाला परियोजना के निर्माण-कार्यक्रम (मूल) में विलम्ब के क्या कारण हैं, और इसमें डिजाइन तैयार करने और निर्माण-कार्य कराने वाले ठेकेदार कहां तक जिम्मेदार हैं ?

श्री देवकान्त बरूआ : देश में ही इस प्रकार की परियोजना का डिजाइन बनाने और निर्माण करने का यह प्रथम प्रयास है अतः कुछ विलम्ब हुआ है। दूसरे, यह क्षेत्र कुछ दुर्गम था और संचार सुविधायें न होने से भी विलम्ब हुआ है। तीसरे, वहां निरन्तर श्रमिक गड़बड़ी चलती रही है..

श्री इन्द्रजीत गुप्त : और ठेकेदार उसके लिये उत्तरदायी हैं।

श्री देवकान्त बरूआ : पहले ठेकेदार-स्तर पर और विभिन्न संघों में यह गड़बड़ी थी और रेलगाड़ियों में भी कुछ ढिलाई रही है।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या शोधनशालाओं से निकलने वाले फालतू उत्पादों, जैसे गैस आदि का उपयोग करने की भी कोई योजना बनाई गई है ?

श्री देव कान्त बरूआ : यदि उनका आशय सहायक उद्योगों से है तो शोधनशाला के निकट ही उर्वरक कारखाना बनना आरम्भ हो गया है और कच्चे माल के लिये अधिकांशतया निर्भर उद्योग लगाने के लिये भी अनेक लाइसेंस दिये गये हैं।

बम्बई सबर्बन सेक्शन (पश्चिमी रेलवे) के लिये द्रुत रेल परिवहन योजना

*330. **श्री मधु लिमये :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुहु (बम्बई) के सामाजिक कार्यकर्ताओं के समूह ने बम्बई सबर्बन सैक्शन, पश्चिम रेलवे के लिये एक द्रुत रेल परिवहन योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री को शिकायत प्राप्त हुई है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठा के आधार पर इस योजना की जांच नहीं की जा रही है; और

(ग) यात्रियों की कठिनाइयों एवं दुखों को कम करने वाली इस योजना की जांच और कार्यान्वयन के रास्ते की रुकावटों को दूर करने के लिये प्रधान मंत्री ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जुहू जूनियर चैम्बर, बम्बई ने 'पश्चिम रेलवे उपनगरीय खण्ड के लिये द्रुत रेल परिवहन प्रणाली' शीर्षक से एक योजना प्रस्तुत की है।

(ख) जी हां।

(ग) जुहू जूनियर चैम्बर द्वारा प्रस्तुत योजना की रेल प्रशासन के सभी स्तरों पर पूरी तरह जांच की गयी थी और जुहू जूनियर चैम्बर के साथ हुई कई बैठकों में इस पर विचार विमर्श भी किया गया था लेकिन अधिकांश दैनिक यात्रियों की सुविधा और संबंधित परिचालनिक कठिनाइयों को देखते हुए इसका कार्यान्वयन व्यावहारिक नहीं पाया गया। फिर भी, जुहू चैम्बर से विचार विमर्श करके रेलवे बोर्ड और पश्चिम रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर एक बार फिर विचार करेंगे।

Shri Madhu Limaye : Sir, Bombay has undergone such Major changes during the last 20 years that its suburbs have now more population than the Bombay city itself. Therefore these Juhu engineers had formulated a Scheme with a view to bring about basic changes in Rail-

way timetable in view of changing population and its density and that is why a delegation went to see him yesterday which was told by him that a high-powered delegation is going there. But it has not become clear whether the representative of Metropolitian Transport Authority would also be included therein or not as assured by him at that time? If so, why it has not been mentioned here?

Shri L.N. Mishra : We met them and had talks with them at length. We have assured that Metropolitan system would be included therein.

प्रो० मधु दण्डवते : दफतर जान और आने के समयों में यात्रियों की भीड़भाड़ को देखते हुए क्या इस योजना की शीघ्र समीक्षा करना आवश्यक नहीं है ताकि ये कठिनाइयां दूर की जा सकें और क्या इन्हीं कारणों से अनेक दुर्घटनायें होती हैं और काफी भीड़भाड़ दिखाई देती है ? क्या इन्हें दूर करने के लिये उक्त समीक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैं समीक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा ।

अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज

***331. श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज करने का कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं एवं उसके उद्देश्य क्या हैं और इस कार्यक्रम पर अनुमानित कितनी लागत आयेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) आयल इण्डिया लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश में तेल अन्वेषण करने की योजना बनाई है ।

(ख) 1974–77 की अवधि के प्रत्येक वर्ष में चार अन्वेषणात्मक कूप व्यधन करने का आयल इंडिया का प्रस्ताव है । इनमें से प्रत्येक कूप की लक्षित गहराई 4570 से 6100 मीटर तक होगी । इन अन्वेषणात्मक क्षेत्रों का प्रमुख भाग मार्ग-विहीन, अत्यन्त विच्छेदित पहाड़ी क्षेत्र के परे है जहां पर नदी के तीव्र वेग के कारण वर्ष में केवल तीन बार जाया जा सकता है । इस अन्वेषण योजना की अनुमानित लागत नौ करोड़ रुपये से अधिक की है ।

Shri E.V. Vikhe Patil : There is a need to explore oil in Arunachal Pradesh. It has oil. I want to know when the survey was carried out there and after how many years oil wells are being drilled for exploration? Secondly, the country is in dire need of oil. Considering this, is there any likelihood of undertaking this work immediately? What are the difficulties in digging two wells instead of one in a year? Is there shortage of funds or there is some other reason?

Shri D.K. Borooah : Arunachal Pradesh is a mountainous region. I have visited that place. If four wells are dug, it will entail an expenditure of Rs. 9 crores and also it will take much time. The depth of a well is 6,000 metres. For exploration of a well, we will have to go down fifteen thousand feet. This will take time. We will have to construct road. An aerial rope way will have to be laid. Also, the breadth of river is not less than a mile. We will have to undertake the work after tiding over these difficulties.

Shri E.V. Vikhe Patil : When the Geological Survey was carried out?

Shri D.K. Borooah : This was carried out long ago.

Shri E.V. Vikhe Patil : How many years ago?

Shri D.K. Borooah : I think it was carried out eight or ten years ago.

Shri E.V. Vikhe Patil : What is the number of state like Arunachal Pradesh where the survey has already been conducted but the investigation has not been started?

Shri D.K. Borooah : The survey is not different from investigation.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या सरकार ने तेल खोज का कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश में ही आरम्भ किया है अथवा अन्य राज्यों में भी यह कार्यक्रम आरम्भ किया है ? यदि हां, तो उन राज्यों तथा क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल अरुणाचल प्रदेश के बारे में है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : वह उत्तर देने के लिये तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार हैं, परन्तु यह प्रश्न केवल अरुणाचल प्रदेश के बारे में है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : आयल इंडिया ने लगभग दस वर्ष पूर्व नेफा में तेल की खोज के लिये खनन कार्य का पट्टा लिया था और मैं समझता हूं कि तेल की खोज करने का उनका एकमात्र अधिकार है। आयल इंडिया की एक दूसरी जिम्मेदारी है। यथा दो तेल शोधक कारखानों को 30 लाख टन अशोधित तेल की सप्लाई करना। मेरा प्रश्न इस तथ्य से संबंधित है कि इस बारे में बार-बार यह रिपोर्टें आ रही हैं कि अशोधित तेल की सप्लाई के कार्य में लगे रहने के कारण पर्याप्त प्रबंधकीय तथा तकनीकी वर्ग तेल खोज का कार्य पूरा करने के लिये उपलब्ध नहीं हो पाता है। क्या सरकार इस सभा को अपने विश्वास में लेकर यह कह सकती है कि उनको इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो वे इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री देवकान्त बरुआ : तथ्य इससे भिन्न ही है। उनके पास अनेक अच्छे विशेषज्ञ हैं जो अधिक कार्य करने के लिये लालायित हैं क्योंकि 30 लाख टन तेल की सप्लाई के कार्य को केवल विकास संबंधी कार्य कहा जा सकता है। उनके पास कुछ विशेषज्ञ हैं तथा वे सभी भारतीय हैं जो खोज संबंधी कार्य करने में सक्षम हैं। वस्तुत: वे और अधिक कार्य करना चाहते हैं।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : मुझे मेरे प्रश्न के आखिरी भाग का उत्तर चाहिये।

श्री देवकान्त बरुआ : वे और अधिक कार्य करना चाहते हैं तथा वे और अधिक खोज संबंधी कार्य करने में सक्षम है।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : प्रारंभिक रिपोर्ट यह बताती है कि वहां के एक बड़े क्षेत्र में बड़ी मात्रा में तेल पाया जा सकता है और आप दस वर्ष के पश्चात् भी इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सके हैं।

श्री देवकान्त बरुआ : माननीय सदस्य ने संभवत: मानभूम क्षेत्र को नहीं देखा है। मैंने उसे देखा है। यह क्षेत्र नेफा में घने जंगलों के अंदर स्थित है। और घने जंगलों में से एक सड़क निकालनी होगी तथा प्रत्येक कार्य बड़ी सावधानी से किया जाना है। क्योंकि यह क्षेत्र बड़ी जटिल स्थिति में है तथा बहुत गहराई में है। इस कार्य में समय लगता है दस वर्ष का समय कोई लम्बी अवधि नहीं है। इस क्षेत्र को पट्टे पर लेने के उपरांत वे इस कार्य को कर रहे हैं। उन्होंने यह कार्य वर्ष 1968 से आरम्भ किया था।

Indo-Nepal Agreement on compensation for lands for construction of Western Kosi Canal

+

***332. Shri Sukhdeo Prasad Verma**
Shri Bishwanath Jhunjhunwala :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether an agreement has been reached between India and Nepal on revised rates of compensation for land acquired for the construction of Western Kosi Canal; and

(b) if so, the main features of the agreement?

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The following rates for land have been agreed upon:—

Irrigated land to be acquired	Rs. 12,000 N.C. per Nepali Bigha (about Rs. 5,200 I.C. per acre).
Non-irrigated land to be acquired	Rs. 10,000 N.C. per Nepali Bigha (about Rs. 4,300 I.C. per acre).
For Colony land at Rajbiraj	Rs. 23,000 N.C. per Nepali Bigha (about Rs. 9,900 I.C. per acre).

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The hon. Minister has stated that the Governments of India Nepal have reached an agreement on the question of compensation. I want to know from the hon. Minister the reasons for the delay in reaching an agreement and whether payment has been made in accordance with the agreement. May I know whether the dispute on account of the question of compensation pertaining to the construction of canal, has been solved or not?

Shri Siddheshwar Prasad : The reason for reaching an agreement is that in the original Indo-Nepal agreement it was provided that the question of compensation would be solved through talks between representatives of both the Governments. Talks were held a number of times and an agreement was reached. The amount to be given to Nepal for acquisition under this Agreement has been deposited with the State Bank of Nepal.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : May I know whether the dispute pertaining to the construction of Canal has been resolved or not?

Shri Siddheshwar Prasad : I have stated that an agreement has been reached and the dispute has been resolved.

Shri Sukhdeo Prasad Verma : The land of Nepal will be irrigated by the Western Canal. So I want to know whether any decision has been taken or not on the question of amount to be paid? The land of Nepal will also be irrigated and will Nepal Government also share the expenditure. Besides, I want to know when the question of compensation in regard to the construction work of canal has been resolved, then what is the difficulty in starting the work smoothly?

Shri Siddheshwar Prasad : The Bihar Government has informed that the Construction work of canal was going on speedily earlies but the momentum has showed down due to rainy season. Now they will start the work speedily. So far as the land acquired in Nepal and the compensation to be paid by Indian Government, is concerned the matter was settled earlier and the compensation was paid in accordance with the agreement. There is no point of dispute arising on account of this question.

नंगनलूर रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) पर निर्माण कार्य

\+
***333. श्री सेझियान**

श्री सी० चित्तिबाबू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर सेंट थोमस माउंट और मीनाम्बक्कम के बीच नंगनल्लूर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) प्रस्तावित पलवनथांगल रेलवे स्टेशन (नंगानल्लूर के निकट) पर

प्रतिष्ठापन्न रेलपथ संपर्क पुल-विस्तार द्वीप प्लेटफार्म और समपार में परिवर्तन जैसे निर्माण-कार्य अभी तक पूरे किये जा चुके हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) निर्माण कार्य की अनुसूची में गड़बड़ी हो जाने का मुख्य कारण यह है कि ऊपरी पैदल-पुल तथा इस स्टेशन के बुकिंग कार्यालय के स्थान के बारे में स्थानीय लोगों में झगड़ा है। निर्माण कार्य के और भी पिछड़ जाने की संभावना है क्योंकि कुछ लोगों ने अदालत में सिविल केस दायर कर दिया है जिसके फलस्वरूप रेल प्रशासन को ऐसी निषेधाज्ञा मिली है कि निर्माण-कार्य के बारे में आगे कार्यवाही तब तक न की जाये जब तक निषेधाज्ञा खारिज न कर दी जाये।

श्री सेझियान : मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले में स्टेशन का नाम रखने के बारे में कोई विवाद था तथा क्या नगरपालिका का प्रस्ताव, जिसे राज्य सरकार ने अनुमोदित किया था, स्वीकार कर लिया गया है ? दूसरे उन्होंने बताया है कि अदालत में दीवानी मुकदमा विचाराधीन पड़ा है। यह विचाराधीन कब से है और सरकार ने न्यायालय द्वारा दी गई निषेधाज्ञा को खारिज कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री एल० एन० मिश्र : हमें नाम बदलने के बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट मिली है ; हम केवल गृह मंत्रालय की सिफारिश पर नाम बदल सकते हैं। मैंने मुख्य मंत्री को अपनी सिफारिशें गृह मंत्रालय के द्वारा भेजने के लिये लिखा है। हमें इस सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है कि इसका नाम उस शहीद के नाम पर रखा जाये जिसने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। मुझे यह मालूम नहीं है कि यह मुकदमा किस तिथि को दायर किया गया था। यह कुछ महीने पूर्व दायर किया गया था। हम इसे खारिज कराने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। परन्तु मैं यह नहीं बता सकता हूं कि यह किस तिथि तक खारिज होगा।

तापीय बिजलीघरों के रखरखाव के लिए बिजली इंजीनियरों को प्रशिक्षण देना

*334. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बड़े तापीय बिजलीघरों के संचालन और उनके रखरखाव के लिये बिजली इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (ख) ताप-विद्युत केन्द्रों के प्रचालन के लिये अपेक्षित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के पास इसका प्रबंध है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार प्रचालकों तथा पयवेक्षण स्टाफ के प्रशिक्षण के लिये दुर्गापुर और नेवेली में संस्थान चला रही है। पांचवीं योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं को और बढ़ाने का प्रस्ताव है।

Shri M.S. Purty : May I know whether the main reason for continuous trouble in the proper operation of thermal Power Stations of the country and less production of electricity is the shortage of trained engineers; if so, what steps have been taken to remove this shortage?

Shri K.C. Pant : The need for such trained operators, and supervisory staff is increasing. This will increase in fifth Five Year Plan. With the setting up of new units and specially the larger modern units of 200 megawatts, the need for trained engineers, operators and supervisors will increase tremendously. As such, two training institutions of the Central Government will be expended and new institutes will also be set up during Fifth Five Year Plan.

Shri M.S. Purty : The hon. Minister has stated that there is a proposal to expand the training facilities to meet the requirements of Fifth Five Year Plan. I want to know whether there is proposal to send engineers of some particular thermal power stations abroad for training?

Shri K.C. Pant : There is no proposal to send them abroad because the country has larger Power Stations where they can be given training. If at any time necessity arises to send them abroad for training, then we will think over it at that time. But there is no such proposal before us yet.

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं जान सकता हूं कि क्या पांचवीं योजना की अवधि में बिजली उत्पादन की नियोजित वृद्धि की आवश्यकता पूरी करने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त अर्हताप्राप्त इंजीनियरों का कोई अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा क्या वे अर्हताप्राप्त इंजीनियर देश में उपलब्ध होंगे अथवा क्या इनकी कोई कमी होगी तथा क्या पर्याप्त संख्या में अर्हताप्राप्त इंजीनियरों को साथ ही साथ प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि बिजली पैदा करने की प्रस्तावित योजना प्रशिक्षित तथा अर्हताप्राप्त इंजीनियरों के अभाव में खटाई में न पड़े ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली उत्पादन का कार्यक्रम प्रशिक्षण व्यवस्था तथा नये एककों की स्थापना के बीच सामंजस्य पर तथा पहिले से नियुक्त कमचारियों की जानकारी अद्यतन बनाने पर भी निर्भर करता है। स्थापित किये जाने वाले संस्थानों आदि की संख्या के बारे में ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। यह मंत्रालय वस्तुत: इस कार्य में लगा हुआ है और मैं शीघ्र ही इनकी संख्या ठीक-ठीक बता सकने की स्थिति में हूंगा।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether it is true that Bihar Government had sent some engineers abroad for training and they came back after getting training in this field but they were not given work in Patratu unit because trouble started between engineers of Patratu Unit and these trained people who came back from abroad after getting training? May I know whether the Government thinks that those engineers who returned to Bihar after getting training from abroad and on whom they have spent foreign exchange should be provided with jobs properly?

Shri K.C. Pant : Principally, it seems quite correct but I cannot say what has happened in this case. I have no information about it.

महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्र

***339. श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में महाराष्ट्र राज्य को कितने उर्वरक संयंत्रों की पेशकश की गई है तथा उन्हें कहां-कहां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस समय कितने संयंत्रों के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन नहीं हुआ है तथा उनकी क्षमता कितनी है;

(ग) शेष संयंत्रों के प्रस्तावों को रद्द किये जाने क क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में भारत सरकार के निर्णय में विलम्ब होने पर कोई विचार व्यक्त किये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क), (ख), (ग) और (घ) उर्वरक संयंत्रों के स्थापना को निर्धारण करते समय सम्पूर्ण-तकनीकी आर्थिक तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखा गया तथा ऐसा करते समय राज्य सरकार के विचारों को भी ध्यान में रखा गया। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है राज्य में अतिरिक्त क्षमता के लिये विचाराधीन प्रस्तावों के ब्यौरे सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र में दिये गये हैं।

विवरण

पार्टी का नाम	प्रस्तावित स्थल	उत्पादन की मद	टिप्पणी
1. महाराष्ट्र को-ओपरटिव फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि०	बम्बई क्षेत्र	अमोनिया—66,000 मी० टन सोडा राख—66,000 मी० टन अमोनियम क्लोराइड—66,000 मी० टन	समय समय पर पार्टी को जारी किये गये आशय पत्र की अवधि बढ़ाई गई और अब यह 31-3-74 तक वध है।

1	2	3	4
2. बी० जे० पटेल	जलगांव	अमोनिया–3,30,000 मी० टन यूरिया–5,00,000 मी० टन	प्रस्ताव की जांच हो रही है ।
3. भारतीय उर्वरक निगम लि० (सरकारी उपक्रम) (क) यूरिया/एन० पी० के० अड़चन दूर करने वाली योजना	ट्राम्ब	25,000 मी० टन नाइट्रोजन एवं 12,000 मी० टन पी० 2 ओ० 5 की अतिरिक्त क्षमता	परियोजना का कार्यान्वियन हो रहा है तथा 1975 तक पूर्ण होने की आशा है ।
(ख) ट्राम्बे विस्तार (ट्राम्बे IV)	ट्राम्बे	समिश्र उर्वरक के प्रतिवर्ष नाइट्रोजन तथा पी० 2 ओ० 5 प्रत्येक के 75,000 मी० टन के अतिरिक्त उत्पादन के लिये ।	योजना पर विस्तार हो रहा है ।
(ग) नई परियोजना—(ट्राम्बे V)	ट्राम्बे	यूरिया के रूप में प्रतिवर्ष 1,20,000 मीटरी टन नाइट्रोजन के उत्पादन के लिये ।	यह विचाराधीन है ।

टिप्पणी :–इसके अतिरिक्त, सरकार को सूचना दी गई है कि शिवा-नोवा क्षेत्र में फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की संभाव्यता का राज्य सरकार अध्ययन कर ही है इस सम्बंध में आशय पत्र जारी करने के संबंध में कोई औपचारिक प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : हमने आज दस प्रश्न ले लिये हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पैट्रोल पर बढ़े हुए उत्पादन शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व

***323. श्री बक्शी नायक** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोल पर बढ़े हुए उत्पादन शुल्क के फलस्वरूप चालू वर्ष में कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावन है; और

(ख) पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की सम्भावित खपत के बारे में सरकार के अनुमान का आधार क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : (क) इस अनुमान पर कि 3–11–1973 से कीमत में हुई भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप खपत में 25% की कमी हो जायेगी, मोटर स्पिरिट पर उत्पादन शुल्क में की गई वृद्धि से चालू वर्ष में लगभग 50 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है।

(ख) खपत की प्रवृत्ति तथा अन्य संबद्ध तथ्यों के आधार पर समय समय पर पैट्रोलियम उत्पादों की मांग का पूर्वानुमान लगाया जाता है तथा इस का पुनरीक्षण किया जाता है। मोटर स्पिरिट की खपत में संभावित कमी का मूल्यांकन अनुमान पर किया गया है।

Supply of power to Agriculturists and Industries at uniform Rate

***326. Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether there is any scheme to supply power to the agriculturists, small industries and backward areas at a minimum uniform rate in the whole country; and

(b) if so, the main features thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of Irrigation and Power (Shri K.C. Pant) : (a) and (b) It has not been possible to put into operation a scheme of uniform power rates in the whole country. Supplies of power to agriculturists, small industries and backward areas are generally being made by the State Electricity Boards which have state-wide jurisdictions. Unit cost of power varies from plant to plant and State to State, and depends upon several factors such as the capital as well as operating costs of the power plants and the transmission and distribution network. At present there is a uniform tariff for each category of consumer within a State in practically all the States. As per Electricity (Supply) Act, 1948, State Electricity Boards are responsible for fixing tariffs within their Jurisdictions.

एकाधिकार गृहों की संख्या में वृद्धि

***328. श्री सरोज मुखर्जी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षत्र में एकाधिकार गृहों की संख्या बढ़ गयी है;

(ख) उन एकाधिकार गृहों के नाम क्या हैं; तथा किन किन औद्योगिक क्षत्रों से वे संबंधित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा फरवरी 1973 में घोषित संशोधित लाइसस नीति को ध्यान में रखते हुए, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रम, अर्थात्

(1) वे उपक्रम जिनके पास स्वयं अथवा अपने अन्त: संबंधित उपक्रमों सहित बीस करोड़ रुपयों से कम नहीं की परिसंपत्तियों हों, जिससे वे धारा 20(क) के उपबन्धों को आकर्षित करते हों अथवा;

(2) वे प्रमख उपक्रम जिनक पास स्वयं अथवा अपने अन्त: संबंधित उपक्रमों सहित, 1 करोड़ रुपयों से कम नहीं की परिसंपत्तियों हों, इससे वे एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20(ख) को आकर्षित करते हों;

वृहत औद्योगिक घराने समझे जाते हैं।]

इनका पहले के एकाधिकार जांच आयोग अथवा, औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा यथा परिभाषित उसी रूप में रहना आवश्यक नहीं है। चूंकि वृहत औद्योगिक घराने के संबोध में आधारभूत परिवर्तन हो गये हैं, एवं वर्गीकरण के पहले आधार समाप्त हो चुके हैं, अत: औद्योगिक क्षेत्र में इनके लिये सामान्य मानदंड लागू करना तथा इनकी संख्या में अन्य प्रकार से वृद्धि पर राय व्यक्त करना संभव नहीं है।

30 सितम्बर, 1973 तक एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत वृहत औद्योगिक घरानों के नाम प्रदर्शित करती हुई एक सूची संलग्न है। औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा घरानों का वर्गीकरण करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक घराने म विभिन्न कार्य-कलापों में संलग्न उपक्रम सम्मिलित हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल-टी 5898/73]** ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना के बारे में इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज से बातचीत

***329. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना की स्थापना के बारे में सरकार ने हाल ही में ब्रिटेन की इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज से बातचीत की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्देश्य के लिये इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज (ब्रिटेन) के अन्तर्राष्ट्रीय निदेशक बोर्ड के दो सदस्यों से पहले ही संपर्क स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो इस बातचीत का सारांश क्या है;

(घ) क्या सरकार की नीति भारत में उदार स्तर पर पूंजी निवेश करने हेतु बहु राष्ट्रीय फर्मों को आमंत्रित करने की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज (ब्रिटेन) से इस बारे में बातचीत क्यों की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क), (घ) और (ङ) इंडियन एक्सप्लोसिवज लिमिटेड ने भारत में एक उपयुक्त स्थान पर एक उर्वरक संयंत्र, जोकि ईंधन-तेल का कोयले को संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग करेगा की स्थापना करने के बारे में अपनी रुचि दिखाई है। इस बारे में जब कम्पनी से एक ठोस प्रस्ताव प्राप्त हो जायेगा तब उस पर इस संदर्भ में सरकार की वर्तमान नीति को तथा उर्वर क्षेत्र में विदेशी फर्मों द्वारा हिस्सेदारी तथा समस्त तकनीकी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

(ख) और (ग) यहां पर हुई उनकी अक्टूबर, 1973 की बैठक में आई०सी०आई० के ऊंचे अधिकारियों ने इस प्रकार की परियोजना में रुचि दिखाई थी लेकिन इस बारे में न तो किसी विशेष प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया और न कोई औपचारिक प्रस्ताव दिये गये या बचनबद्धता की गई।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सप्लाई किये जाने वाले जिप्सम की कीमतों में वृद्धि

***335. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने किसानों को सप्लाई किये जाने वाले जिप्सम की कीमत में अभी हाल में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस समय जिप्सम की कमी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) तत्वतः भारतीय उर्वरक निगम द्वारा निकाला गया जिप्सम उसके सिंद्री एकक में अमोनिया सल्फेट के उत्पादन के लिये कच्चे माल के रूप में किया जाता है और खनन के दौरान निकलने वाली आफ क्वालिटी अयस्क, जो उर्वरक उत्पादन के उपयुक्त नहीं होता, अन्य उपयोगों के लिये उपलब्ध होता है।

1969–70 में हरियाणा राज्य सरकार को विकास कार्यों के लिये खान की चालू अवस्था में (खुले हुए और एक मुश्त) बेचे गये कुछ जिप्सम को छोड़कर 1972–73 के अन्त तक कृषि कार्यों के लिये जिप्सम का सामान्य व्यापारिक विक्रय नहीं किया गया था। परन्तु 1973–74 में निगम ने निम्नलिखित दरों पर पंजाब और हरियाणा के मार्किटिंग फैडरेशन को जिप्सम का विक्रय किया :–

(i)	60 मेश का जिप्सम पाऊडर 50 किलो वाली पालीएथीलीन वाली पुरानी बोरियों में पैक किया हुआ सूरतगढ़ स्टेशन से	रु० 115 प्रति मीटरी टन
(ii)	60 मेश का जिप्सम पाऊडर 50 किलो वाली पालीएथीलीन वाली नई बोरियों में पैक किया हुआ	रु० 126 प्रति मीटरी टन

उपरोक्त दरें रेल भाड़े सहित हैं। चूंकि इस उत्पाद का निगम ने पहली वार इस प्रकार विक्रय किया है मूल्य वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

जिप्सम के अभाव की कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है।

Replacement of old Railway Steamer Operating between Patna and Pahlezaghat

*336. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway steamer operating in Ganga between Patna and Pahlezaghat has become very old and the passengers were stranded mid-stream due to defects it developed several times during the last one year;

(b) whether Government propose to replace it by a new steamer and if so, when; and

(c) the amount of profit or loss to Railways by the said steamer service during the last one year?

The Minister of Railways (Shri L.N. Mishra) : (a) to (c) The entire question of Steamer Service at various point is under examination.

इंडियन ड्रग एंड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड द्वारा प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड का आयात

*337. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड का आयात करने की अनुमति दी गई है ; और यदि हां, तो कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(ख) इसको आयात करने में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई; और

(ग) क्या आयात की अनमति देने से पूर्व प्रत्येक बार स्वदेशी निर्माताओं से संपर्क किया गया था तथा इसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड के आयात के लिये कोई आयात लाइसेंस नहीं दिया गया था । तथापि, 1970–71 की लाइसेंसिंग अवधि के लिये उन को दिये गये लाईसेंस पर 1971–72 के दौरान उन्होंने 24.7 मीटरी टन प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड का आयात किया था । आयात के लिये 7.42 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी थी । यह मद आयात नीति के अंतर्गत 'प्रतिबन्धित 'सूची' में शामिल है अर्थात् डी० जी०टी०डी० की सिफारिशों पर देशीय उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस प्रतिबन्धित आधार पर दिये गये थे । इसके अतिरिक्त, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड की देशीय उपलब्धि का निर्धारण करने के पश्चात ही मैसर्स आई०डी०पी० एल० ने लाइसेंस के लिये प्रार्थना पत्र दिया था ।

बिजली के लिए आपातकालीन योजना तैयार करने हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग का गठन

*338. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित 'ऊर्जा बोर्ड' की बजाय एक उच्च शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग का गठन करने और भावी दो वर्षों के लिये एक आपातकालीन योजना तैयार करने का निश्चय किया है; और

(ख) क्या सरकार ने देश के औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये गैस टरबाइनों का आयात करने की संभावनाओं पर भी विचार किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं । बहरहाल विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ख) औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये गैस टर्बाइनों के आयात की संभाव्यता पर विचार नहीं किया गया है । बहरहाल बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र में उनकी तत्काल बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कैप्टिव प्लांटस के रूप में गैस टर्बाइनों की प्रतिष्ठापना करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

पैट्रोल की खपत पर नियंत्रण करने के लिये राज्य सरकारों को निदेश

***340. श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को पेट्रोल की खपत कम करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देव कान्त बरूआ) : (क) जी, हां।

(ख) इसमें संदेह नहीं कि राज्य सरकारें तदनुसार कदम उठायेंगी।

त्रिचिरापल्ली-तूतीकोरिन तिरूनिवेली मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

***341. श्री एम० के० कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की त्रिचिरापल्ली-तूतीकोरिन तिरूनिवेली मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) मद्रास-तिरुचिरापल्ली-मदुरै-तूतीकुडि मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। लेकिन उसे शुरु नहीं किया गया। फिर भी, कारूर को मदुरै से बड़ी लाइन द्वारा जोड़ने के प्रस्ताव के साथ-साथ मदुरै से तुतुकुडि/तिरुनेलवेलि तक के खंड के आमान परिवर्तन के लिये एक सर्वेक्षण किया गया है। उस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

औषध निर्माता फर्मों को लाइसेंस सम्बन्धी उपबन्धों से दी गई छूट

3192. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को लाइसेंस संबंधी उपबन्धों से छूट देने हेतु वर्ष 1966–70 के दौरान जारी किये गये आदेशों में एक शर्त यह थी कि विदेशी-मुद्रा संबंधी कोई भी व्यय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अन्तर्गस्त नहीं होगा;

(ख) क्या कुछ विदेशी औषध-निर्माता फर्मों ने छूट संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ऐसा उत्पादन करना शुरु कर दिया है जिसमें विदेशी-मुद्रा संबंधी व्यय अन्तर्गस्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी मामलों में पूरी जांच करती है और शर्तों का उल्लंघन करने के लिये दोषी पाई जाने वाली फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करती है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) 1966 के आदेशों में औद्योगिक उपक्रमों के लिये उत्पादन परिवर्तन द्वारा नये मदों के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस संबंधी उपबन्धों से छूट देने के लिये अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का व्यय न करने की शर्त लगाई गई थी। दिसम्बर 1967 में जारी किये गये आदेशों द्वारा इसमें और संशोधन करने के परिणाम स्वरूप प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिये, अतिरिक्त कच्चे माल या संतुलन बनाने हेतु कुछ उपकरणों का आयात करने पर भी, उत्पादन परिवर्तन करने की अनुमति दे दी गई थी। औषध और भेषज उद्योग प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छूट-आदेशों के अन्तर्गत औषधि निर्माता फर्मों द्वारा उत्पादन के विविधीकरण की सीमाएं

3193. श्री के० एस० चावड़ा
श्री सोमचन्द सोलंकी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966–70 से लागू छूट आदेशों के अनुसार एक शर्त यह थी कि उत्पादन का विविधीकरण एक सीमा तक ही किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो वे सीमायें क्या थीं;

(ग) क्या कुछ विदेशी फर्मों ने इन सीमाओं का विभिन्न तरीके अपना कर उल्लंघन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी हां। उपक्रम के लाइसेंसीकृत एवं पंजीकृत क्षमता के 25% की सीमा तक।

(ग) जी हां।

(घ) जिन विदशी औषध फर्मों ने अपनी क्षमता से अधिक अनाधिकृत उत्पादन किया है उनके खिलाफ कार्यवाही विचाराधीन है।

पोलीएस्टर फाइबर उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी

3194. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोलीएस्टर फाइबर उद्योग को कच्चे माल, विशेषकर डी०एम०टी० की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की डी०एम०टी० की मासिक आवश्यकता कितनी है और पिछले छह महीनों के दौरान प्रति मास कितनी वास्तविक सप्लाई की गई; और

(ग) इस उद्योग को पूरी सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है और वह कब तक संभव होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) डी० एम० टी० उपभोक्ता एककों की आवश्यकतायें संबंधित यूनिटों को प्रतिमाह लाईसेंसीकृत क्षमताओं के आधार पर लगभग 1800 मीटरी टन है। गत 6 महीनों के दौरान देशीय एवं आयातित साधनों से कुल सप्लाई निम्न-प्रकार है :–

(मीटरी टनों में)

मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर
1001	1181	1248	337	750	940

(ग) आई०डी०पी०एल० के पेरा जाइलीन तथा डी०एम०टी० संयंत्रों के पुन: आरम्भ के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। डी०एम०टी० के आयात के प्रयोगकर्ताओं को अधिकरण पत्र दिये जा रहे हैं।

त्रिवेन्द्रम के निकट थुम्बा में नये स्टेशन का निर्माण

3195. श्री वयालार रवि : क्या रेल मंत्री त्रिवेन्द्रम के निकट थुम्बा में एक नये स्टेशन के खोलने के बारे में 27 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4853 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थुम्बा में रेलवे स्टेशन के निर्माण - कार्य में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने यात्री बुकिंग स्टेशन खोलने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) तिरूवनन्तपुरम–कोल्लम खण्ड पर लाइन क्षमता की उपलब्धता और थुम्बा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित शटल गाड़ी की अर्थ क्षमता के प्रश्न की इस समय जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने पर थुम्बा में रेलवे स्टेशन बनाने के बारे में विनिश्चय किया जायेगा।

केरल में नया रेलवे डिविज़न

3196. श्री वयालार रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक नया रेलवे डिवीज़न स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औषधि निर्माता फर्मों द्वारा उत्पादन के विविधीकरण संबंधी छूट आदेशों की शर्तें

3197. श्री सोम चन्द्र सोलेकी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–70 की अवधि में लागू छूट आदेशों में एक शर्त तकनीकी विकास महानिदेशालय को कुछ तथ्यों के साथ विविधीकरण कार्यक्रम का व्यौरा देना भी था;

(ख) क्या 26 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषधि निर्माता फर्मों ने उक्त जानकारी तकनीकी विकास महानिदेशालय को भेजी थी;

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और क्या उक्त महानिदेशालय में इनका कोई रिकार्ड रखा जाता है; और

(घ) छूट आदेशों में उल्लिखित शर्तों का विविधीकरण कार्यक्रमों में पालन सुनिश्चित करने के लिये क्या नियंत्रण रखा गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) अक्तूबर 1966 में जारी किये गये आदेश के अन्तर्गत जिसमें लाइसेन्स शुदा क्षमता के 25% तक स्वतन्त्र विविधीकरण की अनुज्ञा दी गई थी औद्योगिक उपक्रमों के लिये यह आवश्यक था कि वे उपर्युक्त तकनीकी अधिकारी को अपने संशोधित निर्माण कार्यक्रम प्रस्तावित नई वस्तुओं के निर्माण तथा लगाये जाने वाले संतुलन यंत्र के मूल्य तथा प्रकार संबंधी विवरण दें। इस संबंध में किसी विशिष्ट विवरण के निर्धारित न होने के कारण व अधिकतर विविधकृत मदों को अपने मासिक उत्पादन विवरणों में सम्मिलित करते थे जो कि डी०जी०टी०डी० के सामान्य रिकार्ड पर रखे जाते हैं। जहां कोई संदेह होता था डी०जी०टी०डी० औद्योगिक उपक्रम से और अधिक विवरण प्राप्त करके प्रशासी मंत्रालय को रिपोर्ट देता है।

छूट आदेशों के अन्तर्गत विविधिकरण कार्यक्रम के लिये उपकरण लगाना

3198. श्री सोमचन्द्रा सोलंकी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–70 से लागू छूट आदेशों में एक शर्त यह थी कि विविधीकरण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये माइनर बैलेन्सिग इक्विपमेंट लगाया जायेगा;

(ख) क्या कुछ विदेशी औषध फर्मों ने संयंत्र तथा मशीनरी में पर्याप्त वृद्धि करके विविधीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया ;

(ग) यदि हां, क्या सरकार ऐसे सभी मामलों की पूरी तरह जांच करायेगी, और छूट आदेशों का उल्लंघन करने की दोषी पाई जाने वाली फर्मों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी; और

(घ) क्या बड़े पैमाने पर बनायी जाने वाली नई औषधियां बनाने के लिये संयंत्र तथा मशीनों में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अक्तूबर 1966 से फरवरी 1970 तक दी जाने वाली स्वतन्त्र विविधकरण सुविधा की एक शर्त यह थी कि ऐसे विविधकरण के लिये स्वदेश में प्राप्त संतुलन संयंत्रों को छोड़कर अतिरिक्त संयंत्र या मशीन लगाना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) और (ग) यदि बिना लाइसेन्स के, यथेष्ट अतिरिक्त संयंत्र लगा कर विविधकरण का कोई केस सरकार के सामने आयेगा तो सरकार उसकी जांच करेगी और उचित कार्यवाही करेगी।

(घ) यह निर्माण की जाने वाली नई औषधियों के प्रकार और स्थापित संयंत्र और मशीनों में उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर होगा।

Railway over-bridges in Madhya Pradesh

3199. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of Railway over-bridges to be constructed in Madhya Pradesh;

(b) the number of such bridges, which have been already constructed or are underconstruction; and

(c) the time by which all these bridges will be constructed and the estimated expenditure thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Twenty one.

(b) and (c) The bridge structure for one has been completed during the current Plan period but the approaches are yet to be completed by the P.W.D. Two more bridges are under construction. The remaining eighteen proposals are in investigation and Planning stage. It is too early to forecast the dates for completion and estimated expenditure thereon.

Work on Tawa Dam and its Feeder Canal

3200. **Shri G. C. Dixit :** Will Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) The time by which work on the Tawa Dam and its feeder canal will be completed;

(b) whether the estimated expenditure on this project has increased many times; and

(c) if so, the quantum of increase and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The project is to be constructed in two phases. Phase I envisaging construction of the Dam upto RL 1180, the spillway upto RL 1126 and irrigation system on the Left Bank for 2 lakh acres is expected to be completed by June, 1974. The remaining work is to be done under Phase II and is expected to be completed in all respects by 1977-78.

(b) & (c) The Project was estimated to cost Rs. 34.14 crores in 1960. It is now assessed to cost Rs. 63.47 crores. The main reasons for the increase have been reported to be:

(i) Increase in canal discharges due to revised cropping pattern ;

(ii) Rise in cost of construction material and labour; and

(iii) Changes found necessary during construction due to deeper foundations, etc.

कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिये रूसी फर्मों से करार

3201. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता ट्यूब रेलवे के निर्माण के लिये दो रूसी फर्मों से करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार पर हस्ताक्षर किन किन कार्यों के लिये किये गये हैं;

(ग) क्या उक्त फर्में तकनीकी जानकारी ही उपलब्ध करायेंगी अथवा वे देश में उपलब्ध न होने वाले आवश्यक उपकरणों की सप्लाई भी करेंगी; और

(घ) किये गये करार के अनुसार उन कार्यों में भारत का क्या अंशदान होगा और उक्त कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) और मास्को के "टैक्नोएक्सपोर्ट" के बीच कलकत्ता में महानगर परिवहन परियोजना के लिये सोवियत सहायता उपलब्ध करने के

लिये 6–11–73 को दो करारों पर हस्ताक्षर किये गये । इनमें से एक करार में भारत में 10 सोवियत विशेषज्ञों के प्रतिनियुक्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है और दूसरे में भारतीय कार्मिकों को भूगत रेलवे के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर सोवियत रूस में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है ।

(घ) वास्तविक निर्माण कार्य भारतीय फर्मों द्वारा किये जाने हैं और काम शुरू कर दिया गया है ।

Changes in Railway Time Table for trains between Delhi and Ghaziabad

3202. Shri Chandu Lal Chandrakar : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether Railway officials have received certain suggestions for effecting changes in the Time Table of the trains running between Delhi and Ghaziabad;

(b) if so, the number of these suggestions; and

(c) the reasons why Government have not accepted them.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) Four during the period from November'72 to October'73.

(c) Out of the 4 suggestions, 2 have been accepted and the remaining 2 have not been accepted keeping in view the interest of the majority of commuters.

पश्चिम और दक्षिण रेलवे के लेखा विभाग में परिणामी रिक्तियों के सीधे भर्ती किये जाने वाले स्नातकों के लिये पदों का आरक्षण

3203. श्री वेकारिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई० (एस)–1–61 सी०पी०सी०/88 दिनांक 16/17 अप्रैल, 1962 के पत्र में दिये गये इन आदेशों को क्रियान्वित किया गया है कि पदों का दर्जा ऊंचा किये जाने के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 1956 को 80–220 (निर्धारित) वेतन मान में होंने वाली परिणामी रिक्तियों में 20 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये जाने वाले स्नातकों के लिये रक्षित हो जायें ;

(ख) यदि नहीं, तो परिणामी रिक्तियों की संख्या क्या और ऐसे स्नातक क्लर्कों की संख्या क्या है जो ऐसी रिक्तियों पर पदोन्नति के पात्र हैं पर उनको अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ग) इन आदेशों की क्रियान्विति सुनिश्चित कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) ऐसे पदों पर पदोन्नति के लिये पात्र स्नातक क्लर्कों के लिये कितने अधिसंख्य पदों का सृजन किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) संभवतः माननीय सदस्य का आशय रेलवे बोर्ड के 16/17–4–1962 के पत्र सं० ई० (एस) 1–61/सी०पी०सी०/83 से है । उस पत्र में निहित आदेशों को दक्षिण रेलवे के लेखा विभाग में क्रियान्वित कर दिया गया है ।

इन आदेशों को पश्चिम रेलवे पर क्रियान्वित किये जाने के संबंध में सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और यथासमय, सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम और चैकोस्लोवकिया की टक्नो-एक्सपोर्ट फारेन ट्रेड कम्पनी के बीच करार

3204. श्री रण बहादुर सिंह
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कोरवा में लगाये जाने वाले तरल नाइट्रोजन गैस संयंत्र के लिये डिजाइनों, इंजीनियरिंग संबंधी आवश्यकताओं तथा मशीनों की सप्लाई के लिये भारतीय उर्वरक निगम ने चैकोस्लोवाकियां की टेकनो-एक्सपोर्ट फारैन ट्रेड कम्पनी के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश का कोरवा स्थित, उर्वरक कारखाना अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगा और यदि हां, तो कितनी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां । लेकिन यह करार सरकार की स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होगा ।

(ख) इस करार के अंतर्गत 75,126,000 रुपयों का अनुमान ऐयर सैपरेशन तथा तरल नाइट्रोजन वाश प्लांट के डिजाईन एवं इन्जीनियरी कार्य तथा उपकरणों के कुछ अन्य मदों की सप्लाई के लिये अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जायेगा ।

(ग) कोरवा संयंत्र की रूप-रेखा प्रतिवर्ष 2,28,000 यूरिया जो कि 4,95,000 टन यूरिया प्रतिवर्ष के बराबर होगा, के उत्पादन हेतु किया गया है ।

बिहार में उठाऊ सिंचाई (लिफ्ट इरिगेशन) के लिये अतिरिक्त तापीय बिजली क्षमता पैदा करना

3205. श्री मधुलिमये : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिहार राज्य में गंडक, बूढ़ी गंडकक सोन और गंगा नदियों में बहने वाला जल बेकार जा रहा है, सरकार का विचार उठाऊ सिंचाई का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(ख) क्या सरकार बिहार राज्य में उपयुक्त स्थानों पर सिंचाई के प्रयोजनों हेतु मुख्यतया उठाऊ सिंचाई के लिये और पम्पिंग सटों को बिजली देने हेतु अतिरिक्त तापीय बिजली की क्षमता पैदा करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बिहार सरकार का पांचवी तथा उसके बाद की योजनाओं में लिफ्ट सिंचाई स्कीमों को हाथ में लेने का कार्यक्रम है । भावी मांगों, जिनमें लिफ्ट सिंचाई तथा सिंचाई के लिये पम्पसेटों को ऊर्जन के लिये मांगें भी शामिल हैं को पूरा करने के लिये आवश्यक अतिरिक्त ताप तथा जल विद्युत क्षमता को आवश्यकता तथा संसाधनों के आधार पर योजना बनाई जायेगी ।

बिहार के बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों को पेट्रोल एजेन्सियां

3206. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बिहार के बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों को पेट्रोल की कितनी ऐजेंसियां दी गई ;

(ख) सरकार के पास कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन है; और

(ग) इन आवेदन पत्रों पर कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) से (ग) : नवम्बर, 1969 को भारतीय तेल निगम ने एक योजना आरम्भ की थी जिसके अधीन यह अपनी डीलरशिप अधिमान्य रूप से बेरोजगार इंजीनियरों/निम्न आय वर्ग के स्नातकों को प्रदान करेगा । दिसम्बर, 1971 से इस योजना में संशोधन किया था ताकि अपंग सैनिकों, युद्ध में शहीद लापता सैनिकों की विधवाओं तथा निर्भर सदस्यों और भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्रालय में पुनर्वास के महानिदेशक की सिफारिश पर अधमानी रूप से डीलरशिप दी जा सके । यह योजना इस समय निगम के स्वामित्व वाले फुटकर बिक्री केन्द्र और अन्य सभी डीलरशिप पर लागू है ।

जहां तक बिहार राज्य का संबंध है भारतीय तेल निगम ने उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बेरोजगार इंजीनियरों/स्नातकों को फुटकर बिक्री केन्द्रों के लिये नियुक्ति पत्र दिये थे । इन में से आठ फुटकर बिक्री केन्द्र चालू हो चुके हैं । यह सूचना 1-1-1973 से आरम्भ होने वाली अवधि से संबंधित है ।

योजना के स्वरूप को विचार में रखते हुए सरकार या भारतीय तेल निगम के पास किसी प्रार्थना पत्र के लंबित होने का प्रश्न नहीं उठता ।

बेरोजगार स्नातकों/इंजिनियरों को अलाट किये गये बुकस्टाल

3207. श्री जगन्नाथ मिश्र
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों की संख्या कितनी है जिनको विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर अब तक बुक-स्टाल अलाट किये गये हैं;

(ख) इस प्रकार के स्टाल अलाट करने के लिये कितने आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) इन आवेदन पत्रों पर कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) यह विनिश्चय किया गया था कि कुछ स्टेशनों पर किताब की दूकानों के ठेके उन शिक्षित बेकार स्नातकों की सहकारी समितियों को आबंटित किये जायें जो कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करती हों। अभी तक केवल सात सहकारी समितियों ने इन ठेकों के लिये आवेदन पत्र भेजा है जिनमें से केवल एक समिति को किताब की दूकान का ठेका आवंटित किया गया है। शेष छः समितियों के मामले अभी तक अनिर्णीत हैं और उनके बारे में अन्तिम निर्णय तब किया जायेगा जब समितियां रेलों को पूरे ब्यौरे पेश कर देंगी। अभी हाल में यह विनिश्चय किया गया है कि किताब की दूकानें निम्न को भी आबंटित की जायें :—

(i) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत बेकार शिक्षित नवयुवकों के संघों को यदि राज्य सरकार के प्राधिकारियों से सत्यापन करने के बाद निश्चित हो जाये कि ऐसा करना उक्त अधिनियम द्वारा अनुमेय है।

(ii) दो या दो से अधिक शिक्षित बेकार नवयुवक जो सांझे में ठेका लें। चूंकि क्षेत्रीय रेलों को इस संबंध में हिदायतें हाल ही में जारी की गयी हैं। ठेकों के आबंटन संबंधी कार्रवाई को अन्तिम रूप देने में अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आवेदकों को पर्याप्त समय देते हुए आवेदन पत्र मांगने होंगे।

इंडियन आयल कम्पनी के लिये अशोधित तेल को शुद्ध करने के सम्बन्ध मे कालटैक्स से प्रस्ताव

3208. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन आयल कम्पनी की तरफ से अशोधित तेल को शुद्ध करने के लिये कालटैक्स से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

3209. श्री छत्रपति अम्बेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग द्वारा सभी जोनों में संचालित बालक और बालिकाओं के इंटरमीडियेट कालेजों हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रिन्सिपलों, मुख्याध्यापकों, स्नातकोत्तर अध्यापकों प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों और प्राइमरी अध्यापकों की कुल संख्या का जोनवार ब्योरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त सभी श्रेणियों और सभी जोनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रिन्सिपलों, मुख्याध्यापकों और स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों पर उपर्युक्त समुदायों की आरक्षण प्रतिशतता को पूरा नहीं किया गया है और आरक्षण कोटा को पूरा करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) क्या प्रिन्सिपलों मुख्याध्यापकों और स्नातकोत्तर अध्यापकों की सीधी भर्ती अथवा केन्द्रशासित क्षेत्रों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Constitution of an Organisation "Damodar Valley Vastu-Hara Sangram Samiti"

3210. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Irrigation And Power** be pleased to state : .

(a) whether the farmers displaced at the time of setting up of the Damodar Valley Corporation have constituted an organisation named Damodar Valley Vastu-Hara Sangram Samiti ;

(b) whether on the 10th September, 1971 a memorandum was submitted by the said organisation to the General Manager of Damodar Valley Corporation ; and

(c) if so, the main features thereof and the action taken in that regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) The Damodar Valley Corporation has reported that Bastuhara Sangram Samiti had submitted a representation to the Chief Engineer (O&M), Damodar Valley Corporation, Maithon, on 10th September, 1973 and not on 10th September, 1971.

(c) Their demands were as under :

(i) Supply of Electricity to the neighbouring villages; and

(ii) Employment.

These demands were discussed with the local MLA Shri Nirmal Bhattacherjee alongwith the Secretary, Bastuhara Sangram Samiti Kalipahari and some local villagers. It was explained to them that D.V.C. is not authorised to sell electricity to domestic consumers and they should approach the State Government. Regarding employment they were told that the Corporation's orders are already there from 1950 for giving preference to the displaced persons in appointments on Muster Roll and workcharged establishments. From 1970 preference is also being given to the displaced persons in appointments against short term leave vacancies in the cadres of peons and messengers.

However, the question of electrification of these villages and providing job opportunities to the displaced persons is being taken up with appropriate authorities.

राजस्थान गुजरात सीमा पर कोडाना बांध की उंचाई के बारे में समझौता

3211. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान-गुजरात सीमा पर कोडाना बांध की ऊंचाई के बारे में कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) माही नदी के विकास पर राजस्थान तथा गुजरात की सरकारों में 1966 में एक समझौता हुआ था । इस समझौते में यह व्यवस्था थी कि गुजरात सरकार आर०एल० 419 फुट के पूर्ण जलाशय स्तर के साथ कड़ाना बांध का निर्माण कर सकती है । 1970 में राजस्थान सरकार ने इस स्तर को 410 फुट तक नीचा करने का सुझाव दिया था । इस मामले को दोनों सरकारों तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारियों ने विस्तार से जांच की थी । अन्त में सितम्बर, 1973 में राजस्थान सरकार ने सूचित किया था कि वे पूर्ण जलाशय स्तर 419 फुट तक ही रखने पर सहमत हो गये हैं ?

एरणाकुलम और मदुरै के बीच रेल सम्पर्क के लिये सर्वेक्षण

3212. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री कन्याकुमारी तथा त्रिवेन्द्रम के बीच रेल लाइन तथा त्रिवेन्द्रम एरणाकुलम लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में 24 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 263 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एरणाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल संपर्क के लिये कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि कोई तकनीकी-प्रार्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है तो सरकार उक्त प्रश्न के उत्तर के भाग (ग) में दिये गये निष्कर्षों पर किस आधार पर पहुंची है;

(ग) क्या सरकार का विचार अब इस लाइन के लिये सर्वेक्षण कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय म उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रस्तावित लाइन पश्चिमी घाटों में से गुजरेगी। सर्वेक्षण के बिना भी यह स्पष्ट है कि इस लाइन के बनाने पर बहुत भारी पूंजी परिव्यय आयेगा। इसके अतिरिक्त, इस लाइन का अनुरक्षण एवं परिचालन भी अत्यन्त व्ययसाध्य होगा। चूंकि इस लाइन को पहाड़ी भागों और घने जंगलों में से गुजरना पड़ेगा इसलिये इस लाइन पर खड़ी ढलानों और तेज घुमावों के कारण ऐसी संभावना है कि इस लाइन की क्षमता भी सीमित ही रहेगी ऐसी संभावना भी नहीं कि यथेष्ट यातायात होगा जिस से इस लाइन को कायम रखा जा सके और यह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। इसलिये इस लाइन का सर्वेक्षण करवाने का औचित्य नहीं है।

अगस्त, 1973 के आन्दोलन के दौरान ड्यूटी पर आने वाले लोको रनिंग कर्मचारियों को दी गई नकदी

3213. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 अगस्त से 13 अगस्त, 1973 के आन्दोलन में ड्यूटी पर आने वाले लोको रनिंग कर्मचारियों को उनके सामान्य भत्तों के अतिरिक्त नगदी तथा खाना दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे भुगतानों की दर सभी केन्द्रों पर समान थी;

(ग) इसके लिये क्या दर निर्धारित की गई और ऐसे भुगतान की मंजूरी किस प्राधिकार के अंतर्गत की गई थी; और

(घ) कुल कितनी धनराशि दी गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (घ) आन्दोलन के दौरान ड्यूटी देने वाले लोको रनिंग कर्मचारियों को नगद पुरस्कार दिये गये हैं। 13–8–1973 को संसद् में रेल मंत्री द्वारा दिये गये उस बयान के अनुसार ही ऐसा किया गया है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा था कि देश की अनिवार्य सेवाओं को चालू रखने के लिये जिन कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और सभी ओहदों के अधिकारियों ने जो अच्छा काम किया है और कर्तव्य निष्ठा की जिस भावना का परिचय दिया है, उसके लिये इस अवसर पर वह उन सब की भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी सेवायें निष्फल नहीं जायेंगी। उनमें से अनेक को जोर-जबरदस्ती और हिंसा का सामना करना पड़ा और उन्हें चोटें आयीं। अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में की गयी उनकी प्रशंसनीय सेवाओं के लिये उन्हें पूरी तरह पुरस्कृत किया जायेगा और मुझे विश्वास है कि संसद् इस विषय में मुझसे एकमत होगी। सभी रेल प्रशासनों पर निष्ठावान कर्मचारियों को कुल 20 लाख रुपये के नकद पुरस्कार देने की स्वीकृति दी गयी है। अन्य बातों के साथ-साथ ड्यूटी पर आये कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए विभिन्न रेल प्रशासनों द्वारा इस राशि का वितरण किया जायेगा। इसलिये प्रत्येक मामले में दी जाने वाली पुरस्कार की राशि एक-समान नहीं हो सकेगी

निर्वाचनों में व्यय के बारे में उच्चतम न्यायालय का मत

3214. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार 1968 के घासीराम बनाम दल सिंह के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये मत को

2/Lok Sabha/74-6

ध्यान में रखते हुए लोक हित की आड़ में निर्वाचनों के ठीक पूर्व निर्वाचन-क्षेत्रों में वैवेविक अनुदानों से संदाय करने से तथा धन व्यय करने से बचने के लिये कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : घासीराम बनाम दल सिंह और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये मत की ओर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों, साथ ही भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का ध्यान दिलाया गया था । सरकार ऐसा समझती है कि इस बारे में विधि में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध करना, उसे कठोर बनाना होगा और इसलिये उसकी बजाय इस बात को परम्पराओं द्वारा विनियमित किया जाना चाहिये ।

प्रबन्ध-बोर्डों में परिवार का नियन्त्रण

3215. श्री समर मुखर्जी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिये प्रबन्ध - बोर्डों में पारिवारिक नियंत्रण को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्देश दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ): (क) तथा (ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का केवल मात्र कार्य उसको एकाधिकर एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत संदर्भित मामलों में अपना परामर्श देना है । आयोग ने प्रबन्ध में "पारिवारिक नियंत्रण" को कम करने के विषय में कोई इस प्रकार का सामान्य परामर्श नहीं दिया है । हालांकि प्रस्तावों पर धारा 21 और 22 (आयोग को उन संदर्भित सहित) के अन्तर्गत निर्णय लेते समय सरकार उपक्रमों के प्रबन्ध पर "पारिवारिक नियंत्रण" को कम करने के प्रश्न पर ध्यान दे रही है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

फर्मों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों से पेनल के कार्य तथा निर्णय में विलम्ब

3216. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा व्यापार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि फर्मों द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों से पेनल के कार्य में तथा निर्णयों में विलम्ब होता है;

(ख) फर्मों द्वारा अपनाये जाने वाले ऐसे विलम्बकारी तरीकों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) आयोग के पास अभी तक कितने मामले लम्बित हैं और कितने समय से है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की कोई भी सामान्य आरोप नहीं लगाया गया है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की 21 और 22 धाराओं के अन्तर्गत 28-4-1973 से 3-11-1973 के मध्य आयोग को संदर्भित सात मामले, आयोग में लम्बित है । प्रतिबन्धात्मक व्यापार थाओं में जांच से संबंधित 12 मामले, जो आयोग के समक्ष दिसम्बर, 1972 और अक्तूबर 1973 के मध्य भेजे गय थे, भी लम्बित हैं ।

नाईलोन उद्योग शुरु करने के लिए तमिलनाडु सरकार से आवेदन-पत्र

3217. श्री था० किरुतिनन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में मदुरै के निकट नाईलोन उद्योग आरम्भ करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) लाइसेंस जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख) जी हां। नायलोन धागे के प्रतिवर्ष 2100 मीटरी टन के उत्पादन के लिये एक यूनिट को स्थापित करने के लिये 29 दिसम्बर 1971 को तमिलनाडु इण्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन को सरकार ने एक आशय पत्र जारी किया।

(ग) राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा पेश किये गये विदेशी सहयोग एवं पूंजीगत वस्तुओं के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

योजना आयोग के जांचाधीन उड़ीसा को बड़े और माध्यमिक दर्जे की परियोजनाएं

3218. श्री अर्जुन सेठी : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की बड़े और माध्यमिक दर्जे की कितनी परियोजनायें योजना आयोग के विचाराधीन हैं; और

(ख) उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिनकी पांचवीं योजना के आरम्भ होने से पूर्व स्वीकृत हो जाने की संभावना है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा की एक बृहत् और आठ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की जांच की जा रही है।

(ख) यदि केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग तथा वित्त मंत्रालय की टिप्पणियों के उत्तर राज्य सरकार से समय पर प्राप्त हो जाते हैं तो यह संभावना है कि पांचवीं योजना के आरम्भ होने से पूर्व राज्य की निम्नलिखित 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की तकनीकी जांच पूरी हो जायेगी :–

1. रमियाला
2. रमनंदी–चरण–एक
3. बविलटी
4. जोरी
5. बधुआ–चरण-दो
6. हरभंगी

बड़े व्यापार गृहों द्वारा कास्टिक सोडा उद्योग की स्थापना

3219. श्री राज राजसिंह देव : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कास्टिक सोडे की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने बड़े गृहों तथा विदेशी कम्पनियों को कास्टिक सोडे के नये कारखाने लगाने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ग) कितने व्यापार गृहों तथा विदेशी कम्पनियों में नये कारखाने लगाने हेतु आवेदन-पत्र दिये हैं; और

(घ) प्रस्तावित नये कारखाने के चालू होने के पश्चात देश में कास्टिक सोडे की सप्लाई स्थिति किस सीमा तक सुधर जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :(क) वर्ष 1970 से उत्पादन में तदनुरूपी वृद्धि के अनुसार मांग अधिक होने के कारण कास्टिक सोडा की कुछ कमी हुई। स्थापित क्षमता में वृद्धि तथा तदनन्तर उत्पादन में वृद्धि से सप्लाई स्थिति में काफी देर से सुधार हुआ है।

(ख) कास्टिक सोडा बड़े औद्योगिक घरों एवं विदेशी कम्पनियों की सूची में रखा गया है।

(ग) अप्रैल, 1971 से अक्टूबर, 1973 तक प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों की संख्या 15 है।

(घ) कास्टिक सोडा यूनिट में उत्पादन कार्य कुछ देरी से होगा तथा समस्त स्वीकृति देने के बाद आशा है कि उसमें उत्पादन लगभग 3 वर्ष बाद प्रारम्भ किया जा सकता है। तथापि कार्यान्वयनाधीन कास्टिक सोडा के चालू होने पर अतिरिक्त उत्पादन प्रारम्भ होगा जिससे सप्लाई स्थिति में सुधार होगा।

Simultaneous Issue of Orders in Hindi and English

3220. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the arrangements made in his Ministry and subordinate offices to see that all general orders are issued in both Hindi and English languages simultaneously in pursuance of the Official Languages Act ;

(b) the number of cases brought to the notice during the last quarter in which letters, circulars, memoranda and other orders falling in the category of general order were issued by his Ministry and subordinate offices in English only and their Hindi version was not issued simultaneously; and

(c) the action taken or proposed to be taken in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Translation and Publication of Codes and Manuals in Hindi

3221. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of pages of Codes and Manuals, separately, translated into Hindi by Railway Board and each of the various Railway Administrations during 1972 and the number of pages, out of them, printed after finalisation :

(b) whether this work exceeds the prescribed quota or falls short of it; and

(c) the arrangements being made for expeditious disposal of the remaining work connected therewith ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Meeting of Official Language Implementation Committees

3222. Shri Sudhakar Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Official Language Implementation Committees have been constituted and their meetings are held regularly in the Railway offices of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, Himachal Pradesh, Haryana, Punjab and Maharashtra in accordance with Government's Policy; and

(b) if not, the work yet to be done in this regard and the action being taken in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a)&(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha,

Bilingual Printing of Railways Forms and Notifications.

3223. **Shri Sudhakar Pandey :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether at present forms and notifications in Railways are being published in English only ;

(b) if so, the number of forms and notifications published in English only during 1972-73 ; and

(c) the action taken to ensure that Railway forms are printed in bilingual form, in Hindi and English, and the notifications are published in Hindi and English simultaneously ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) The information is being collected and the same will be placed on the table of the House.

सड़क और रेल सेवाओं में समन्वय

3224. श्री पी० वेंकटा सुब्बैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़क और रेल सेवाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये हाल में कोई प्रयास किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए और यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) से (ग) जी हां।

फरवरी, 1973 में परिवहन विकास परिषद की दसवीं बैठक में, सड़क और रेल सेवाओं में और अधिक समन्वय स्थापित करने के लिये निम्नलिखित निष्कर्ष निकले :—

(i) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 में संशोधन करके राज्य सरकारों को अनुज्ञात्मक अधिकार की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वे राज्य परिवहन प्राधिकारणों में उन क्षेत्रों के रेलवे प्रतिनिधियों को ले सकें जहां रेल-सड़क समन्वय की आवश्यकता है।

(ii) विभिन्न प्रकार के परिवहन के समन्वय संबंधी प्रश्नों पर विचार करने के लिये राज्य-स्तरों पर वैसी ही परिवहन विकास परिषदें स्थापित की जायें जैसी परिवहन विकास परिषद केन्द्र में है।

(iii) उन क्षेत्रों के विकास के लिये जहां यातायात की संभावना तो हो परन्तु वहां इस समय रेलें न चलती हों, रेल और सड़क सेवाओं की मिली-जुली व्यवस्था करना। राज्य सरकारें अपने संबंधित क्षेत्रों में, रेल-उद्गमों से यातायात ले जाने–ले आने के लिये सड़क-वाहन का बेड़ा उपलब्ध करायें।

उपर्युक्त मद के निष्कर्ष को जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय ने आगामी, मोटरवाहन संशोधन बिल में शामिल करने के लिये दर्ज कर लिया है। मद (ii) और (iii) के निष्कर्ष राज्यों के जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय को भेज दिये गये हैं। तीन राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, आन्ध्र तथा पश्चिमी बंगाल ने अब राज्यस्तर पर परिवहन विकास परिषदों की स्थापना कर ली है जिनमें रेलों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। मद (iii) के अधीन राज्य सरकारों से अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिले हैं किन्तु इस समय रेलों द्वारा 165 आउट एजेंसियां चलायी जा रही हैं।

Drug Licences given to Parties from Indore

3225. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7987 on the 24th April, 1973 and state :

(a) whether the information promised therein has since been collected ; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan): (a) & (b) One industrial licence for manufacture of drugs has been given to a party in Indore. As regards drug licences issued under Drugs & Comsetics act the information is still being collected.

In so far as information concerning import licences is concerned, firmwise data on import licences issued are not maintained. However, particulars of all import licences issued are published in the 'Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences' copies of which are supplied to the Parliament Library.

20 firms in Indore have obtained licences for the import of drugs during the last three years. Enquiries against one firm M/s. Shah Chemical Works have revealed that they have misutilised the licence valued at Rs. 33,100. Action has been initiated against this firm under I.T.C Regulations. Enquiries against the remaining firms are still in various stages of investigation. It is not in the public interest to disclose the names of parties at the stage of enquiry.

विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आरोप

226. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी नियंत्रित अथवा विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों की शाखाओं तथा सहायक कम्पनियों की 1960-61, 1970-71 और 1971-72 में प्रदत्त पूंजी, कुल आस्तियां, कुल लाभ तथा लेनदेन कितना था;

(ख) भारत में काम कर रही बहुराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रणाधीन कितनी विदेशी कम्पनियों पर गत पांच वर्षों में निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आरोप लगाये गये हैं;

(ग) इनमें प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का स्वरूप क्या है; और

(घ) इन आरोपों के लिये यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) नवीनतम दो वर्षों अर्थात् 1969-70 और 1970-71 की अवधि में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के अन्तर्गत यथा-परिभाषित विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायकों की प्रदत्त पूंजी कुल, आस्तियां, कुल लाभ (अर्थात् कर से पूर्व लाभ) और लेनदेन का मूल्य और विदेशी कम्पनियों को भारत में शाखाओं में आस्तियां, लेन देन कुल लाभ का मूल्य निम्नांकित है। विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की भारत के लिये प्रदत्त पूंजी अलग से प्रयोजन हेतु नहीं रखी गई है।

विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक (करोड़ रुपयों में)

	1969-70	1970-71
1. प्रदत्त पूंजी	256.2	272.7
2. कुल आस्तियां	1032.4	1078.1
3. कुल लाभ	141.4	149.9
4. लेन देन/बिक्री	1406.7	1577.0

कम्पनी अधिनियम की धारा 591 के अन्तर्गत यथा-परिभाषित विदेशी कम्पनियों की शाखाएं

(करोड़ रुपयों में)

	1969-70	1970-71
1. *आस्तियां	1411.5	1468.6
2. *लेन देन/बिक्री	1535.6	1888.2
3. *कुल लाभ	39.9	52.0

*31-3-1972 तक भारत में कार्यरत 541 कम्पनियों में से 522 से संबंधित शेष 19 कम्पनियां केवल विश्व लेखा रखती है' और उनका भारतीय कम्पनियों के संबंध में अलग लेखा नहीं है।

1960-61 वर्ष की दोनों प्रकार की कम्पनियों की समरूप सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने अभी तक अपना स्थान ग्रहण नहीं किया

3227. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल विधान सभा के कितने निर्वाचित सदस्यों ने अभी तक अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है; और

(ख) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे के अपने बिजलीघरों के लिए स्वीकृत परिव्यय

3228. **श्री मधु लिमये**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपने बिजलीघर बनाने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या ये ताप बिजली घर कोयले अथवा किसी अन्य ईंधन का प्रयोग करेंगे ;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं का कुल परिव्यय कितना है; और

(घ) इनको कब चालू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलों ने योजना आयोग के परामर्श से तीन नये ताप बिजली घर बनाने के लिये सर्वेक्षण करने और परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिये कार्रवाई की है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार और एक पश्चिम बंगाल में होगा ।

(ख) से (घ) प्रस्तावित बिजली घर में कोयले का उपयोग होगा ।

आशा है, पांचवीं योजना में लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे । परियोजना अध्ययन पूरा हो जाने के बाद ही पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा ।

बिजलीघरों को पानी की आवश्यकता

3229. **श्री ई० वी विखे पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की वर्षा ऋतु के पश्चात सरकारी क्षेत्र के बिजलीघरों से संलग्न प्रत्येक जलाशय में कितना पानी था;

(ख) क्या विद्यमान पानी की मात्रा प्रत्येक बिजलीघर द्वारा बिजली उत्पादन के लिये पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक बिजलीघर को कितनी कमी का सामना करना पड़ रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिजली घरों से संबद्ध बृहत् जलाशयों मानसून के बाढ़ जल की मात्रा उपाबंध में दिखायी गयी है ।

(ख) और (ग) विद्युत के सामान्य उत्पादन के लिये वर्तमान जल की मात्रा रिहन्द, शरावती और मचकुण्ड परियोजना के मामलों को छोड़कर पर्याप्त है । इन मामलों में ऊर्जा में निम्नलिखित मात्रा तक कमी होने का अनुमान लगाया गया है :–

रिहन्द	35%
शरावती	10%
मचकुण्ड	30%

विवरण

1973 की मानसून के पश्चात जलाशयों में जल संचय

जहां स्थित है	जलाशय	मानसून के पश्चात संचय (मिलियन घन मीटरों में)
हिमाचल प्रदेश	गोविन्दसागर (भाखड़ा)	8840
केरल	मटुपट्टी	55
	अनियरांगल	40
	शोलियार	150
	पोनमुड़ी	54
	पम्बा	38
	काक्को	450
मध्य प्रदेश	गांधीसागर	7350
महाराष्ट्र	कोयना	2770
मैसूर	लिंगनमक्को (शरावती)	3010
	तुंगभद्रा	2980
उड़ीसा	हीराकुंड मचकुंड	8140
	मचकुंड	400
	बलिमेला	3820
राजस्थान	राणाप्रताप सागर	2800
तमिलनाडू	मेट्टूर	1720
उत्तर प्रदेश	रिहंद	5220

बदरपुर बिजलीघर का रखरखाव

3231. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

(क) क्या बदरपुर बिजलीघर का रखरखाव अच्छा नहीं है और उसके बन्द होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) बदरपुर ताप केन्द्र अभी हाल ही में चालू किया गया है तथा इसे प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इसके समुचित प्रचालन के लिये सरकार सभी समुचित उपाय कर रही है ।

Memorandum by Indian Railways Checking Staff Association.

3232. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Indian Railway Ticket Checking Staff Association has submitted any memorandum to him ;

(b) if so, the main features thereof and the action being taken by Government in this regard ; and

(c) the number of Travelling Ticket Examiners and Ticket Collectors in the Indian Railway at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The number of Travelling Ticket Examiners and Ticket Collectors in the Indian Railways are about 9,500 and 9,000 respectively.

इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा अनल्जिन का उत्पादन

3233. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को भारत में अनल्जिन के उत्पादन के लिये कब और कितनी क्षमता का लाइसेंस दिया गया है;

(ख) उत्पादन कब से प्रारम्भ हुआ और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का इन वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन क्या था;

(ग) इन वर्षों के दौरान अनल्जिन की कितनी मात्रा का आयात करना पड़ा;

(घ) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने 1972–73 के दौरान अपने स्वयं के 'फार्म्युलेशन' के लिये कितने अनल्जिन का उपयोग किया और क्या इसमें से भी कुछ मात्रा आयातित भंडार में से थी ;

(ङ) इंडियन एण्ड फार्मास्यूटिकल्स ने 1972–73 के दौरान अपने उत्पादन में से किन-किन (फार्म्यूलेटर्ज) को अपनी ये औषधि दी और कितनी मात्रा में; और

(च) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्थिटिकल्स लिमिटड की अनल्जिन की उत्पादन लागत क्या है; आयातित अनल्जिन की सी०आई०एफ० लागत क्या है और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स ने अन्य फार्म्यूलेटर्ज से कितना मूल्य लिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 10 मीटरी टन अनलजिन के निर्माण के लिये मार्च 1962 में आई०डी०पी०एल० को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। इस की क्षमता को 105 मीटरी टन तक बढ़ाने के लिये दिसम्बर 1970 को एक आशय पत्र जारी किया गया था और इसके बाद अप्रैल 1972 को एक और आशय पत्र जारी किया गया था जिस में प्रतिवर्ष 160 मीटरी टन की क्षमता की इजाजत दी गई थी। आशय पत्रों को मई 1973 में 160 मीटरी टनों के लिये औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया था।

(ख) एनलजिन का उत्पादन 1967–69 में शुरू किया गया था।

उत्पादन के वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	मात्रा (मीटरी टनों में)
1967–68	0.23
1968–69	3.62
1969–70	16.34
1970–71	34.12
1971–72	77.73
1972–73	79.48
1973–74 (अप्रैल से नवम्बर तक)	95.06

(ग) 1970–71 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान एनलजिन के लिए आयात का ब्यौरा इस प्रकार है :–

1970–71	78 मीटरी टन
1971–72	76 मीटरी टन
1972–73	111 मीटरी टन

(घ) आई०डी०पी०एल० ने अपने 11.4 मीटरी टन सूत्रयोग इस्तेमाल किया इसमें आयातित स्टाक नहीं था।

(ङ) वर्ष 1972–73 के दौरान एनलजिन संगठित तथा छोटे पैमाने के क्षेत्र की लगभग 100 फर्मों को दिया गया था। आई०डी०पी०एल० के अपने उत्पादन से इस प्रकार बांटी गई कुल मात्रा 70 मीटरी टन थी।

(च) 1967 से लेकर आई०डी०पी०एल० अपनी क्षमता को 10 मीटरी टन से बढ़ाकर 160 मीटरी टन तक की वर्तमान क्षमता से संबंधित विस्तार कार्य में लगा रहा है। क्षमता में सतत परिवर्तनों तथा उत्पादन में वृद्धि होने के कारण अभी तक उत्पादन की कोई सही लागत आंकी नहीं जा सकी है। इस सामग्री की सी०आई०एफ० लागत प्रति किलोग्राम 38.33 रुपये तथा 48.44 रुपये के बीच है जो प्रति किलोग्राम 66 रुपये से 87.44 रुपये की उतरे हुए माल की लागत के अनुरूप है और प्राप्त वर्तमान कोटेशनें प्रति किलोग्राम 65 रुपये से 75 रुपये सी०आई०एफ० के लगभग है जिससे उतरे हुए माल की लागत प्रति किलोग्राम 110 रुपये से 116 रुपये के लगभग हो जायेगी। देशीय तथा आयातित दोनों सामग्रियों के लिये एनलजिन की बिक्री के लिये पूल्ड मूल्य प्रति किलोग्राम 137 रुपये है और यह वह मूल्य है जो आई० डी०पी०एल० दूसरे उत्पादकों से लेता है।

कोकण विकास निगम लिमिटेड द्वारा फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र की स्थापना

3234. श्री शंकर राव सावंत : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोकण विकास निगम लिमिटेड ने कोलाबा जिले में पनवेल के निकट फास्फेटिक उर्वरक संयंत्र शुरू करने के लिये आशय पत्रों की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई; और

(ग) क्या महाराष्ट्र में उर्वरकों की अत्यधिक कमी को देखते हुए सरकार इस प्रस्ताव पर शीघ्र विचार करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) इस संबंध में आवश्यक पत्र जारी करने के लिये अभी तक कोई औपचारिक निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सरकार को सूचित किया गया है कि इस क्षेत्र में ऐसी प्रायोजना की स्थापना करने की संभावनाओं का राज्य सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

अधिकांश शेयर प्राप्त करने के लिए 'एस्सो' से बातचीत

3237. श्री प्रसन्नभाई महता
श्री एम० एस० संजीवीराव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी तेल कम्पनी 'एस्सो' के साथ सरकार को अधिकांश शेयर बेचने की उनकी पेशकश के बारे में कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या मंत्रालय और एस्सो, के प्रतिनिधियों के बीच 31 अक्तूबर, 1973 को बैठक हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) क्योंकिसंपूर्ण मामला सरकार के विचाराधीन है और बातचीत भी अभी जारी है अतः इस संबंध में कोई भी जानकारी इस समय कठिन होगी।

बर्मा आयल कम्पनी के अध्यक्ष के साथ तटदूर तेल की खोज के बारे में बातचीत

3238. श्री मोहम्मद शरीफ
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा आयल कम्पनी के अध्यक्ष के साथ तट-दूर तेल की खोज के बारे में हाल ही में कोई बातचीत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Biggest Twenty Houses and their Assets

3239. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Law, Justice And Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the biggest twenty industrial houses of the country ; and

(b) the total assets of each of them in 1964 and the assets for the last three years, separately ?

Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua): (a) and (b) In the light of the revised industrial Licensing Policy announced by the Government in February, 1973, undertakings registered under section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, which by themselves or together with their interconnected undertakings have assets not less than Rs. 20 crores, or otherwise attract the provisions of section 20 of the M.R.T.P. Act, are considered as large Industrial Houses.

The names of the top twenty Houses according to the total assets in 1971 of the undertakings registered under to MRTP Act from each house are shown in the annexed statement along with the respective values of assets.

The MRTP Act does not require the undertakings registered under section 26 to furnish information on changes in the value of assets from year to year.

Statement

Statement showing the names of top twenty industrial houses according to the total value of assets. in 1971 of undertakings registered under section 26 of Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969 upto 30-9-1973

Sl. No. (1)	Name of the House (2)	No. of undertakings Registered under Section 26 (3)	Value of Assets (1971) (Rs. Crores) (4)
1.	Tata	25	701.83
2.	Birla	45	496.94
3.	Mafatlal	23	234.87
4.	Martin Burn	13*	168 42*
5.	I.C.I.	7	136.94
6.	Thapar	30	129.46

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	A.C.C.	3	128.35
8.	Shri Ram	5	113.56
9.	J.K. Singhania	31	109.08
10.	Walchand	14	96.07
11.	Sarabhai	20	95.89
12.	Macneill & Barry Binny	30	95.34
13.	Esso	3	93.96
14.	Scindia	5	87.85
15.	India Tobacco	5	74.80
16.	Kirloskar	12	73.57
17.	Bangur	16	72.85
18.	Kasturbhai Lalbhai	32	73.60
19.	Parry	9	69.53
20.	T.V.S. Iyongar	16	65.88

*Including two undertakings with total assets of Rs. 127.93 crores the management of which has subsequently been taken over by the Government in July 1972.

Bye-elections to Vidhan Sabhas

3240. Shri Atal Bihari Vajpayee
Shri Mukhtiar Singh Malik :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of places where bye-elections to the Vidhan Sabhas are to be held and the dates thereof ; and

(b) the dates on which these seats fell vacant and the reasons in each case for delaying these bye-elections ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary: (a) and (b) A Statement containing the required information is attached. **[Placed in the Library, See No. LT-5899/73]**

अल्जीरिया में भारतीय तेल उपक्रम के संबंध में समझौता

3241. श्री प्रबोध चन्द्र
श्री बी० मायावन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्जीरिया में भारतीय तेल उपक्रम के संबंध में उस देश के साथ कोई समझौता हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तापीय बिजलीघरों के रखरखाव और परिचालन संबंधी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में "पावर इकानामी कमेटी" की सिफारिशों की क्रियान्विति

3242. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पावर इकानामी कमेटी' द्वारा 1970 में की गई ये सिफारिश क्रियान्वित नहीं की गई है कि किसी भी तापीय बिजली घर के रख-रखाव और परिचालन संबंधी कर्मचारियों की नियुक्ति बिजलीघर के चालू किये जाने की वास्तविक तिथि से कम से कम 18 मास पूर्व की जाये और उन्हें निर्माण से संबद्ध रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्युत मितव्ययिता समिति की यह सिफारिश राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के ध्यान में उनके कार्यान्वियन के लिये ला दी गई है। विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में सिफारिश का क्रियान्वयन एक संतत प्रक्रिया है और यह राज्य बिजली बोर्डों/परियोजना अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जाता है।

दूसरे दर्जे के डिब्बों को समाप्त करने से तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होना

3243. श्री रण बहादुर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे दर्जे के डिब्बों को समाप्त किये जाने के उपरांत तीसरे दर्जे के डिब्बों में यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) दूसरे दर्जे के डिब्बे समाप्त करने के उपरांत प्रत्येक जोन में गाड़ियों में तीसरे दर्जे के कितने डिब्बे जोड़े गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि गाड़ियों से दूसरे दर्जे का स्थान समाप्त करने की प्रक्रिया फलस्वरूप, जो कि 31 मार्च, 1974 तक पूरी होगी, तीसरे दर्जे के यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो गयी है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे प्लेटफार्मों पर बेची जाने वाली चाय के लिए थर्मोस पद्यति लागू करना

3244. श्री रण बहादुर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्लेटफार्मों पर केतलियों में बेची जाने वाली चाय घटिया किस्म की होती है क्योंकि फेरीवाले उसे बहुत बार गर्म करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फेरीवालों को यह आदेश दने का है कि प्लेटफार्मों पर चाय बेचने के लिये 'थर्मोस' पद्धति का उपयोग प्रारंभ करें; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) केतली से दी जाने वाली बनी बनायी चाय उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि चायदानी या थरमस फलास्क में दी जाने वाली चाय।

(ख) और (ग) अन्तर्गस्त लागत को ध्यान में रखते हुए इस सुझाव की जांच की जायेगी।

तलाक संबंधी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रस्ताव

3245. श्री रण बहादुर सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के सभी संप्रदायों के लिये तलाक संबंधी कानूनों में एकरूपता लाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच इस मामले में विचारों की एकरूपता नहीं है ।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र

3246. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम को विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत स्वीकृति के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने आवेदन पत्र वापस ले लिये गये और कितने मंजूर किये गये ;

(ग) कितने प्रस्ताव रद्द कर दिये गये हैं और कितन अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) उद्योगों के और अधिक विस्तार की अनुमत्ति देने की क्या कसौटी अपनाई गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(घ) धारा 21, जो उपक्रमों के अधिक प्रसार से संबंधित है और धारा 22 जो नव उपक्रमों की स्थापना से संबंधित है, इन धाराओं के अन्तर्गत आवेदन-पत्रों के अनुमोदन हेतु निम्नलिखित तीन सामान्य मापदण्डों का उल्लेख करती हैं :–

(1) प्रस्तावित प्रसार सामान्य जन के अहित में आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण की संभावनायें उत्पन्न न करें

(2) जनहित के विपरीत संभावित न हो और

(3) प्रसार हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन जनहित में समीचीन होगा ।

इन सामान्य मापदण्डों के अतिरिक्त, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 28 उल्लेख करती है कि उद्योगों के आगे प्रसार हेतु प्रस्तावों के अनुमोदन की अनमति देते हुए, केन्द्रीय सरकार, वे समस्त मामले जो विशषतः स्थितियों से संबंधित हों और अन्य उपकरणों में हों और जो भी उसके सामने आयेंगे, पर ध्यान देगी और देश की सामान्य आर्थिक स्थिति के अनुकूल निम्नलिखित विशेष मापदण्ड को मान्य करेगी :–

(क) अत्यधिक दक्ष और आर्थिक साधनों द्वारा इस प्रकार की और गुणायुक्त सामग्री के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण की उपलब्धि, उस मात्रा में और उस मूल्य पर भारत की रक्षा और गृह तथा समुद्रधारीय बाजारों की आवश्यकताओं की बहुत अच्छी तरह पूर्ति करेंगी ।

(ख) व्यापार को, इस प्रकार संगठित किया जाये कि उसकी दक्षता प्रगामी रूप से बढ़े;

(ग) भारत में कार्मिकों, सामग्री और औद्योगिक क्षमता के भली प्रकार प्रयोग एवं वितरण को सुनिश्चित किया जाये

(घ) व्यापार में तकनीकी एवं उद्योग विद्धा विकासों को प्रभावी करना तथा विद्यमान मार्केट का प्रसार और नये मार्केटों के खोलने को प्रभावी करना

(ङ) सामान्य जन के अहित में आर्थिक शक्ति के सकेन्द्रण म प्रति प्रभावी शक्ति के रूप में नव उद्यमों को प्रोत्साहित करना

(च) सामान्य सामग्री के उपयोगी होने म सामुदायिक सामग्री श्रोतों के नियंत्रण को विनियमित करना और

(छ) विभिन्न क्षेत्रों और अधिकतर रूप से पिछड़े रह गये हैं क्षत्रों से संबंधित में विकास असमानता कम करना ।

विवरण

1–12–1973 तक, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत प्राप्त नोटिस/आवेदन-पत्र की स्थिति

	धारा 21	धारा 22	धारा 23	योग
1. प्राप्त संख्या	325	98	71	494
2. वापिस लिये गयों की संख्या	31	13	19	63
3. अनुमोदितों की संख्या	108	21	37	166
4. मुक्त/अनुमोदन आवश्यक नहीं की संख्या	92	8	—	100
5. अस्वीकृत की संख्या	19	5	8	32
6. अनिर्णीतों की संख्या	75	51	7	133
योग	325	98	71	494

Steps taken for expeditious disposal of Election Petitions

3247. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Law Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether no time limit has been fixed for the disposal of election petitions ;

(b) whether courts take long time in deciding these petitions and in some cases by the time the decision is given, the term of the candidates is already expired ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to ensure expeditious disposal of these petitions ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice & Compan Affairs (Shri Nitiraj Chaudhary): (a) & (b)As it may not be desirable or even feasible to fix a definit etime-schedule for the disposal of an election petition, it has been provided in sub-section (7) of section 86 of the Representation of the People Act, 1951, that every election petition shall be tried as expeditiously as possible and endeavour shall be made to conclude the trial within six months from the date on which the election petition is presented to the High Court for trial. Subsequent to the amendment made in 1966 in the said Act by which Election Tribunals were abolished and High Courts have been made the forum for the trial of election petitions, statistical analysis has revealed that, by and large, election petitions are being disposed of more expeditiously than before. No instance wherein by the time the decision is given by the court on the election petition the term of the candidate has already expired, has come to the notice of Government.

(c) Does not arise.

First Class quota for Lucknow Express at Hathras

3248. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether no quota of First Class berths in Lucknow Express has been provided at Hathras Jn. ; and

(b) if so, the reasons therefor and the difficulties in the way of fixing the quota?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) There is no traffic justification for setting apart an exclusive quota in first class by 84 Dn. Lucknow Express for Hathras railway station. Occasional demands when received are met from the train originating station to the extent feasible.

रेलों के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजनाएं बनाने के लिए 'सेल'

3249. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के कार्य की नियमित आधार पर योजनायें बनाने के लिये रेलवे मंत्रालय में कोई आयोजना 'सेल' है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : जी हां । रेलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये आवश्यकतानुसार योजना बनाने के लिये एक पूर्ण विकसित योजना निदेशालय है । उसका अध्यक्ष एक निदेशक है जिसकी सहायता के लिये संयुक्त निदेशक तथा उप-निदेशक हैं ।

रेलवे का संतुलित विकास

3250. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा कर विकसित क्षेत्रों में अधिक और तेज गति से चलने वाली गाड़ियां चलाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) समस्त देश में रेलवे का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) विभिन्न खन्डों पर यातायात की मात्रा तथा अपेक्षित साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त गाड़ियां चलायी जाती हैं जिनमें तेज गाड़ियां भी शामिल हैं । अतः इस संबंध में किसी क्षेत्र विशेष की उपेक्षा का प्रश्न नहीं है ।

रेलवे विभाग द्वारा तमिल नाडु में चलाई जा रही शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम

3251. श्री जी० विश्वनाथन
श्री था० किरुतिनन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा तमिलनाडु में कितनी शिक्षा संस्थायें चलाई जा रही हैं; और

(ख) कितनी संस्थाओं में शिक्षा का माध्यम तमिल है और उनके नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तमिल नाडु राज्य में रेल प्रशासन द्वारा 20 स्कूल चलाये जा रहे हैं ।

(ख) 20 स्कूलों में से निम्नलिखित 11 स्कूलों का माध्यम तमिल है :–

1. रेलवे मिश्रित बहु-उद्देश्यीय हाई स्कूल, गोल्डन राक
2. रेलवे मिश्रित मिडल स्कूल (तमिल माध्यम) जोलारपेट्टे
3. रेलवे मिश्रित प्राइमरी स्कूल (पूर्वी क्षेत्र), गोल्डन राक
4. रेलवे मिश्रित प्राइमरी स्कूल (उत्तरी क्षेत्र), गोल्डन राक
5. रेलवे मिश्रित प्राइमरी स्कूल, सेलम
6. रेलवे मिश्रित परम्परागत प्राइमरी स्कूल, तिरुचिरापल्ली गुड्सयार्ड
7. रेलवे मिश्रित परम्परागत प्राइमरी स्कूल, विल्लुपुरम
8. रेलवे मिश्रित परम्परागत प्राइमरी स्कूल, ताम्बरम
9. रेलवे मिश्रित परम्परागत प्राइमरी स्कूल, अरकोणम
10. रेलवे मिश्रित परम्परागत प्राइमरी स्कूल, पोदानूर
11. रेलवे मिश्रित परम्परागत प्राइमरी स्कूल, शेनकोट्टा

साबरमती (अहमदाबाद) और विरार (बम्बई) लाइन (पश्चिम रेलवे) का विद्युतीकरण

3252. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में साबरमती (अहमदाबाद) और विरार (बम्बई) ब्राडगेज लाइन के विद्युतीकरण का कार्य समयावलि के अनुसार चल रहा है; और

(ख) इन दोनों स्टेशनों के बीच विद्युत-चालित यात्री एवं माल गाड़ियों का आना-जाना कब तक प्रारम्भ होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अहमदाबाद-बड़ौदा खण्ड पर यह काम कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो गया है। शेष खण्ड में अर्थात् बड़ौदा से विरार तक अपरिहार्य तथा अप्रत्याशित बाढ़ कार्यों को शुरू करने के कारण, जिनमें कि पटरी को ऊंचा करना पड़ा है, इस काम में विलम्ब हो गया है।

(ख) शुरू में माल गाड़ियां ही बिजली द्वारा चलायी जायेंगी। बिजली चालित यात्री गाड़ियां अहमदाबाद-बड़ौदा खण्ड पर 1974-75 में और बड़ौदा-वलसाड़-बम्बई खण्ड पर 1976-77 में चलाये जाने की संभावना है।

Construction of Embankments on Sikarahna River in Bihar

3253. Shri K.M. Madhukar : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether construction of embankments on both sides of Sikarahna river has come to a standstill and the pace of work in the areas contiguous to river Ganga is also very slow ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the actual amount given to Bihar this year under the head 'flood control' and salient features of its utilisation?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a)& (b) The scheme for the construction of embankments on both sides of Sikarahna river prepared by the State Government of Bihar at a cost of Rs. 5.29 crores has not yet been approved for inclusion in the Plan. A scheme for construction of embankment on the right bank of the Ganga from Buxer to Koilwar was approved for implementation at a cost of Rs. 10.1 crores in May, 1973. It is now under execution and the expenditure to the end of September, 1973, was Rs. 13.5 lakhs. The programmed expenditure during 1973-74 is Rs. 1.83 crores.

(c) Flood control forms part of the State Plan. Central assistance to the Plan schemes is given in the form of bulk loans and grants and there is no earmarked assistance to flood control schemes. However, special financial assistance of Rs. 100 lakhs has so far been released to the State Government of Bihar during1973-74 outside the Plan for the speedy implementation of some priority flood control schemes. This release is made on the basis of expenditure on the priority flood control schemes over and above the provision made in the Annual Plan for 1973-74. The priority schemes for which this assistance has been given are (1) Mahananda Embankment Scheme (2) Construction of embankments on right side of Ganga from Buxar to Koilwar and (3) Raising and strengthening of existing embankments along the Ganga.

Allotment of Railway Fallow Land 1972—73

3254. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether allotment of fallow land lying along the Railway tracks was made during 1972-73 ;

(b) whether allotment of land was made to Government employees on uniform basis but the proportion of Harijans thereon was less ; and

(c) if so, the total area of land allotted and the criteria followed for allotment ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) Surplus cultivable railway land in station yards and railway colonies is allotted to Railway employees but no special reservation is made for Harijans. The proportion of railway land allotted to Harijans *vis-a vis* non-Harijan railway employees is not known.

(c) 12,685 hectares of railway land were allotted to 26,810 railway employees as on 31-3-1973. The surplus cultivable railway land is allotted to railway employees taking into account factors like (i) date of receipt of application, (ii) employees' place of work, (iii) past performance in respect of (a) due fulfilment of the licence and (b) abiding by the terms of the licence agreement.

Accidents on Western Railway during the last five months

3255. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of Railway accidents on the Western Railway as a result of acts of sabotage during the last five months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : During the period 1.6.1973 to 31.10.1973 there was one such accident on the Western Railway.

Ticketless Travellers on Southern Railway during the last five months

3256. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons prosecuted on the charge of ticketless travelling on the Southern Railway during the last five months ; and

(b) the amount realized from them as fine ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 9,998 (during the period May to September, 1973)

(b) Rs. 15,057

Accidents due to technical defects and human failures on Southern Railway during the last five months

3257. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents that occurred due to technical defects and human failures on the Southern Railway during the last five months ;

(b) the number of accidents in respect of which inquiries were conducted ;

(c) whether action has been taken against the persons responsible for the accidents; and

(d) if so, the number of persons found responsible and the action taken against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) During the last five months *i.e.* Ist June, 73 to 31st October'73 there were 40 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Southern Railways. The causes of these accidents are as under :

Cause		No. of accidents
(i) Failure of railway staff	—	23
(ii) Failure of persons other than railway staff	—	11
(iii) Failure of railway equipment	—	3
(iv) Accidental	—	2
(v) Cause could not be established	—	1
Total		40

(b) to (d) Inquiries have been conducted into all the accidents. Out of 26 persons so far held responsible disciplinary action has already been finalished and taken against 10 railway employees as under :

(i) Withholding of increments for varying periods	6
(ii) Withholding of passes	1
(iii) Censured	3
Total	10

Chain pulling cases on Southern Railway during the last five months,

3258. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of chain pulling cases registered in the Southern Railway during the last five months; and

(b) The steps proposed to be taken by Government to check such cases in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 3,313 cases of alarm chain pulling have been registered on Southern Railway during the five months from May, to Sept. 1973.

(b) The main measures taken by Railway Administration to check this evil are indicated below :—

(i) Posting of plain clothed T.T.Es and Railway Protection Force men in III class compartment ;

(ii) conducting of surprise checks by anti-alarm chain pulling squads, consisting of T.T.Es and Railway Protection Force personnel ;

(iii) arranging of special embush checks by ticket checking staff in collaboration with the staff of Railway Protection Force ;

(iv) conducting of educative campaigns in the press, through poster, cinema-slides etc. and by announcements on the Public Address System provided at important Stations ;

(v) creating of consciousness among the students about the evil of alarm chain pulling through lectures in educational institutions by Senior Railway Officers;

(vi) offering of rewards for apprehending chain pullers; and

(vii) blanking off of the alarm chain apparatus on trains which are chronic victims of chain pulling.

पश्चिम बंगाल में समुद्री कटाव से डीगा की रक्षा करना

3259. श्री समर गुह

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीगा की सुरक्षा के लिये जिसे समुद्री भूमि कटाव से गंभीर खतरा है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ख) इस समय डोगा के समक्ष समुद्री-कटाव के कारण जो खतरे हैं, उनकी व्यापकता और स्वरूप का पता लगाने के लिये क्या सरकार ने आवश्यक अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) दोधा में समुद्र कटाव समस्या का अध्ययन भारत सरकार द्वारा गठित समुद्र तट कटाव बोर्ड द्वारा किया गया था। बोर्ड के विशेषज्ञों ने दिसम्बर, 1972 में स्थल का निरीक्षण किया था। बोर्ड ने सिफारिश की है कि कटाव पर प्रभावशाली नियंत्रण के निमित्त समुद्रतट को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा। इस प्रकार के सुदृढ़ीकरण हेतु बालू पम्प प्राप्त न होने तक चुनी हुई पहुंचों में समुद्र दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिये जिसके अभिकल्प को पूना स्थित केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जाना है। इसके पूरक के रूप में, समीपवर्ती क्षेत्रों से ट्रकों द्वारा रेत लाकर सुदृढ़ कार्य किये जाने चाहिएं :

पश्चिमी बंगाल को राज्य सरकार ने जो कि इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी है, सूचना दी है कि 1973 में मानसून आरंभ होने से पूर्व 2 लाख रुपये की लागत पर 220 मीटर की लम्बाई में शिलाखण्ड लगाने के रूप में तात्कालिक कार्य किये गये और इनसे अच्छे परिणाम निकले हैं। आठ लाख रुपय की और धनराशि आगामी मानसून के पूर्व अतिरिक्त 330 मीटर लम्बाई की सुरक्षा के लिये स्वीकृत की गई है।

पूना स्थित केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला ने हाल में और सुरक्षा स्कीमों को तैयार करने में उपयोग करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को समुद्र-दीवार के अभिकल्प सप्लाई किये हैं।

पश्चिम बंगाल में तापीय बिजली परियोजना की स्थापना

3260. श्री समर गुह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पश्चिम दीनाजपुर जिले में एक तापीय बिजली परियोजना की स्थापना के लिये सरकार वचनबद्ध है;

(ख) क्या प्रस्तावित बिजली परियोजना से उत्तर बंगाल तथा बिहार के निकटवर्ती क्षेत्रों की बिजली की सप्लाई होगी;

(ग) यदि हां, तो अंतिम निर्णय किये जाने तथा परियोजना का निर्माण आरंभ किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके निर्माण के लिये प्रस्तावित समय-सूची क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) डलखोला पर एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिये परियोजना, जिसमें इसका क्षेत्र, कार्यन्वयन अनुसूची आदि शामिल हैं, अभी विचाराधीन हैं। इस संबंध में अन्तिम निर्णय लेना पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही संभव होगा।

संसद् भवन के रेस्तरां में काम कर रहे रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करना

3261. श्री समर गुह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद भवन के रेलवे के रेस्तरां में काम कर रहे चतुथ श्रेणी के कर्मचारियों की विभिन्न शिकायतें दूर करने हेतु उन्हें अभ्यावेदन दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों का स्वरूप क्या है और उनके द्वारा की गई अपील का सारांश क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिये और बर्तनों की टूट-फूट के लिये उनसे कोई वसूली न की जाये ।

(ग) कर्मचारियों का स्थायी किया जाना इस निर्णय पर निर्भर करता है कि क्या संसद् का रेस्तरां स्थायी रूप से चलाया जायेगा । यह निर्णय लिया जाना अभी बाकी है । कर्मचारियों से टूट-फूट के लिये कोई वसूली नहीं की गयी है । लेकिन केवल ऐसी चीजों के कम पाये जाने और गुम हो जाने के लिये वसूली की गयी है जो स्पष्ट रूप से कर्मचारियों की सुपुर्दगी में थीं ।

केरल में समुद्र में भूमि कटाव

3262. श्री सी० जनार्दनन
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तट पर समुद्र से नये क्षेत्रों पर भूमि कटाव, बढ़ता जा रहा है तथा यह अधिकाधिक गहन होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केरल तट पर समुद्री भूमि कटाव का प्रभाव पूर्ण ढंग से मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केरल में समुद्र कटाव की समस्या सुविदित है । केरल राज्य सरकार जोकि सुरक्षा कार्यों के आयोजन तथा कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रथम योजना से समुद्र कटाव रोधी उपायों का क्रियान्वयन कर रही है । चतुर्थ योजना के अन्त तक लगभग 320 किलोमीटर में से जोकि कटाव से बुरी तरह प्रभावित होता है, लगभग 100 किलोमीटर को सुरक्षा मिल जायेगी जिस पर लगभग 17 करोड़ रुपये व्यय होंगे । पांचवीं योजना के दौरान समुद्र कटाव रोधी कार्यक्रम में तेजी लाने का प्रस्ताव है ।

औषधि-निर्माता फर्मों द्वारा अनधिकृत उत्पादन के लिए दण्ड

3263. श्री सी० जनार्दनन
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 28 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4664 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई सूचना एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) औषधियों के अनधिकृत उत्पादन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और अनधिकृत उत्पादन करने वालों को क्या दण्ड दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं । कुछ औषध उत्पादकों से सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(ख) अपेक्षित सूचना के प्राप्त होने पर इस पर विचार होगा ।

कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले एकाधिकार गृहों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

3264. श्री एस० एम० मिश्र : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों का अनुचित तरीकों से रजिस्ट्रेशन करके कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये वर्ष 1972–73 में 1 अक्तूबर, 1973 तक कितने मामलों में सरकार ने जांच-पड़ताल की है; और

(ख) उन एकाधिकार गृहों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) सूचना संग्रह की जा रही है व सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

रेलवे-वैगनों के गुम हो जाने के बारे में जांच

3265. श्री एस० एन० मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों की गलतियों के कारण प्रतिदिन लगभग 100 से अधिक रेल वैगनों के गुम हो जाने के बारे में सरकार ने कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलमंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां ।

(ख) जो मालडिब्बे असंबद्ध हो जाते हैं अथवा गलत जगह भेज दिये जाते हैं उन्हें अन्ततः संबद्ध कर दिया जा है और उनको ठीक गन्तव्य स्थान पर भेज दिया जाता है । प्रतिदिन लगभग 25,000 लदान किये जाने वाले मालडिब्बों में से असंबद्ध हो जाने वाल मालडिब्बों का प्रतिशत बहुत ही कम अर्थात 0.4 प्रतिशत बैठता है । मालडिब्बों के असंबद्ध हो जाने अथवा गलत जगह भेज दिये जाने का कारण मालडिब्बों के लेबलों का खो जाना अथवा उनका अस्पष्ट होना है । मालडिब्बों के असंबद्ध होने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और उन्हें उनके असंबद्ध होने तथा गलत जगह भेज दिये जाने की घटनाओं की रोकथाम तथा उन्हें शीघ्र संबद्ध करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

(i) इन हिदायतों को फिर दुहराया गया है कि मालडिब्बों के लेबुल साफ-साफ नीली पैंसिल से लिखे जायें; प्रेषक और गन्तव्य स्टेशनों के पूरे नाम बड़े अक्षरों में लिखे जायें ।

(ii) रेलों को हिदायत दी गयी है कि यदि एक ही स्टेशन के लिये बुक किये गये मालडिब्बों की संख्या 20 से अधिक हो जाये तो प्रेषक तथा गन्तव्य स्टेशनों के नाम लेबुलों पर छाप दिये जायें ।

(iii) रेलों को यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि चिपकाये जाने वाले लेबुल बन्द मालडिब्बों के दरवाजों के भीतरी पैनल पर लगाये जायें तथा बांधे जाने वाले लेबुल खुले मालडिब्बों के दरवाजे के दस्ते पर दोनों ओर बांधे जायें ।

(iv) रेलों को हिदायत दी गयी है कि मार्का लगाने तथा लेबुल लगाने संबंधी हिदायतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये अकसर निरीक्षण किया जाये ।

(v) कम्प्युटर असंबद्ध मालडिब्बों को विलम्बित मालडिब्बों से सुमेल के लिये एक योजना चालू की गयी है ।

नैरो गेज बी०ए०के० लाइन के लिए यात्री किराये की ऊंची दरें (पूर्व रेलवे)

3266. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व रेलवे के अधीन होने के बावजूद ऊंची दर पर और एक भिन्न आधार पर नैरो गेज बी०ए०के० लाइन के यात्री किरायों में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : बर्दवान-कटवा छोटी लाइन खण्ड पहले प्राइवेट कम्पनी के नियंत्रण और प्रबंध के अधीन था । 1966 में इसका प्रबंध केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । उस समय इस खण्ड पर लिया जाने वाला किराया सरकारी रेलों के किराये से भिन्न था । तीसरे दर्जे का किराया मेल गाड़ी के तीसरे दर्जे से कुछ कम परन्तु सरकारी रेलों के साधारण तीसरे दर्जे के किराये की अपेक्षा कुछ अधिक था । इस खण्ड पर पहले और दूसरे दर्जे के लिये लिया जाने वाला किराया सरकारी रेलों की तुलना में कम था । इन किरायों में अचानक वृद्धि न की जाये इसे ध्यान में रखते हुए प्रबंध हाथ में लेते समय यह निर्णय किया गया कि निर्धारित दरें ही लागू रहें । इसके बाद भी इन किरायों में की गयी वृद्धि सरकारी रेल प्रणाली पर विद्यमान किरायों की वृद्धि से अधिक नहीं है ।

बर्दवान-आसनसोल सेक्शन में ई०एम०यू० कोचों को चलाने की तारीख

3267 श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्दवान-आसनसोल सेक्शन में ई०एम० यू० कोच चलाने की सम्भावित तारीख क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : फिलहाल बिजली गाड़ियों को बर्दवान-आसनसोल खण्ड तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसके लिये बड़े पैमाने पर स्टेशनों के ढांचों में परिवर्तन तथा पक्की संरचनाओं का स्थानान्तरण करना पड़ेगा।

विभिन्न रेलगाड़ियों की प्रति किलोमीटर औसत आय और व्यय

3268. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे में वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों ई०एम०यू० गाड़ियों और कम दूरी की गैर-उपनगरीय यात्री गाड़ियों की प्रति किलोमीटर औसत आय तथा खर्च क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : आमदनी और खर्च का हिसाब अलग-अलग गाड़ियों के लिये नहीं रखा जाता।

पूर्व रेलवे पर, 1971–72 के लिये प्रति गाड़ी किलोमीटर औसत कोचिंग आमदनी 14.86 रुपये थी। इस के मुकाबले कर्षण की लागत 18.35 रुपये थी।

पूर्वी रेलवे के बर्दबान-आसनसोल सेक्शन में द्रुत-परिवहन-प्रणाली

3269. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के बर्दवान-आसनसोल सेक्शन में द्रुत-परिवहन-प्रणाली के संबंध में रेलवे विभाग का क्या कार्यक्रम है; और

(ख) उसकी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस समय ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी एक्सप्रेस से कुल आय तथा उस पर कुल व्यय

3270. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राजधानी एक्सप्रेसों की (सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चों सहित) कुल आय तथा व्यय क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : व्यय का हिसाब गाड़ीवार नहीं रखा जाता। लेनिक इन गाड़ियों के चलाने में जो प्रत्यक्ष व्यय आता है उसका अनुमान लगाया गया है। इन प्रत्यक्ष व्यय में डीजल तेल की खपत, इंजन कर्मीदल, गाड़ी कर्मचारी आदि की लागत और व्याज तथा सवारी डिब्बों और इंजनों का ह्रास शामिल होता है लेकिन रेलपथ, सिगनल और दूर-संचार और ऊपरी उपस्कर आदि का खर्च शामिल नहीं होता। गाड़ियों में खान-पान सेवा का खर्च भी लेखे में नहीं लिया गया है। जैसा कि ऊपर प्रत्यक्ष व्यय का अनुमान लगाया गया है और हावड़ा नयी दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल-नयी दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस से जो आमदनी 1972–73 के दौरान हुई है उसका व्यौरा इस प्रकार है :–

प्रत्यक्ष व्यय

(i)	हबड़ा और नयी दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस के लिये	(क) सामान्य तौर पर 4 वातानुकूल चेयर कार और एक वातानुकूल शयन यान लगाये जाने पर 14,000 रु० प्रति फेरा

(ख) एक अतिरिक्त वातानुकूल चेयरकार यान लगाये जाने पर 15,000 रु० प्रति फेरा

(ii) बम्बईसेन्ट्रल और नयी दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस के लिये 18,900 रु० प्रति फेरा

1972–73 की आमदनी

(i) नयी दिल्ली और हबड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के लिये	40,381 रु० प्रति फेरा
(ii) नयी दिल्ली और बम्बई सेन्ट्रल के बीच राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के लिये	33,084 रु० प्रति फेरा

(गाड़ी चलाने की तारीख 17–5–72 से 31–3–73 तक)

साबुन रहित मैल साफ करने वाले पदार्थों (नान सोपी डेटरजेंट) की आवश्यकता और उत्पादन

3271. **श्री मधु दंडवते :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साबुन रहित मैल साफ करने वाले पदार्थों (नान सोपी डेटरजेंट) की खपत तथा आवश्यकता कितनी है; और

(ख) क्या भारतीय निर्माता इनकी आवश्यकतायें पूरी करने में समर्थ हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख) देश में कपड़े धोने की सामग्री की आवश्यकता को लान्ड्री साबुन तथा संश्लिष्ट प्रक्षालक के द्वारा पूरा किया जाता है । 1972 में कपड़े धोने के साबुन का उत्पादन लगभग 6 लाख मीटरी टन तथा जिसमें 59,794 मीटरी टन घरेलू डिटरजेंट (प्रक्षालक) सम्मिलित है । देश में कपड़ा धोने के साबुन की आवश्यकता में वृद्धि एवं भोजन और तेल की आयात पर विदेशी मुद्रा की बचत तथा साबून बनाने के लिये चर्बी के संबंध में तेल बचाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संश्लिष्ट प्रक्षालक में उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है । देश में कपड़े धोने के साबुन की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये सैन्थेटिक डिटरजेंट के पर्याप्त उत्पादन करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

उच्चतम न्यायालय में श्रम न्यायपीठ की स्थापना में विलम्ब

3272. **श्री मधु दंडवते :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सभी रिक्त पदों को भरने में सकार की असफलता के कारण उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा श्रम न्यायपीठ की स्थापना किये जाने में विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या इस विलम्ब के कारण बोनस महंगाई भत्ता, पद-च्युति और भविष्य निधि संबंधी श्रमिकों के बहुत से मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या श्रम न्यायपीठ के न्यायाधीशों को श्रम संबंधी मामलों से भिन्न मामले भी सौंपे जायेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता । किसी समय, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसा निर्देश देते हैं, तो श्रम न्यायपीठ के न्यायाधीश भी अन्य मुकदमें सुन लेते हैं ।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में रेल लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता देना

3273. श्री मधु दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास के लिये मूलभूत ढांचा बनाने के लिये पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां तो क्या महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में नई रेल लाइनों के बारे में कोई अन्तिम निर्णय दिया गया है और रेल-मार्गों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) विकास के लिये आवश्यक नये रेल संपर्कों के निर्माण के लियें एक नयी नीति पर विचार किया जा रहा है जिसकी घोषणा 1973-74 का बजट पेश करते समय रेल मंत्री जी के भाषण के पैरा 41 में की गयी थी।

(ख) ऊपर भाग (क) में निर्दिष्ट नयी नीति यदि सरकार द्वारा अनुमोदित हो गयी तो जिन नयी लाइनों का निर्माण शुरु करना होगा उनका चुनाव अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र का संबंध है वाणी-चनका लाइन के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है।

रेलवे ईंधन के मूल्यों में वृद्धि

3274. श्री यमुना प्रसाद मण्डल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा डीजल के मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ रेलवे के ईंधन के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) भट्ठी-तेल की कीमत बढ़ जाने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे के ईंधन की लागत में 5 लाख रुपये की वृद्धि हो जायेगी। लेकिन हाल में हाई स्पीड डीजल तेल की कीमत में अधोगामी संशोधन के कारण चालू वित्तीय वर्ष में 1.3 करोड़ रुपये की बचत होगी।

पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर विश्राम गृहों तथा शयन गृह का निर्माण

3275. श्री योगेश चन्द्र मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर विश्राम गृह तथा शयन गृह बहुत दिनों से निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो उनका निर्माण कार्य किस तिथि तक पूरा हो जायेगा तथा उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) क्या पटना सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर सफाई की स्थिति और गाड़ियां खड़ी करने के स्थान के सुधार के लिये वहां बहुत कर्मचारी हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) लगभग 36,000 रुपये की लागत से एक विश्रामालय और शयनागार का काम हाल में पूरा हुआ है।

(ग) पटना सिटी स्टेशन पर, यातायात की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वाहन ठहराने का स्थान आमतौर पर पर्याप्त रहता है और सफाई की स्थिति समान्यतः सन्तोषजनक रहती है।

Formulation of a new scheme for power

3276. Shri M.C. Daga: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has formulated a new scheme in order to expedite availability of electricity throughout the country; and

(b) if so, the main features of the scheme?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b) In order to expedite and improve availability of electricity throughout the country, wide-ranging efforts are being made including:

(i) maximising the utilisation of existing installations for generation and transmission

(ii) expediting the completion of power projects in hand.

(iii) promoting coordinated/integrated operation of power systems on a regional/inter regional basis.

(iv) assisting States in construction of inter-State/inter-regional transmission lines.

Distribution of irrigation water on socialistic pattern

3277. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the benefits of the irrigation dams in the country are availed of only by 70 per cent affluent farmers and the poor and small farmers are not getting irrigation water even for 10 bighas of land; and

(b) if so, whether a national policy will be evolved in the country in regard to distribution of irrigation water on socialistic pattern?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b) Dams are located on techno-economic considerations, the distribution of water for irrigation purposes, from irrigation schemes, is controlled by the State Governments. According to information available, the systems of water distribution prevalent do not discriminate against the small farmers.

परिवहन के दौरान चुराई गई वस्तुओं के दिये गये मुआवजों के रूप में हुई हानि

3278. **श्री गदाधर साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से सितम्बर 1973 के दौरान परिवहन में चुराई गई वस्तुओं का मुआवजा दिये जाने के फलस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या हानि में वृद्धि होती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जनवरी से सितम्बर, 1973 तक की अवधि में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दावों की कुल संख्या और मुआवजे के रूप में जो भुगतान किया गया वह इस प्रकार था :–

	1972	1973	अन्तर
भुगतान किये गये दावों की संख्या	2,54,008	2,20,968	(—) 33,040
मुआवजे के रूप में भुगतान (लाख रुपये में)	945.00	1,043.26	(+) 98.26

घटनाओं में कमी के बावजूद भुगतान की गयी रकम में वृद्धि मुख्यतः बढ़ती हुई कीमतों के कारण है ।

ऊपर दिये गये आंकड़े सभी प्रकार के कारणों से संबंधित दावों से हैं । जनवरी से सितम्बर तक की अवधि में होने वाली केवल हानि, चोरी और उठाईगिरी के कारण भुगतान की गयी दावों की रकम के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) सरकार इस समस्या के प्रति सजग है और स्थिति में सुधार लाने के लिये सभी संभव व्यापक उपाय किये जा रहे हैं ।

चोरी के आरोप में रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

3279. श्री अजित कुमार साहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चोरी करने अथवा चोरों के साथ सांठ-गांठ करने के आरोप में रेलवे सुरक्षा दल के कुल कितने कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) तत्संबंधी यदि कोई मुख्य बातें हैं, तो क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रेल संपत्ति की चोरी करने या अपराधियों के साथ सांठ-गांठ करने के संबंध में वर्ष 1973 के दौरान (सितम्बर तक) 158 रेलवे सुरक्षा दल कार्मिकों को गिरफ्तार किया गया । इनमें से 65 को भारतीय अपराध संहिता और 93 को रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया । सरकार इस समस्या के प्रति सचेत है और रेलवे सुरक्षा दल के पुर्न संगठन की योजना में जो क्षेत्रीय रेलों पर क्रियान्वित की जा रही हैं सभी स्तरों पर और अधिक कड़ाई के साथ निगरानी की व्यवस्था है ।

नई इण्डेन गैस कनैक्शन देने पर प्रतिबन्ध

3280. श्री जी० वाई० कृष्णन्
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **पेट्रोलयम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत के और पश्चिम भारत के भागों में स्थित केन्द्रों पर भारतीय तेल निगम द्वारा बेची जाने वाली इण्डेन कुकिंग गैस की सप्लाई के लिये निगम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर भी नये उपभोक्ताओं के नाम दर्ज किये जाने पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां तो उक्त गैस सरलता से खुले बाजार में कब तक उपलब्ध हो सकेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) ईंधन गैस की कमी जो उन क्षेत्रों जहां कोयाली शोधनशाला द्वारा गैस सप्लाई की जाती है में अप्रत्याशित कारणों से उत्पन्न हुई है, को देखते हुए भारतीय तेल निगम को यह सलाह दी गई है कि वह नये ग्राहकों का नामांकन सरकार की पूर्व-अनुमति के बिना न करे । नये नामांकनों की स्वीकृति केवल विशेष मामलों में विधिमान्य कारणों से दी जाती है ।

उपरोक्त कमियां केवल कुछ समय के लिये है तथा स्थिति के अति-शीघ्र सामान्य होने की आशा है ।

आंध्र प्रदेश में श्री सैलम पन-बिजली परियोजना का निर्माण

3281. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी
श्री पी० एन्थनी रेड्डी :

क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में श्री सैलम पन-बिजली परियोजना के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इस परियोजना के कब तक चालू किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गहरे चैनल भाग में बांध को गहनतम नींव स्तर से 556 फुट के औसत स्तर तक ऊंचा कर दिया गया है । ब्लाक 6 से 11 और 16 से 17 में चिनाई कार्य प्रगति पर है । पावर सुरंग पर कार्य प्रौढ़ावस्था में है । बिजलीघर के लिये खुदाई कार्य शुरू कर दिया गया है । विद्युत-उत्पादन यूनिटों और उपस्कर की सप्लाई के लिये मैसर्स बी०एच०ई०एल० हरिद्वार को आदेश दे दिये गये हैं ।

(ख) प्रथम विद्युत-उत्पादन यूनिट को जून, 1977 में चालू करने की संभावना है । पांचवीं योजना अवधि में दो और यूनिटों को भी चालू कर दिया जायेगा ।

(ग) और (घ) परियोजना की अनुमानित लागत 38.48 करोड़ रुपये से बढ़कर 126.25 करोड़ रुपये हो गई है जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

(1) विद्युत उपस्कर की लागत में वृद्धि ।

(2) बिजली घर के अभिकल्प में परिवर्तन ।

(3) अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिये भुगतान किये जाने वाले मुआवजे में वृद्धि ।

(4) वास्तविक क्रियान्विति में पायी गई नीवों की कठिन प्रकृति ।

(5) श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि ।

(6) निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि ।

हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद नगरों के लिये सर्किट रेलवे के बारे में अभ्यावेदन

3282. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और सिकन्दराबाद नगरों के लिये एक सर्किट रेलवे की व्यवस्था किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) हैदराबाद-सिकन्दराबाद में सर्किट रेलवे का प्रश्न सितम्बर 1971 में दक्षिण मध्य रेलवे की संसद् सदस्यों की अनौपचारिक परामर्श समिति में उठाया गया था । संबंधित सदस्यों को यह बताया गया था कि योजना आयोग के कहने पर चौथी योजना में रेलों ने कलकत्ता, बम्बई दिल्ली और मद्रास महानगरों में महानगर रेल परिवहन की जिम्मेदारी ली । उपर्युक्त नगरों में तकनीकी-आर्थिक-व्यावहारिक अध्ययन के लिये प्राप्त अनुभवों के आधार पर रेलवे ने बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, और कानपुर जैसे उन शहरों में उक्त अध्ययन करने की अपनी इच्छा योजना आयोग को व्यक्त की, जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है ।

रेलों द्वारा तकनीकी-आर्थिक-व्यावहारिक अध्ययन प्रारम्भ करने से पहले संबंधित राजकीय यातायात कक्ष को प्रत्येक नगर के विस्तृत यातायात सर्वेक्षणों को संकलित करना है । आशा है योजना आयोग और संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस विषय में कार्रवाई की जायेगी ।

कव्वूर होकर बेला डिल्ला से भद्राचलन तक नई रेलवे लाइन

3283. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कव्वूर होकर बेलाडिला से भद्राचलन तक एक नई रेलवे लाइन बनाये जाने के बारे में कोई विस्तृत आर्थिक अध्ययन आरम्भ किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या परिणाम निकला तथा उसकी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) 1965 में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि बैलाडिल्ला-कुट्टेगुडम (भद्राचलम रोड) लाइन का औचित्य केवल तभी होगा, यदि दण्डकारण्य क्षेत्र में उद्योगों का विकास भारी पैमाने पर किया जाये जिसके संबंध में अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं । इसके अलावा, भद्राचलम रोड (कुट्टेगुडम) से कोव्वूर तक एक बड़ी लाइन बनाने के संबंध में पहले की रिपोर्ट को अद्यतन करने पर ज्ञात हुआ है कि यह लाइन अर्थक्षम नहीं होगी । इस स्थिति में, भद्राचलम के रास्ते बैलाडिल्ला से कोव्वूर तक एक रेलवे लाइन के निर्माण पर विचार करना कठिन होगा ।

कोट्टावलासा-किटंडूल लाइन की इष्ट तम क्षमता के बारे में सर्वेक्षण

3284. श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टावलासा-किट्डूल लाइन की क्षमता को इष्ट तम बनाने के लिये दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा आरम्भ किया गया सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) सर्वेक्षण दल ने लाईन क्षमता बढ़ाने के लिये कुछ निर्माण-कार्यों की सिफारिश की है जो इस प्रकार है :–

(1) अतिरिक्त पार स्टेशनों की व्यवस्था

(2) टोकन रहित ब्लाक उपकरणों की व्यवस्था

(3) रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

(4) वायवीय ब्रेकों से युक्त "बी०ओ०वाई०" माल-डिब्बों का उपयोग, आदि ।

करीमनगर होकर रामाकुंडम से निजामाबाद तक नई रेलवे लाइन के लिये आंध्र प्रदेश सरकार का प्रस्ताव

3285. श्री के० कोडंडा रामी रड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने करीमनगर होकर रामागुंड़स से निजामाबाद तक एक नई रेलव लाइन बनाये जाने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां । प्रस्तावित लाइन के लिये पहले जो सर्वेक्षण किये गये थे उन से पता चला कि यह प्रस्ताव बहुत ही अलाभप्रद था । दक्षिण मध्य रेलवे से अब पूर्ववर्ती सर्वेक्षण को अद्यतन करने के लिये एक अनुमान प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है । प्रस्तावित सर्वेक्षण के पूरा होने और उस पर रिपोर्ट मिलने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पदोन्नति तथा भर्ती की देखभाल के लिए सैल

3286. श्री वी० मायावन
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति तथा भर्ती की देखभाल के लिये रेल विभाग ने एक सैल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके निदेश पद क्या हैं, और

(ग) सैल कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे बोर्ड कार्यालय के सैल में एक अपर निदेशक और संयुक्त निदेशक के ग्रेड के दो सलाहकार हैं । प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में इस प्रयोजन के लिये एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी का पद बनाया गया है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों की भर्ती और पदोन्नति के लिये आरक्षण से संबंधित सरकार के विनिश्चयों का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिय यह सैल सभी संभव उपाय करेगा ।

(ग) इस सैल ने काम शुरू कर दिया है ।

पैट्रोल के दामों में वृद्धि से इसकी बिक्री में कमी

3287. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम
श्री पीलू मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल की कीमत में वृद्धि होने के बाद पेट्रोल की बिक्री में कमी आ गई है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) समस्त खपत पर बढ़े हुए मूल्यों के वास्तविक प्रभाव का अनुमान लगाना अभी असंभव है। किन्तु प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया गया है कि अनुमानित मांग के विपरीत प्रेषण में लगभग 25% की कमी हुई।

गुजरात में जल संकट का अनुमान लगाने के लिए राजकोट में अध्ययन दल

3288. श्री अरविन्द एम० पटेल
श्री वेकारिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात राज्य के राजकोट नामक स्थान पर उस क्षेत्र में जल संकट का अनुमान लगाने के लिये कोई अध्ययन दल भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है और न ही राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त हुआ है।

विदेशी तेल कम्पनियों तथा भारतीय तेल निगम के पैट्रोल भरने वाले स्टेशन तथा उनके लाभ की राशियां

3289. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एस्सो' तथा भारत में कार्य कर रही अन्य दो विदशी तेल कम्पनियों के पेट्रोल भरने वाले स्टेशनों की संख्या कितनी है तथा भारतीय तेल निगम और आयल इन्डिया लिमिटेड के पेट्रोल भरने वाले कुल स्टेशनों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या भारतीय तेल निगम तथा आयल इण्डिया लिमिटेड की तुलना में 'एस्सो' तथा अन्य दो विदेशी तेल कम्पनियों के कुल लाभ के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट उपलब्ध है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1-1-1973 को फुटकर पम्पों (पेट्रोल/हाइ स्पीड डीजल आयल भरने के स्टेशन) की संख्या निम्नलिखित थी :-

एस्सो ईस्टर्न इनकार्पोरिटेड	1920
बर्माशैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कं० आफ इण्डिया लि०	3478
कालटैक्स (इण्डिया) लि०	1372
आसाम आयल कं० लि०	155
इण्डियन आयल कार्पोरेशन	3274

*आयल इण्डिया लि० एक विपणन कम्पनी नहीं है।

(ख) 1972 में कराधान से पहले लाभ निम्नलिखित था :-

	(रु० लाखों में)
एस्सो ईस्टर्न इनकार्पोरिटेड	961.78
बर्मा शैल आयल स्टोरेज एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी आफ इण्डिया लि०	724.20
कालटैक्स (इण्डिया) लि०	189.34
आसाम आयल कंपनी लि०	126.70
इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड-वर्ष 1972-73 के लिये (मार्केटिंग डिवीजन)	3736.65

मिट्टी के तेल की कमी और इसकी चोर-बजारी

3290. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
श्री विभूति मिश्र :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुछ भागों, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में अगस्त, सितम्बर, और अक्तूबर, 1973 के दौरान मिट्टी के तेल की कमी अथवा उसकी भारी कमी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उन दिनों मिट्टी का तेल चोर-बाजार में मिल रहा था; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति पर नियंत्रण करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस अवधि के दौरान देश के कुछ भागों में रेलवे लोको कर्मचारियों की हड़ताल, बाढ़ एवं बाढ़ के कारण दरारें पड़ने से उत्पन्न संचार बाधाओं तथा बरौनी शोधनशाला में हड़ताल के कारण मिट्टी के तेल की कमी हुई । इस समय देश में मिट्टी के तेल की उपयुक्त सूचियां देश की पर्याप्त मांग को पूरा करने के लिये हैं ।

तट से दूर समुद्र के तेल निकालने के बारे में विदेशों के साथ बात-चीत

3291. श्री रेणुपद दास
श्री रघुनंदन लाल भाटिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट दूर छिद्रण के लिये विदेशों के साथ बात-चीत की जा रही है ;

(ख) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता हो गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जिन विशेष विदेशी पार्टियों ने हमारे कन्टिनैन्टल श्यल्प में अतटीय तेल समन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग के प्रस्ताव दिये थे, उनके साथ बातचीत प्रगति पर है । जैसा कि 12—11—1973 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 310 के उत्तर में पहले ही बताया गया है ।

(ख) इन बातचीत के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के लोको कर्मचारियों के आन्दोलन के दौरान अद्रा डिवीजन में शैड खलासियों की समाप्त की गई सेवाएं

3292. श्री समर मुखर्जी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के अद्रा डिवीजन में कुछ शैड खलासियों की सेवायें केवल इसलिये समाप्त की गई क्योंकि उनके पिताओं ने लोको संगचल कर्मचारियों के आन्दोलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या (1) सेवा समाप्ति के बारे में संबद्ध कर्मचारियों को कोई नोटिस दिया गया था तथा (2) सेवा समाप्ति की यह कार्यवाही लागू नियमों के अन्तर्गत थी;

(ग) क्या उन सभी कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर ले लिया गया है; और

(घ) क्या उन्हें उस अवधि की मंजूरी दे दी गई है जिस में उन्हें अवैधरूप से काम पर नहीं लिया गया था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) से (घ) जो अस्थायी शैड खलासी गैर कानूनी रूप से काम बंद करने वालों का साथ देते हैं अथवा उन्हें उकसाते हैं, उन्हें सेवा से बरखास्त किया जा सकता है और हड़ताल

के बाद उसका सेवा में बने रहना पुनरीक्षा पर निर्भर करता है । ऐसा केवल एक मामला हुआ था जिसमें बेटा जो अस्थायी खलासी था, गैर कानूनी हड़ताल में शामिल उन कर्मचारियों की सहायता कर रहा था जिनमें उसका बाप भी शामिल था । लेकिन हड़ताल के बाद पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप उसे वापस सेवा में रख लिया गया/एवजी/नैमित्तिक कर्मकारों के मामले में 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू होता है ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपनी आस्तियों का बेचा जाना

3293. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियां भारत में अपनी आस्तियों की बिक्री कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी बिक्री से उन्होंने कितनी धनराशि वसूल की;

(ग) क्या उक्त धनराशि को देश से बाहर भेज दिया गया है; और

(घ) विदेशी मुद्रा की इस बरबादी को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों के संबंध में विशेषज्ञ समिति

3294. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति पैट्रोलियम उत्पादों के लिये मूल्य नीति पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) भविष्य में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को निश्चित करने की पद्धति के लिये विशेषज्ञों की एक समिति की स्थापना करने का निर्णय किया गया है ?

औषध-निर्माता फर्मों पर मुकद्दमा चलाया जाना

3296. **डा० सरदीश राय :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन की मात्रा से संबंधित नियमों का पालन न करने पर जनवरी से अक्तूबर, 1973 के बीच कुल कितने औषध-निर्माताओं पर मुकदमा चलाया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आई०डी०पी०एल० संयंत्रों का विस्तार

3297. **डा० सरदीश राय :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०डी०पी०एल० के विभिन्न कारखानों के संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन के वर्तमान उत्पादन लक्ष्य तथा प्रस्तावित नये लक्ष्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) आई०डी०पी०एल० ने उत्पादन बढ़ाने के लिये अपने संयंत्रों के विस्तार हेतु प्रस्ताव भेजे हैं । पांचवीं पंच वर्षीय योजना बनाने के संबंध में इनकी जांच की जा रही है ।

बाढ़ के कारण कोयाली तेल शोधक कारखाने का बन्द हो जाना

3298. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ के कारण गत सितम्बर में कोयाली तेल शोधक कारखाने को बन्द करना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप इस तेल शोधक कारखाने को कितनी क्षति हुई और भविष्य में इस प्रकार की क्षति से इस तेल शोधक कारखाने को बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सितम्बर 1973 के माह में कोयाली शोधनशाला माही नदी में भारी बाढ़ आ जाने के कारण, जिसके परिणामस्वरूप पंपिंग स्टेशन पानी में डूब गया था, कुल तीन दिन की अवधि के लिये बन्द रही ।

(ख) उपरोक्त में बताये गये शोधनशाला के बन्द हो जाने के कारण 1.56 लाख रुपये की हानि हुई । शोधन शाला के चालू होने के बाद इस प्रकार की भयानक बाढ़ प्रथम बार आई । यह मालूम हुआ है कि गत 20 वर्षों के दौरान ऐसी भारी बाढ़ कभी देखने में नहीं आई । ऐसी परिस्थितियों से जो असाधारण होते हैं निपटने के लिये कोई विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में विद्युत प्रजनन हेतु भू-तापीय भाप का प्रयोग करना

3299. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में विद्युत प्रजनन हेतु भू-तापीय भाप का उपयोग करने की व्यवहारिकता का पता लगाने के लिये प्रयोग किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) इस परियोजना में ड्रिलिंग स्थलों का चयन करने की दृष्टि से दो क्षेत्रों, नामशः महाराष्ट्र से होकर गुजरने वाली पश्चिमी समुद्री तट ऊष्ण स्रोत धारा तथा हिमाचल प्रदेश में मंगेकरण ऊष्ण स्रोत क्षेत्र के प्रारंभिक भू-वैज्ञानिक, भू-रासायनिक, तथा भू-भौतिक अध्ययन करना परिकल्पित है जिनके उपरांत भू-विज्ञान, भू-रसायनशास्त्र, और भू-भौतिकी के विस्तृत अध्ययन किये जाने हैं । क्षेत्र की भू-तापीय शक्यता का मूल्यांकन करने के लिये मानांकन ड्रिलिंग की जायेगी और अगर यह खोज सफल रही तो भू-तापीय विद्युत संयंत्र परियोजना हाथ में ले ली जायेगी । इस खोज कार्य के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू०एन०डी०पी०) की सहायता प्राप्त होने की प्रत्याशा है ।

सिंचाई जलागार में रेत का भर जाना

3300. **श्री पो० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अत्यधिक रेत जमा होने तथा उसके परिणामस्वरूप सिंचाई जलागारों की क्षमता कम होने तथा उनके शीघ्र क्षतिग्रस्त होने के बारे में मालूम है; और

(ख) क्षमता को सुधारने तथा रेत जमा न होने देने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश में कुछ जलाशयों में गाद जमा होने की गति का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण तथा अवलोकन किये जा चुके हैं । इनसे पता चला है कि परियोजना के नियोजन के समय निर्धारित गति से वह गति आम तौर पर, कुछ अधिक थी। बहरहाल, ये अवलोकन कई सालों तक जारी रखने पड़ेंगे जब तक कि गाद जमा होने के विषय में कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं होता ।

(ख) ऐसे छोटे टेंकों को छोड़कर, वहां गाद को हटाया जा सकता है, खोई हुई क्षमता को उत्पन्न करने के लिये दूसरे जलाशयों से भरी हुई गाद को निकालने का कोई भी तरीका व्यवहार्य तरीका नहीं है । गाद जमा होने की गति को कम करने के लिये, कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन 21 नदी घाटी परियोजनाओं को अपवाह क्षेत्रों

में भू-संरक्षण उपाय किये जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी उनकी योजनाओं के भाग के रूप में नदियों के अपवाह क्षेत्रों में भू-संरक्षण उपाय कर रही हैं। हर संभव सीमा तक तलछट निकालने के लिये,यहां भी व्यवहार्य होता है, बांधों में अंडर-स्लूसों की व्यवस्था की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का वितरण

3301. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में, जो इस संबंध में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, मिट्टी के तेल तथा डीजल की वितरण व्यवस्था बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ख) क्या वितरण व्यवस्था में इन क्षत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को लगाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मिट्टी के तेल तथा डीजल आयल की मांग को पूरा करने के लिये सभी तेल कम्पनियों ने पहले से ही वितरण के विस्तृत प्रबन्ध कर रखे हैं। हाई स्पीड डीजल आयल का वितरण शहरों तथा देहातों में से गुजरने वाली बड़ी सड़कों पर स्थित तेल कम्पनियों के पैट्रोल पम्पों की मार्फत किया जाता है। मिट्टी के तेल तथा लाइट डीजल आयल का वितरण डीलरों की मार्फत किया जाता है। ये डीलर देहाती क्षेत्रों में इन उत्पादों की सप्लाई करते हैं। देहाती क्षेत्रों में लाइट डीजल आयल के वितरण को और आसान बनाने के लिये, भारतीय तेल निगम ने, इसके अतिरिक्त, देहाती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बैरल पम्प स्थापित किये हैं। कम्पनियों के वर्तमान पैट्रोल पम्पों के माध्यम से हाल ही में मिट्टी के तेल की बिक्री भी शुरू कर दी गई है। इस सुविधा को बढ़ाया जा रहा है। इस से देहातों में से गुजरने वाली बड़ी सड़कों पर स्थित पम्पों से भी मिट्टी का तेल उपलब्ध हो जायेगा।

(ख) इस समय भारतीय तेल निगम की डीलरशिप/एजेंसियां दिये जाने में अपंग सैनिकों, युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों को तरजीह दी जाती है। किसी एजेंसी/डीलरशिप के लिये उपर्युक्त वर्गों में से किसी उपयुक्त उम्मीदवार के उपलब्ध न होने पर ही, मध्य वर्ग के परिवारों के बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों को दिये जाने के लिये इस का विज्ञापन दिया जाता है। अब इन डीलरशिप एजेंसियों का 25% अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को नियत किया जायेगा।

राज्यों में कृषि के लिए बिजली के प्रयोग पर निश्चित शुल्क प्रभार

3302. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थापित प्रति हार्स पावर क्षमता पर फिक्स्डएन्वल चार्ज लगा कर कृषि संबंधी बिजली की खपत के लिये 'टैरिफ चार्ज' को कम किया जायेगा जिससे मोटरिंग, बिलिंग तथा लीविंग से होने वाली हानियों से बचा जा सके;

(ख) क्या किसी राज्य में ऐसी 'फिक्स टैरिफ' प्रणाली लागू है; और

(ग) क्या ऐसी प्रणाली को लागू करने के बारे में विचार किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) टैरिफ चार्जेज और उनकी गणना तथा उनको उगाहने का तरीका तय करना राज्य बिजली बोर्ड की जिम्मेदारियां हैं। जबकि प्रति होर्स पावर (एच०पी०) नियत वार्षिक चार्ज लगाने में कुछ लाभ हैं, उसमें कुछ कमियां भी हैं। पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने प्रति होर्स पावर एक नियत वार्षिक चार्ज लगान की प्रणालो अपनाई थी परन्तु अब वे इसको बन्द करने पर विचार कर रहे हैं ?

गोविन्द सागर झील के किनारों बसे भाखड़ा के विस्थापितों की समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन

3303. श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा के विस्थापितों और विशेष रूप से गोविन्द सागर झील के चारों ओर बसे हुए विस्थापितों की समस्याओं के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उस पर कोई निर्णय लिया गया है; और यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक कोई निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बहुत सी सुविधाओं की मांग करते हुए, कई अभ्यावेदन समय-समय पर भाखड़ा के विस्थापितों से प्राप्त हो चुके हैं। मांगी गई सुविधाओं में, पीने के लिये जल तथा भाखड़ा और निकटवर्ती ग्रामों के विद्युतीकरण, सड़कों तथा पुलों के निर्माण, बिलासपुर में धर्मशाला के निर्माण की व्यवस्था करना और भाखड़ा को माडल ग्राम के रूप में स्वीकार करना शामिल है।

(ख) और (ग) भाखड़ा बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिये हिसार जिले में कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उन विस्थापितों को जो इस सुविधा को लेना नहीं चाहते थे, उनकी भूमि तथा संपत्ति के लिये पूरा मुआवजा अदा कर दिया गया था और उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जलाशय क्षेत्र से बाहर पुनः बसाया जाना था।

फिर भी जैसा कि भाखड़ा परियोजना का नाम भाखड़ा ग्राम के नाम पर रखा गया है, भाखड़ा प्रबंध बोर्ड ने विशेष मामले के रूप में, भाखड़ा और अन्य ग्रामों को बिजली देने तथा पीने के जल की सप्लाई की व्यवस्था कर दी है। इन लोगों को भाखड़ा बांध के निकट बोर्ड के औषधालय में और नंगल में नहर हस्पताल में चिकित्सा संबंधी सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

अगस्त -- अक्तूबर, 1973 के दौरान एक्सप्रेस/मेल गाडियों का देरी से चलना

3304. प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी एक्सप्रेस/मेल गाड़ियां हैं, जो 1 अगस्त से 31 अक्तूबर, 1973 तक की अवधि के दौरान देरी से चलती रही हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी या किये जाने का विचार है कि ये गाड़ियां समय पर चलें ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मदशफी कुरेशी) : (क) उन एक्सप्रेस/मेल गाड़ियों के नामों का विवरण संलग्न है जिनके चलने में 1 अगस्त से 31 अक्तूबर, 1973 तक की अवधि में 40 प्रतिशत या अधिक अवसरों पर विलम्ब हुआ। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी 5900/73]**

(ख) उत्तर रेलवे सहित सभी रेलों की गाड़ियों के समय पालन पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा सभी स्तरों पर और चुनी हुई मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों पर रेलवे बोर्ड के स्तर पर कड़ी निगाह रखी जाती है। गाड़ियों के संचलन में सुधार लाने के लिये परिहार्य अवरोधों के बारे में कार्रवाई की जाती है और उन्हें दूर करने के बारे में कार्रवाई की जाती है। कुछ गाड़ियों में खतरे की जंजीरों को भी निष्क्रिय कर दिया गया है ताकि समय की पाबन्दी में सुधार किया जा सके।

हिमाचल एक्सप्रेस में खतरे की जंजीर की सुविधा का वापिस लिया जाना

3305. श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल एक्सप्रस में खतरे की जंजीर की सुविधा को वापस लेने के लिये एक सुझाव प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसका दुरुपयोग किये जाने के कारण गाड़ी बार-बार देरी से आती-जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अप्रैल, 1973 से 53 अप/54 डाउन हिमाचल एक्सप्रेस गाड़ियां पहले से ही खतरे की जंजीर को निष्क्रिय करके चलायी जा रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

3306. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री चौथी योजना में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को क्रियान्विति में प्रगति के बारे में 7 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2237 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसमें बताई गई बिहार के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनायें इस बीच पूरी कर ली गई हैं तथा उनके लिये नियत कुल धनराशि में से कितना व्यय किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या बिहार से प्राप्त योजनायें संख्या 6, 7 और 8 को विशेषकर, बागमती तथा कमला नदी समूह के लिये बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई योजनाओं में बदलने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कराचीन से बदलाघाट तक बागमती के दायें तट पर तटबंध के लिये और कमला बालाम तटबंध को ऊंचा उठाने तथा सुदृढ़ करने के लिये स्कीमें पूरी हो गई हैं। बिहार की अन्य स्कीमें, जो कि राज्य योजना का भाग हैं, बृहत् प्रकार की हैं जिनके लिये बृहत् परिव्ययों की आवश्यकता है और इसलिये उनका निर्माण संसाधनों की उपलभ्यता के अनुसार चरणबद्ध करना पड़ा है। इसके परिणाम-स्वरूप, उनके पूर्ण होने में कुछ समय लगेगा।

चौथी योजना के दौरान योजना स्कीमों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता समग्र ऋणों तथा अनुदानों के रूप में है और उनको किसी विशेष सैक्टर अथवा स्कीम के साथ नहीं जोड़ा गया है और राज्य सरकारें विभिन्न सैक्टरों तथा स्कीमों को धनराशि प्राथमिकता के आधार पर आवंटित कर सकती है। बिहार राज्य सरकार ने चौथी योजना अवधि के दौरान बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के लिये 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया था जिसके प्रति इस योजना के दौरान प्रत्याशित व्यय 14.98 करोड़ रुपये है।

बहरहाल, केन्द्र सरकार कुछ प्राथमिकता प्राप्त बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के कार्य में तेजी लाने के लिये योजना से बाहर विशेष सहायता, जो कि चौथी योजना के अंतिम दो वर्षों के दौरान 9 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी, देने के लिये सहमत हो गयी थी। प्राथमिकता प्राप्त स्कीमें जिनके लिये विशेष सहायता दी जा रही है, निम्नलिखित हैं :–

(1) बक्सर से कोयलवार तक गंगा के दक्षिण तट पर तटबंध का निर्माण।

(2) गंगा के साथ-साथ वर्तमान तटबंधों को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ करना।

(3) गण्डक पर तटबंध तथा सुरक्षा कार्यों का निर्माण।

(4) महानन्दा तटबंध स्कीम।

यह विशेष सहायता व्यय की प्रगति के अनुसार अवमुक्त की जाती है। अब तक दी गई धनराशि 3 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 6 करोड़ रुपये की शेष धनराशि को इस्तेमाल करने के लिये कार्यक्रम बना लिया है।

(ग) इन स्कीमों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है नामशः (1) कराचीन से बदलाघाट तक बागमती के दक्षिण तट पर तटबंध (2) कमला बलान तटबंध को ऊंचा तथा सुदृढ़ करना और (3) बागमती बाढ़ नियंत्रण स्कीम की बाढ़ नियंत्रण-मय सिंचाई स्कीमों में परिवर्तित करना। बागमती सिंचाई स्कीम नाम से एक अलग स्कीम 5.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत हो गई है और इसे क्रियान्वयन के लिये पहले ही शुरु कर दिया गया है।

Travelling on Roofs of Train running between Delhi and Ghaziabad

3308. Shri Ishwar Chaudhry: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a number of persons travel on the roofs of the trains running between Delhi and Ghaziabad;

(b) whether serious incidents took place several times as a result thereof; and

(c) whether Government propose to run some more trains to ease the accommodation shortage and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sh. Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Some passengers try to travel on the roofs instead of inside train compartments even when accommodation is available. Whenever persons are noticed travelling on roofs of trains they are persuaded to get down before departure of the train by the railway staff.

(b) No.

(c) Introduction of additional trains between Delhi and Ghaziabad is, at present, operationally not feasible due to strained line capacity enroute and for want of necessary terminal facilities at Delhi/New Delhi.

चालू वर्ष के दौरान बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों की हड़तालों के कारण बिजली उत्पादन में कमी होना

3309. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों की लम्बे समय तक चलने वाली हड़तालों के कारण बिजली उत्पादन में अब तक अनुमानतः कितनी कमी हुई ; और

(ख) ऐसी हड़तालों को रोकने और उनसे बचने के लिये सरकार ने क्या प्रभावी उपाय किये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार अगस्त-सितम्बर, 1973 की अवधि के दौरान विद्युत अभियंताओं द्वारा 'बैठे रहो' हड़ताल के कारण विद्युत के उत्पादन में कोई खास हानि नहीं हुई है । बहरहाल, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि इंजीनियरों की हड़ताल के कारण 23–4–73 और 27–4–73 के बीच लगभग 123 मैगावाट तक की जल विद्युत क्षमता को उपयोग नहीं किया जा सका था । प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों द्वारा हड़ताल के दौरान तोड़-फोड़ के कारण 2 अक्तूबर और 9 अक्तूबर, 1973 के बीच उत्तर प्रदेश में लगभग 100 मैगावाट की हानि हुई थी;

(ख) विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण मुख्यतः राज्य बिजली बोर्डों का उत्तरदायित्व है और अधिकांश विद्युत अभियंता और बिजली कार्मिक इन बोर्डों के कर्मचारी हैं । अतः विद्युत अभियंताओं और बिजली कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों पर राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना होता है । राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकारें इस मामले पर विचार कर रही हैं ।

सहकारी समितियों को रेलवे ठेके दिये जाने की योजना

3310. श्रीमती सावित्री श्याम
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने हाल ही में एक योजना की घोषणा की है जिसमें यह बताया गया है कि सहकारी समितियों को रेलवे के ठेके दिये जायेंगे और इसके लिये वित्तीय शर्तों की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा और कोई राशि जमा नहीं कराई जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) हाल के आदेशों के अनुसार माल, पार्सल, कोयला, कोयले की राख, सिंडर उठाने, राख गर्त-सफाई के लिये सम्हलाई ठेके अब ठेके के मूल्य पर ध्यान दिये बगैर, टेंडर मांगे बिना, वास्तविक कर्मचारियों की प्रमाणिक सहकारी श्रम ठेका समितियों को दिये जा सकते हैं । इन समितियों को रेलों से जो सुविधायें और रियायतें स्वीकार्य हैं वे इस प्रकार हैं :—

(क) कार्यालय, कैंटीन आदि के लिए 20 रुपये वार्षिक नाम मात्र के किराये पर स्थान की व्यवस्था ।

(ख) बिलों के प्रस्तुत कर देने के बाद एक सप्ताह के भीतर 90 प्रतिशत बिलों का भुगतान करना और शेष का भुगतान बिलों के प्राप्त होने के एक महीने के भीतर करना ।

(ग) यदि बातचीत द्वारा ठेका दिया जाये तो बयाने की रक़म लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) 5 प्रतिशत प्रति बिल की दर से बिलों के जरिए प्रतिभूत जमा की कटौती ।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से रेल कर्मचारी समिति के पदाधिकारी बन सकते हैं ।

कोम्प्युटेक कारपोरेशन आफ बोम्बे तथा एपोलो सिक्योरिटीज आफ बोम्बे के निर्गम-गृहों (इश्यू हाउसेज) के विरुद्ध शिकायतें

3311. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज कोम्प्युटेक कारपोरेशन आफ बोम्बे तथा मैसर्ज एपोलो सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड आफ बोम्बे के निर्गय-गृहों द्वारा अनेक लिमिटेड कम्पनियों के मामले में स्क्रिप्स की लापरवाही, विलम्ब, खो देने और ठीक से संभाल कर न रखने के बारे में शिकायतें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम-स्वरूप निवेश योग्य धन की काफी राशि रुक जाती है जिसक कारण बहुत से अंशधारियों को हानि होती है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि स्क्रिप्स और धन किसी मामले में दो महीने से अधिक न रुके पड़े तथा पूंजी-निवेश करने वाली जनता के हितों की सुरक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) मैसर्स कम्प्युटेक कारपोरेशन और मैसर्स एपोलो सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निर्गम गृहों के विरुद्ध हस्तांतरण/वापिसी आदेश के निर्गम के पंजीकरण करने में विलम्ब आदि से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) कुछ प्राप्त हुई शिकायतें इस प्रकृति के अनुमान की अनुमति नहीं देती हैं।

(ग) कम्पनी अधिनियम 56 की धारा 69 में शेयरों के आवंटन की अपेक्षाओं के अनुपालन करने में 120 दिनों की अवधि की व्यवस्था है और आवेदन-पत्र राशि को वापिस देने के लिये कम्पनी द्वारा अगर न्यूनतम चन्दा नहीं बढ़ाया गया है तो विवरण पत्रिका के निर्गमन की तिथि से 30 दिन की अवधि अपेक्षित है । तथापि कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों द्वारा अगर कोई अधिक चन्दा शासित नहीं है तो शेयर आवेदन-पत्र राशि की वापिसी विवरण पत्रिका की शर्तों द्वारा शासित की जाती हैं।

कम्पनी अधिनियम की धारा 113, प्रमाण-पत्र के निर्गम हेतु समयावधि निर्धारित करती है और यह उन व्यक्तियों के लिये खुला है जिनको न्यायालय में जाने के लिये साधिकारिक प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है ।

इस संबंध में कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

शिवनोती स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की जनता को पेशकश

3313. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1972 के महीने में किसी समय जनता को शिवमोनी स्टील ट्यूब्स लिमिटेड बंगलौर के इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो कितने शेयरों की बिक्री हुई और कितने शेयर नहीं बिके;

(ग) 1 सितम्बर, 1973 को इस कम्पनी की कुल परिसंपत्तियां और देयतायें कितनी कितनी हैं; और

(घ) इस कम्पनी में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) शिवमोनी स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, बंगलौर ने, दिनांक 15 जनवरी 1973 के प्रविवरण के माध्यम से, फरवरी 1973 में 21 लाख रुपये की साम्य पूंजी (10 रु० प्रति हिस्से की दर के 2,10,000 हिस्से) तथा 10 लाख रु० के 9.5 प्रतिशत अधिमान हिस्से (100 रु० की दर के 10,000 निष्क्रय संचयी अधिमान हिस्से) सार्वजनिक अभिदान के लिये, सममूल्य पर निर्गमित किये थे।

(ख) उपरोक्त हिस्से पूर्ण अभिदत्त थे, व वंटन 22-3-73 को किया गया था ।

(ग) कम्पनी के 30 जून 1973 तक के नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्र के अनुसार उसकी परिसंपत्तियां तथा देयतायें निम्न प्रकार हैं :–

परिसंपत्तियां		रु०
सावधि निक्षेप		43,31,812
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम		20,22,124
प्राथमिक व्यय		3,87,906
	योग	67,41,842
देयतायें		
प्रदत्त पूंजी		29,20,500
प्रतिभूत ऋण		33,59,517
चालू देयतायें		4,61,825
	योग	67,41,842

(घ) कम्पनी ने, लेखे पर निदेशकों की 30–6–1973 की वर्ष समाप्ति की रिपोर्ट में यथा वर्णित, 2 जुलाई 1973 से काले पाइपों के व्यावसायिक उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर दिया है ।

Memorandum submitted by N.E. Railway Mazdoor Union to the Minister of Railways at Samastipur

3314. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether North Eastern Railway Mazdoor Union organised a labour demonstration before him when he had gone to Samastipur on the 31st October, 1973 for the inauguration of Jayanti Janta train;

(b) whether a memorandum was submitted to him on behalf of the Union; and

(c) if so, the gist thereof and Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes ; there was some sort of a demonstration by a handful of persons.

(b) Yes.

(c) The demands briefly are as follows:—

(i) Need based minimum wage.

(ii) Fixation of pay of the serving employees in the new scales on the basis of point to point fixation.

(iii) 100 per cent neutralisation of dearness.

(iv) Implementation of Pay Commission's recommendations from 1.3.1970.

(v) Grant of bonus at the rate of 8.33% to Railwaymen.

(vi) Recognition of the N.E. Railway Mazdoor Union.

(vii) Assessment of rent for quarters should be done separately for N.F. Railway and the pooling order issued by Railway Board for N.E. and N.F. Railways should be cancelled.

(viii) The alleged victimisation of certain workers for their trade union activities should be set right.

(ix) Flood advance to be granted to staff who hail from the flood affected districts in U.P. and Bihar.

(x) The cadre position should be reviewed and wherever casual labour are engaged agains maintenance posts, such labour should be given the regular scale of pay.

(xi) The casual labour on screened panel should be posted against the regular posts and the panel should not be declared as inoperative.

(xii) The casual labour who have not been screened should be duly screened and appointed against regular posts.

(xiii) Rate of daily wages for casual labour should be fixed on the basis of 1/30th of the wages which are paid to their counterparts in time scales.

Such issues are raised from time to time and are settled through discussions in the meetings of the Permanent Negotiating Machinery and the Joint Consultative Machinery at different levels with the recognised Federations. Most of the demands enumerated above have been considered and such action as is feasible is taken.

Chain Pulling Cases in Deluxe Train from Calcutta to Delhi on 7th November, 1973

3315. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether on the 7th November, 1973, there were cases of chain-pulling in the Delux Train coming from Calcutta to Delhi at Neora, Sadashibpur, Bihta, Koelwar, Kulharia and Arrah Stations on the Eastern Railway;

(b) whether the train reached Delhi late due to chain pulling;

(c) if so, the time by which it was late; and

(d) the action taken by Government to remove the causes that lead to chain-pulling?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Sh. Mohd. Shafi Qureshi): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The train arrived at New Delhi station two hours and twenty minutes' late.

(d) The following steps are taken to check the evil of unauthorised alarm chain-pulling:—

(i) Educating the general public through cinema, shows, slides, posters and the press etc. and by announcements on the Public Address System provided at important stations about the evils of misuse of the alarm chain apparatus and enlisting their co-operation in detecting and prosecuting the offenders.

(ii) Organising lectures at educational institutions by Railway Officers, to this end.

(iii) Arranging surprise checks to ambush miscreants at places noted for unauthorised chain pulling, by posting plain-clothed T.T.Es and Railway Protection Force men in III Class Compartments and at these places.

(iv) Giving incentives to the public to help the Railway Administration in detecting and prosecuting the offenders by granting cash awards, which may extend upto Rs. 100.

(v) Maintaining liaison with the State Governments who are mainly responsible for law and order in the State.

(vi) Blanking off the alarm chain apparatus when other steps fail to yield appreciable results.

Firing by Ticket Checking Team at Hilsa Station (Bihar) on 7th November, 1973

3316. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether a Railway Ticket Checking Team opened fire on 7th November, 1973 on a mob students at Hilsa Station of Light Railway in Nalanda District in Bihar;

(b) if so, the number of persons killed and injured as a result thereof;

(c) the reasons for opening fire;

(d) whether any compensation has been given to the families of the deceased and the injured persons, and if so, what; and

(e) the punishment awarded to guilty persons?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (e) Hilsa Station is on the Futwah Islampur Light Railway Company Ltd., which is entirely under the management of M/s. Martin Burn Co. Ltd., which is a Private Company. As such the details of the incident are not available with the Ministry of Railways.

दानापुर (पश्चिम रेलवे) के रेल-कार्यालयों में बैठने के स्थान की कमी

3317. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कार्यालयों में, विशेष रूप से डिवीजनल कार्यालय, दानापुर में बैठने के स्थान की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या दानापुर के प्रभागीय अधीक्षक के कार्यालय और विशेष रूप से कार्मिक शाखा में काम कर रहे लिपिकों को उप अनुभागों के विभिन्न स्थानों पर बिखरे होने के कारण अपना कार्य करने में भारी कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यालय में कुशल और समन्वित कार्यकरण के लिये सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। कार्मिक शाखा के 250 कर्मचारियों में से 30 लिपिकों के केवल चार उप अनुभागों को पास-पास स्थित दो अलग-अलग कमरों में रखा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है

औषधि निर्माताओं द्वारा तकनीकी विकास के महानिदेशालय को विविधीकरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में रिपोर्ट

3318. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-70 वर्षों में लागू छूट आदेशों के अन्तर्गत एक शर्त यह रखी गई थी कि कुछ तथ्यों सहित विविधीकरण कार्यक्रम के विवरणों की सूचना तकनीकी विकास के महानिदेशालय को देनी होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाले औषधि निर्माताओं द्वारा तकनीकी विकास के महानिदेशक को उक्त सूचना दी गयी;

(ग) यदि हां, तो दी गई सूचनाओं का सारांश क्या है और क्या तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा ऐसी सूचनाओं का कोई रिकार्ड रखा गया है; और

(घ) इस बात का सत्यापन करने के लिये क्या निवारक उपाय लगाये गये थे कि विविधीकरण कार्यक्रम छूट आदेशों से नियत शर्तों को पूरा करते हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) अक्तूबर 1966 में जारी किये गये आदेश के अन्तर्गत जिसमें लाइसेंस शुदा क्षमता के 25% तक स्वतन्त्र विविधकरण की अनुज्ञा दी गई थी औद्योगिक उपक्रमों के लिये यह आवश्यक था कि वे उपयुक्त तकनीकी अधिकारी को अपने संशोधित निर्माण कार्यक्रम प्रस्तावित नई वस्तुओं के निर्माण तथा लगाये जाने वाल संतुलन पत्र के मूल्य तथा प्रकार संबंधी विवरण दें। इस संबंध में किसी विशिष्ट विवरण के निर्धारित न होने के कारण वे अधिकतर विविधकृत मदों को अपने मासिक उत्पादन विवरणों में सम्मिलित करते थे जो कि डी०जी०टी०डी० के सामान्य रिकार्ड पर रखे जाते हैं। जहां कोई संदेह होता था डी०जी० टी०डी० औद्योगिक उपक्रम से और अधिक विवरणा प्राप्त करके प्रशासी मंत्रालय को रिपोर्ट देता है।

बीकानेर डिवीजन (उत्तर रेलवे) के लोको कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के कारण गाड़ी का रद्द किया जाना

3319. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की बीकानेर डिवीजन के लोको-रनिंग स्टाफ की हड़ताल के कारण अनेक गाड़ियों को रद्द कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी धनराशि की हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 31–10–73 से 3–11–73 तक बीकानेर मंडल के लोको कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 133 सवारी गाड़ियां और 258 माल गड़ियां रद्द की गयी थीं।

(ख) कुल आमदनी में लगभग 6 लाख रुपये।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में सहायक स्टेशन मास्टरों (वेतनमान रुपये 205-280) की स्टेशन मास्टर (वेतनमान रुपये 205-280) के रूप में पदोन्नति

3320. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में 205–280 रुपये के वेतनमान में काम कर रहे कितने सहायक स्टेशन मास्टर हैं, जिन्हें 1 जनवरी, 1972 से 30 सितम्बर, 1973 तक 205–280 रूपये के वेतनमान में स्टेशन मास्टर के रूप में पदोन्नति दी गयी;

(ख) क्या 205–280 रुपये के वेतनमान में काम कर रहे काफी संख्या में ऐसे सहायक स्टेशन मास्टर हैं जिन्होंने स्टेशन मास्टर के 205–280 रुपये के वेतनमान में अपनी पदोन्नति को स्वीकार नहीं किया ; और

(ग) यदि हां, तो पदोन्नति को स्वीकार न करने वाले कितने सहायक स्टेशन मास्टर हैं और उसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 46।

(ख) जी हां।

(ग) 28 व्यक्तियों ने पदोन्नति लेने से इन्कार कर दिया। उन्होंने इसके लिये यह कारण बताया कि जिन स्टेशनों पर उन्हें पदोन्नति करके स्थानान्तरित किया गया है वहां उच्चतर शिक्षा तथा डाक्टरी इलाज की सुविधायें अपेक्षाकृत कम हैं ?

रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली

3321. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में रेल विभाग के रेलवे कर्मचारियों की इस बारे में कामों की गणना की थी कि उनको भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की तरह ही सुविधा दी जाये ;

(ख) क्या बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के पक्ष में विचार व्यक्त किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। उत्तर रेलवे के लगभग 1800 रेल कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से चिकित्सा सहायता लेने की इच्छा व्यक्त की।

(ग) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना प्राधिकारियों से एक ऐसी व्यवस्था करने की संभावना पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें वह दिल्ली/नयी दिल्ली के क्षेत्रों में रहने वाले रेल कर्मचारियों/उनके आश्रितों के लिये बहिरंग

चिकित्सा सुविधायों की व्यवस्था करें जहां रेलवे स्वास्थ्य यूनिट/अस्पताल दूरी पर स्थित हों, लेकिन केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना का औषधालय पास में हो, लेकिन केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना अधिकारी रेल कर्मचारियों को उन्हीं शर्तों पर स्थान देने पर सहमत नहीं हुए जो केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाने वाले अन्य व्यक्तियों पर लाग होती हैं। इसलिये, यह विचार त्याग दिया गया था।

रेलों में आरक्षण के लिए प्रार्थना पत्र देते समय आयु का बताया जाना

3322. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों में आरक्षण कराने के लिये प्रार्थना पत्र देते समय आवेदकों को अपनी आयु भी बतानी होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें लोअर या अपर बर्थ आवंटित करने के लिये आयु का कोई ध्यान दिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो आयु संबंधी जानकारी लेने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) नाम, आयु, लिंग जैसे ब्यौरे कदाचार आदि का पता लगाने के उद्देश्य से इस बात की आकस्मिक जांच की सुविधा के लिये प्राप्त किये जाते हैं कि क्या वही व्यक्ति वास्तव में यात्रा कर रहे हैं जिनके नाम से आरक्षण किया गया था।

दिल्ली में ओखला स्टेशन पर वहां जाने वाले तथा वहां से बाहर जाने वाले माल डिब्बे

3323. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डिवीजन में ओखला स्टेशन पर एक महीने में औसतन कितने माल डिब्बे आये तथा वहां से गये:

(ख) माल से इस स्टेशन पर कितनी औसत आय हुई;

(ग) क्या माल डिब्बों से माल के लदान तथा माल को उतारने के लिये किसी छत वाले प्लेटफार्म की व्यवस्था नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ऐसी व्यवस्था की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ओखला माल गोदाम में एक महीने में सम्हाले गये आगत और निर्गामी माल डिब्बों की औसत संख्या क्रमशः 154 और 147 है।

(ख) ओखला स्टेशन पर हर महीने माल यातायात से होने वाली औसत आमदनी 8,28,723 रुपये है।

(ग) ओखला स्टेशन पर माल-डिब्बे सम्हालने के लिये कोई छतदार प्लेटफार्म नहीं है।

(घ) ओखला स्टेशन पर छतदार शेड की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

Irrigation facilities in Bundelkhand Region

3324. **Dr. Govind Das Richhariya :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the percentage increase so far in the irrigation facilities in the Bundelkhand region since the beginning of the Fourth Plan; and

(b) whether Government propose to sanction more funds for irrigation in view of the backwardness of the Bundelkhand area and if so, the amount thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Bundelkhnad region lies in both Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. The Government of Uttar Pradesh have reported that the increase in irrigation potential during the Fourth Plan would be 2.3% of the culturable area.

The Government of Madhya Pradesh have reported that the percentage of irrigation increased from 9.37 during 1968-69 to 12.5 during 1971-72.

(b) Irrigation is a State Subject and the provision for all irrigation projects figures in the State Plan Sector. However, in making the provisions for the V Plan one of the general principles kept in view is that while taking up new schemes priority will be given to those benefitting chronically drought affected, tribal and backward areas.

The Plan is being finalised.

भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण के बारे में जांच

3325. श्री मुख्तियार सिंह
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के पिछले तीन वर्षों के कार्यकरण के बारे में सरकार ने जांच की है;

(ख) क्या उच्चाधिकारियों के विरुद्ध कोई आरोप सच पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार ने कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :(क)से (ग) इस संबंध में कोई औपचारिक जांच नहीं की गई है। निगम के कार्यकरण को और दक्ष बनाने के लिये उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में सरकारी उद्यमों पर कार्यकारी समिति ने अध्ययन किया था। तदनुसार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद को एक करने के लिये कार्यवाही की गई। एक अलग निदेशक (विपणन) की भी नियुक्ति की गई।

निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों से युक्त एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। जांच से देखा गया कि जहां उनमें से अनेक अवास्तविक हैं वहां कुछ के संबंध में जांच कार्य आवश्यक समझा गया। इस संबंध में कार्यवाही प्रगति पर है। ट्राम्बे यूनिट के विपणन प्रभाग के संबंध में कुछ मामलों की इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा जांच हो रही है।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में कोयले के लिए मालडिब्बों की सप्लाई

3326. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल सराय से आगे कोयले की कमी माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण हुई है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1973 के दौरान कोयला ले जाने के कितने माल डिब्बे आवंटित किये गये ; और

(ग) कोयला ले जाने के लिये इन राज्यों की माल डिब्बों की आवश्यकतायें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यद्यपि रेलों के पास पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे मौजूद हैं फिर भी, मुगलसराय से आगे के गंतव्य स्टेशनों के लिये कोयल की सप्लाई मांग की तुलना में कम रही। ऐसा बिजली में कटौतियों, हड़तालों, आंदोलनों, बंदों आदि के कारण यातायात के अनेक बार अस्त-व्यस्त हो जाने के कारण हुआ।

(ख)	आंकड़े (चौपहिया माल डब्बों में)		
महीना	उत्तर प्रदेश	पंजाब	हरियाणा
जुलाई, 73	2874	1362	1172
अगस्त, 73	1728	466	663
सितम्बर, 73	4884	1408	866
अक्तूबर, 73	4658	1846	1196

(ग) उत्तर प्रदेश	14,300 माल डिब्बे प्रति महीना
पंजाब	5,320 माल डिब्बे प्रति महीना
हरियाणा	2,030 माल डिब्बे प्रति महीना

(ख) और (ग) के अंतर्गत दिये गये आंकड़े ईंटे पकाने के लिये स्लैक कोयले तथा राज्य सरकारों द्वारा लघु उद्योगों के लिये प्रायोजित साफ्ट कोक, हार्ड कोक, और कोयले की मांग और ढुलाई से संबंधित हैं।

2-टायर के तीसरे दर्जे के यात्री डिब्बों को 3-टायर स्लीपरों में बदला जाना

3327. श्री एस० एम० बनर्जी : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2—टायर तीसरे दर्जे के यात्री डिब्बों को 3—टायर स्लीपरों में बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा; और

(ग) किन किन गाड़ियों में ऐसा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रेनों में पाश्चात्य भोजन का परोसा जाना

3328. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों और एक्सप्रेस गाड़ियों में अब पाश्चात्य भोजन नहीं परोसा जाता; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अग्रिम आर्डर प्राप्त होने पर डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों को पश्चिमी ढंग का भोजन दिया जाता है।

मद्रास से गुंटकल्ल तक रेलवे लाईन का विद्युतीकरण

3329. श्री पी० एन्थनी रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग मद्रास से गुंटकल्ल तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण का कार्य कब आरम्भ करेगा; और

(ख) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) रेलों की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मदरास-गुंतकल्ल-होसपेट खंड के विद्युतीकरण का काम अन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है। लागत एवं व्यावहारिकता सर्वेक्षण के पूरा हो जाने पर ही इस परियोजना पर आने वाली लागत का पता चल सकेगा। अभी यह सर्वेक्षण किया जा रहा है।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव

3330. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में हल्दिया तेल शोधक कारखाना परियोजना की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का है; और

(ख) वर्तमान योजना के अन्तर्गत इस परियोजना की कितनी क्षमता बढ़ाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) तेल शोधन पर कार्य कारी दल ने हल्दिया शोधनशाला को 2 मिलियन मीटरी टन से विस्तार करने के बारे में सुझाव दिया है। क्योंकि पांचवीं योजना के दौरान शोधन क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने के लिये एक परियोजना का कार्य प्रारम्भ करना है। किन्तु अशोधित तेल के मूल्य में उत्तरोत्तर एवं निरंतर वृद्धि तथा देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के संबंध में पांचवीं योजना के अन्त तक प्राप्त की जाने वाली शोधन क्षमता का लक्ष्य अभी भी विचाराधीन है। इसलिये हल्दिया शोधनशाला के विस्तार पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

पटना जंकशन रेलवे स्टेशन की खराब स्थिति

3331. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पटना जंकशन रेलवे स्टेशन के विश्रामालयों तथा शयन कक्षों में व्यवस्था भली-भांति नहीं की जाती है तथा कमरों में कोई चार्ट नहीं लगा है, बल्ब फ्यूज हो गये हैं तथा टूटे हुए हैं, शौचालय गंदे तथा अस्वस्थकर हैं और इसके अलावा रेस्तोरां में घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) विश्रामालयों के प्रवेश द्वार पर एक सूची-पट्ट लगाया गया है जिसमें विश्रामालयों के बिस्तरों के उपयोग की सूचना होती है। यह सुनिश्चित किया गया है कि बिजली कर्मचारी फिटिंग की खराबियों को तुरंत देखें। हाल में की गयी जांच से मालूम हुआ है कि सभी फिटिंगें संतोष जनक हैं। इन कमरों का समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिये विश्रामालयों के लिये अलग से एक केयर टेकर, दो बैरे और आरक्षण कर्मचारी हैं। स्टेशन पर सफाई के लिये तैनात सफाई वाले विश्रामालयों को प्रातः, अपराह्न और सायंकाल साफ करते हैं और अच्छी सफाई रखते हैं। 1972-73 के दौरान तथा चालू वर्ष में खानपान की कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर भी, रेल प्रशासनों से कहा गया है कि वे विश्रामालयों के अनुरक्षण और भोजनालयों के कामों पर कड़ी निगाह रखें ताकि शिकायत का कोई मौका न मिले।

पटना होते हुए मुगलसराय से आसनसोल तक रेलवे लाईन का विद्युतीकरण

3332. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे बोर्ड ने पटना होते हुए मुगलसराय से आसनसोल तक रेलवे मेन लाईन के विद्युतीकरण पर होने वाली लागत का कभी सर्वेक्षण किया था और यदि हां, तो इसमें कितनी लागत आयेगी तथा सरकार का विचार रेलवे लाईन का विद्युतीकरण कब करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : आसनसोल (सीतारामपुर) गड़हरा खण्ड के विद्युतीकरण के लिये लागत-एवं-व्यावहारिकता सर्वेक्षण किया जा रहा है। गड़हरा से आगे और मुगलसराय तक विद्युतीकरण के लिये सर्वेक्षण का काम यथा समय आरम्भ किया जायेगा। इन सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने के बाद विद्युतीकरण पर आने वाली लागत का पता चल सकेगा। रेलवे की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन खंडों के विद्युतीकरण के काम को अनन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है।

गैस टर्बाईन जनरेटिंग सेट लगाने के लिए पंजाब सरकार का अनुरोध

3333. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने तीन गैस टर्बाइन जनरेटिंग सेट लगाने के बारे में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को कोई परियोजना प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने जापान से इन सेटों को खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा देने के लिये भी उनको पत्र लिखा था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इस मामले पर पंजाब सरकार और पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के साथ विचार-विमर्श करके आगे विचार किया गया था । पंजाब में पहले से विद्युत उपलब्धता में सुधार और निर्माणाधीन परियोजनाओं के चालू होने से अधिक विद्युत के उपलब्ध हो जाने और गैस टर्बाइनों और उनके प्रचालन के लिये आवश्यक ईंधन तेल और फालतू पुर्जों के लिये विदेशी मुद्रा की अधिक आवश्यकता पर विचार करते हुए इस प्रस्ताव को छोड़ दिया था ।

पंजाब में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा छापा

3334. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल ने पंजाब के कई स्थानों पर छापे मारकर कई सौ ऐसे बंडल अपने कब्जे में लिये थे जिनको रेलवे बुकिंग एजेंसी ने किसी लेखे में दर्ज नहीं किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका मुख्य व्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) जी हां, 5–9–1973 को, उत्तर रेलवे के धारीवाल स्टेशन के मालगोदाम पर मारे गये छापे में, उपनिरीक्षक, रेलवे सुरक्षा दल, पठानकोट ने गेहूं की 1646 बोरियां पकड़ीं, जबकि "निर्गामी माल रिजिस्टर" में गेहूं की 1400 बोरियों का इन्दराज था, अर्थात् 23,000 रु० मूल्य की 246 बोरियां अधिक पकड़ीं, गहूं की इन अधिक बोरियों का संबंध उन बोरियों से बताया जाता है जो "मार्क पेड" विभाग द्वारा धारीवाल के स्टेशन मास्टर की मिलीभगत से, कम लादी गयी थीं । धारीवाल का स्टेशन मास्टर "यथाकथित सामान" सूचना-पत्रों के बजाय साफ रेलवे रसीद जारी करता रहता था । धारीवाल के स्टेशन मास्टर, श्री पिशोरीलाल को रेलवे संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया है । जांच पड़ताल चल रही है ।

अगस्त, 1973 में रेल इंजन कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान रेल सेवायें चलाने के लिए अनर्ह कर्मचारियों को काम पर लगाया जाना

3335. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1973 में रेलवे के परिचालक वर्ग की हड़ताल के दौरान ऐसे कर्मचारियों को रेल सेवायें चलाने के कार्य में लगाया गया था जिन्होंने मेडिकल ए–1 परीक्षा पास नहीं की थी अथवा जिन्होंने लर्निंग रोड टैस्ट प्रमाण-पत्र नहीं लिया था ;

(ख) क्या ऐसे अनर्ह कर्मचारियों द्वारा रेलगाड़ियां चलाते समय कोई दुर्घटना हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) 6 रेलों पर ऐसा कोई ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिये नहीं लगाया गया । तीन अन्य रेलों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल के ग्रामों का विद्युतीकरण

3336. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विद्युतीकरण निगम ने केरल राज्य के ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं राज्य द्वारा मांगी गई तथा प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि क्या है और इस योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का निष्पादन तथा प्रयोजन राज्य विद्युत बोर्डों और पाइलट ग्राम विद्युत सहकारिताओं द्वारा किया जाता है। इस आवश्यक जांच के उपरांत कि स्कीमें तकनीकी रूप से संभाव्य तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं, ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड—भारत सरकार का एक उपक्रम—बोर्डों तथा सहकारिताओं को उनकी स्कीमों के लिये वित्तीय सहायता देता है।

उपरोक्त आधार पर, निगम ने अब तक केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित 15 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। इनमें कुल 688.559 लाख रुपये की ऋण सहायता निहित है। 3–5 वर्षों की अवधि में पूर्ण होने वाली इन स्कीमों में 7,918 पम्पसेटों के ऊर्जन, 1,451 लघु उद्योगों हेतु बिजली की व्यवस्था, 79,356 घरेलू एवं वाणिज्यिक कनेक्शनों तथा 403 गांवों में 17,434 स्ट्रीट लाइटों की परिकल्पना की गई है।

पहले से विद्युतीकृत गांवों के समीपवर्ती हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिये निगम ने केरल राज्य बिजली बोर्ड को 2.968 लाख रुपये की धनराशि के तीन विशेष ऋण भी स्वीकृत किये हैं। इन ऋणों का उद्देश्य 38 हरिजन बस्तियों में 326 स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था करना है।

12 स्कीमों के संबंध में प्रथम और द्वितीय किस्तों के रूप में निगम ने अब तक 2.96 करोड़ रुपये की धनराशि की अदायगी कर दी है।

पहले से स्वीकृत 15 स्कीमों के अतिरिक्त, केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित 202.72 लाख रुपये की कुल लागत वाली 2 और स्कीमों पर निगम द्वारा विचार किया जा रहा है।

केरल में इडिक्की पन बिजली परियोजना पर व्यय

3337. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में इडिक्की पन बिजली परियोजना के निर्माण पर अक्तूबर, 1973 तक कितनी धनराशि व्यय हुई है और कितना प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अक्तूबर, 1973 के अन्त तक इड्क्की जल विद्युत परियोजना पर 71.90 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया गया था और लगभग 80% कार्य पूर्ण हो गया था।

पुनालूर और कोटाराकेरा रेलवे स्टेशन (दक्षिण रेलवे) का विकास करने की योजना

3338. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे में पुनालूर और कौटासकेरा रेलवे स्टेशनों का विकास करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार का उक्त योजना को कब तक लागू करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इन प्रस्तावों में निम्नलिखित निर्माण-कार्यों को रखा गया है :–

पुनलूर :

(1) स्टेशन की इमारत में सुधार।

(2) प्लेटफार्म का विस्तार।

(3) प्लेटफार्म की छत का विस्तार।

(4) स्टेशन के पहुंच मार्ग में सुधार।

कोट्टारकरा :

(1) प्लेटफार्म का विस्तार।

(2) रेलवे स्टेशन और माल गोदाम के पहुंच मार्ग में सुधार।

आशा है, दोनों स्टेशनों पर होने वाले निर्माण कार्य जून, 1974 तक पूरे हो जायेंगे।

हावड़ा यार्ड और मुगलसराय यार्ड में मालगाड़ियों में चोरियां

3339. श्री रानेन सेन : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा यार्ड और मुगलसराय यार्ड में कई चोरियां हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) सरकार ने चोरियों के फलस्वरूप गत दो वर्षों के दौरान कितना मुआवजा दिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :(क) और (ख) जी हां। पूर्व रेलवे के हावड़ा और मुगलसराय यार्डों में जनवरी से अक्तूबर 1973 तक की अवधि के दौरान बुक किये गये परेषणों की चोरियों और उठाईगीरी के जितने मामले हुए और दर्ज किये गये उनकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :–

यार्ड का नाम	चोरी/उठाईगीरी के दर्ज किये गये मामलों की संख्या	चुरायी गयी संपत्ति का मूल्य (रु०)	बरामद हुई संपत्ति का मूल्य (रु०)	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सं०
हवड़ा यार्ड	7	33,978	533	5
मुगलसराय यार्ड	9	15,150	3,450	7

(ग) चोरी और उठाईगीरी के लिये दिये गये मुआवजे के यार्ड-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विदेशी उत्पादक संघों द्वारा भारतीय उर्वरक निगम को आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में रुकावट डाला जाना

3340. श्री रानेन सेन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी उत्पादक संघों द्वारा भारतीय उर्वरक निगम को आत्मनिर्भर बनने के मार्ग में रुकावट डाली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम के पी० एण्ड डी० डिवीजन द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही की है ?

2/Lok Sabha/74—12

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं आया है ।

(ग) निगम से अधिकतम आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने से संबंधित प्राप्त सुझावों पर सरकार द्वारा सदा पूर्ण रूप से विचार किया जाता है ।

श्री कल्याण वसु पर भारत में कम्पनियां खरीदने पर रोक

3341. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री कल्याण वसु पर भारत में कुछ कम्पनियां खरीदने के बारे में लागू रोक अभी भी जारी है; और

(ख) क्या सरकार ने उसकी परिसंपत्ति तथा देयताओं के बारे में जांच की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री वेद व्रत बरूआ) : (क) कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 250(4) के अन्तर्गत 18 दिसम्बर, 1972 से तीन वर्ष की अवधि के लिये, मैसर्स शां वैलेश एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता में निम्नलिखित चार निगमित निकायों द्वारा धारित शेयरों को कोई भी हस्तांतरण प्रभावहीन होगा को घोषित करते हुए केवल आदेश पारित किया है :—

1. आर०जी शां एण्ड कम्पनी लि०
2. शा डर्वी एण्ड कम्पनी लि०
3. शा स्काट एण्ड कम्पनी लि० और
4. थामस राइस मिलिंग कम्पनी लि०

श्री कल्याण वसु पर भारत में कतिपय कम्पनियों की खरीद करने के लिये कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है ।

(ख) इस विभाग के पास श्री कल्याण बसु की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के विषय में सूचना है ।

बालासौर से अप और डाउन मेल अथवा एक्सप्रैस गाड़ियों में शायिकाओं का कोटा

3342. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बालासोर से अप और डाउन मेल अथवा एक्सप्रैस गाड़ियों में शायिकाओं का कोटा नियत करने का है जैसा कि डाउन-पूरी हाबड़ा एक्सप्रैस के संबंध में किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : एक विवरण संलग्न है जिसमें सूचना दी गयी है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 5901/73]

दक्षिण पूर्व रेलवे में रुपसा से बदामपहर तक मेन लाइन

3343. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में रूपसा से बदामपहर तक मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने अथवा रूपसा को मेन लाइन से जोड़ने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रस्ताव किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अलाभप्रद शाखा लाइन समिति की सिफारिशों के आधार पर रूपसा-तालबन्द छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिये एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था और इसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है । सभी दृष्टियों से रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद ही कोई विनिश्चय किया जायेगा ।

रूपसा से बादाम पहाड़ तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

दामोदर घाटी निगम के कार्य स्तर में गिरावट

3344. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री रानेन सेन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के कार्य-स्तर में दिन प्रति दिन गिरावट आती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम के सम्मुख समस्याओं के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। विद्युत उत्पादन के स्तर में मध्य अक्तूबर से सुधार हो रहा है। नवम्बर के प्रारंभ में कुछ कमी-बेशियां हुई थीं परन्तु अब स्तर संतोषप्रद रखा जा रहा है। इन संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने और उनके विद्युत उत्पादन को और बढ़ाने के लिये बहुत से उपाय, जिसमें संयंत्रों और उनके आनुषंगिकों का सुधार और मुख्य मरम्मत (ओवरहालिंग), अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा को अवमुक्त करना और दामोदर घाटी निगम के तापीय संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा को उचित किस्म के कोयले की सप्लाई करना भी शामिल है, प्रारंभ किये गये हैं। सुधार कार्य अभी प्रगति पर हैं। अच्छे विद्युत उत्पादन के रूप में अधिक विश्वसनीय आधार पर इन उपायों का प्रभाव कुछ समय के उपरांत प्रतीत होगा।

विदेशी तेल कम्पनियों के फालतू कर्मचारियों को खपाना

3345. श्री दीनेन भटाचार्य : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तीन विदेशी तेल कम्पनियों यथा बर्मा-शैल, एस्सो और कालटेक्स ने सरकार को सूचित किया है कि हल्दिया तेल शोधक कारखाने के चालू होने के फलस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में रोजगार में लगे कर्मचारी फालतू हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे फालतू कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे फालतू कर्मचारियों को रोजगार में खपाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) विदेशी तेल कम्पनियों ने सूचना दी है कि हल्दिया शोधनशाला के पूर्ण रूप में चालू हो जाने के पश्चात उनके कलकत्ता प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की अत्यावश्यक समस्यायें उत्पन्न होंगी, इसकी संभावना केवल 1975 में ही है क्योंकि कलकत्ता में विदेशी तेल कम्पनियों के प्रतिष्ठानों, जैसी कि वर्तमान स्थिति है, की 1974 तक कार्य करने की संभावना है। संभावित अधिशेष घोषित किये जाने वाले कर्मचारियों को अन्यत्र काम देने की संभावना से उनकी कठिनाइयों को कम किया जा रहा है। इस स्तर पर अनावश्यकता का संक्षिप्त अनुमान लगाना बड़ा कठिन है।

रेलवे में कर्मचारियों को दी गई हार्ट पेस मेकर मशीनें

3346. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अनेक कर्मचारियों को हार्ट पेस मेकर मशीनें दी गई हैं;

(ख) क्या रेलवे में इन मशीनों की लागत को स्वयं वहन किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) हार्ट पेस मेकर मशीनों की सप्लाई रेलवे चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार नियमों के अंतर्गत नहीं आती। जिन मामलों में पेस मेकर, कृत्रिम, हृदय बाल्व, और बाल्व पम्प सेट जैसे अभावपूरक और शोधक साधन अपेक्षित होते हैं, उनमें रेलवे की जिम्मेदारी किसी रेलवे अथवा मान्यताप्राप्त/सरकारी अस्पताल में केवल वहां रखे जाने के खर्च तक

सीमित होती है और किसी भी मामले में रेलवे इस तरह के उपकरण में की लागत प्रत्यक्षत: वहन नहीं करती और न ही कर्मचारियों को उनकी लागत की प्रतिपूर्ति करती है। रेलवे चिकित्सा सुविधायें पहले ही इतनी उदार हैं कि रेलों की वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति में वर्तमान सुविधाओं को और उदार बनाने की जरा भी गुंजाइश नहीं है।

गरीबों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी स्कीम का कार्यान्वयन

3347. **श्री आर० एन० बर्मन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की स्कीम के अन्तर्गत अभी तक किसी को भी निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) और (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य ने किस स्कीम के प्रति निर्देश किया है। तथापि, कतिपय राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमण और दीव तथा पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा बनाई गई समान स्कीमों के अतिरिक्त गरीबों को कानूनी सहायता देने हेतु स्कीमें बनाई हैं और उनके द्वारा उन सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें वे इस प्रयोजन के लिए जुटा सकते हैं, कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर समस्या का अध्ययन करने के लिए न्यायाधीश वी०आर० कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

कोयली तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों की हड़ताल से गुजरात के उद्योगों पर प्रभाव

3348. **श्री प्रभु दास पटेल : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयली तेलशोधक कारखाने के कर्मचारियों की नियमानुसार कार्य करने की हड़ताल से गुजरात बिजली बोर्ड, गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी और राज्य के 16 उद्योगों पर भारी प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) कोयली तेलशोधक कारखाने के कर्मचारियों की क्या मांगें है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ) कोयली शोधनशाला के कर्मचारी जिन्होंने नियम अनुसार काम का आन्दोलन आरम्भ किया था 1972-73 के अधिक बोनस की मांग कर रहे थे राज्य सरकार से कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिसके अनुसार राज्य में किसी उद्योग पर इस आन्दोलन का दुर्प्रभाव पड़ा है।

बोनस के मामले पर इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिए गुजरात के मुख्य मंत्री से बीच बचाव के लिए अनुरोध किया था। इस मामले पर भारतीय तेल निगम प्रबंध और कर्मचारी संघ के बीच 5 नवम्बर, 1973 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे।

Increase in Land Revenue along Railway Track in Kota, Rajasthan (Western Railway)

3349. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Railways have increased the rates of revenue on their land allotted for agricultural purposes along with the Railway track of Western Railway in Kota, Rajasthan; and

(b) if so, the extent of increase and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) On the Western Railway there is a proposal to revise the licence fee with effect from 1974-75 crop year.

(b) From a flat rate of five times the land assessment of the adjacent land or Rs. 20 per acre per annum as existing at present, the proposed licence fee will vary from Rs. 10 to Rs. 300 per acre per annum, depending upon the fertility of the soil, the number of crops raised and the availability of water.

Breach in Bayana-Bharatpur Railway Line (Western Railway)

3350. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the double Railway line between Bayana and Bharatpur on the Western Railway was recently inaugurated;

(b) whether soon after the inauguration, that line was breached as a result of one rainfall only;

(c) if so, the names of those found guilty; and

(d) whether full payment has been made for construction of the line and if so, why?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) and (b) No.

(c) and (d) Do not arise.

Tea Stalls and Tea Trolleys in Kota Division (Western Railway)

3351. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of Tea Stalls and Tea Trolleys in Kota Division of Western Railway and the names of their owners indicating the number of tea stalls and tea trolleys owned by each of them; and

(b) the number of those among them owned by Scheduled Castes?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) & (b) A statement giving the details is attached.

(Placed in the Library. See No. L.T.—5902/73)

एफ० ए० सी० टी० को नये कार्य सौंपने के बारे में केरल का लोकमत

3352. **श्री वयालार रवि :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एफ०ए०सी०टी० के इंजीनियरिंग और डिजाइन डिवीजन को, उसके द्वारा अर्जित अपार ख्याति को देखते हुए नये कार्य सौंपने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस यूनिट में गतिरोध समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) मुख्यतः आवश्यक आदेश प्राप्त करना इस प्रभाग का कार्य है और इस बारे में कोई भी सहायता, सरकार की ओर से जिसको आवश्यकता होती है, सदैव दी जाती है । यह प्रभाग इस समय और कार्यों के साथ, ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्टस लिमिटेड के लिये एक 300 टी०पी०डी० सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, सिन्दरी में एक 360 टी०पी०डी० फास्फोरिक एसिड प्लांट तथा खेतरी स्थित हिन्दुस्तान काप्पर्स के लिए एक एसिड-एवं-उर्वरक परियोजना की कार्यान्विति कर रहा है । अधिक कार्य प्राप्त करने के लिए इस प्रभाग द्वारा सतत कार्यवाही भी की जा रही है ।

रेल इंजन कर्मचारियों के लिये प्रतिदिन 10 घंटे की ड्यूटी के बारे में बातचीत

3353. श्री बसंत साठे
श्री समर मुखर्जी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंजन कर्मचारियों के लिये प्रतिदिन 10 घंटे की ड्यूटी लागू करने के बारे में रेलवे मंत्रालय और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो, ऐसे कौन से मतभेद हैं जिनके कारण बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया है ; और

(ग) इस गतिरोध को दूर करने और सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में ईंधन की कमी

3354. श्री बसंत साठे : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में ईंधन की अत्यधिक कमी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सामान्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) दिल्ली में मिट्टी के तेल की कोई कमी नहीं है; किन्तु कर्मचारियों की हड़ताल, बाढ़ तथा संचार बाधाओं, धीरे काम करो आदि के संयुक्त प्रभाव के कारण राजधानी में ईंधन गैस की कमी हुई । तथापि स्थिति में सुधार लाने के लिये कदम उठाये गये हैं तथा तब से सप्लाई में पर्याप्त सुधार हुआ है । स्थिति की एक दो सप्ताह में सामान्य हो जाने की आशा है ।

Strike by Engineers of Gandak Project

3355. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether the engineers of Gandak project in Bihar had gone on strike during the Kharif season this year;

(b) if so, whether it resulted in ill maintenance of Canals of the Gandak project and the farmers were not able to get water in time; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) The Government of Bihar have stated that all the Bihar State engineers, including those of the Gandak Project, had gone on stay-in-strike from the 2nd September to 3rd October, 1973. The Engineers had, however, decided to ensure that irrigation and flood control works were kept running.

(b) & (c) Do not arise.

नरकटियागंज से पहलेजाघाट तक शाम की रेलगाड़ी में शयन यान की व्यवस्था करना

3356. श्री हरि किशोर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरकटियागंज से बजिनिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर होकर पहलेजाघाट जाने वाली शाम की रेलगाड़ियों में शयन सुविधाओं के अभाव में बजिनिया, सीतामढ़ी और जनकपुर रोड के यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है;

(ख) क्या सरकार का विचार उस गाड़ी में एक शयनयान जोड़ने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) वर्तमान में सीतामढ़ी और दरभंगा के रास्ते नरकटियागंज और पहलेजाघाट के बीच कोई सीधी गाड़ी नहीं चल रही है । लेकिन नरकटियागंज और पहलेजाघाट के बीच यात्रा करने वाले सीधे यात्रियों की सुविधा के लिये 432 नरकटियागंज–दरभंगा 455 दरभंगा-पहलेजाघाट सवारी गाड़ी से और वापसी में 456 पलेजाघाट दरभंगा सवारी गाड़ी 431 दरभंगा-नरकटियागंज सवारी गाड़ी से दरभंगा में मेल लेती है । 455/456 दरभंगा–पलेजाघाट सवारी गाड़ियों में जिनसे रात में भी यात्रा करनी होती है, तीन शयन-यान उपलब्ध होते हैं । इसलिये 432/431 सवारी गाड़ियों से, जो दिन के समय चलती हैं, नरकटियागंज और दरभंगा के बीच एक शयनयान की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

मुजफ्फरपुर के पास पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के लिये बिहार के विधायकों का ज्ञापन

3357. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरपुर के पास पैट्रो-रसायन उद्योग-समूह की स्थापना के लिये बिहार के एक दर्जन से अधिक विधायकों द्वारा हाल में प्रस्तुत किये गये ज्ञापन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : एक अध्ययन दल एरोमैटिक्स के उत्पादन की संभावनाओं तथा देश में इन सुविधाओं के लिये उचित स्थान की जांच कर रहा है । दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

बुकिंग कार्यालयों (पश्चिम रेलवे) में टिकट गिनने के लिये निर्धारित मापदण्ड

3358. श्री पन्नालाल बारुपाल
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुकिंग कार्यालयों में टिकटें गिनने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : टिकटों की गिनती करने के लिये कोई मापदण्ड नहीं है । रेल प्रशासन ने बुकिंग क्लर्कों की आवश्यकता निर्धारित करने के लिये कुछ मार्ग दर्शक सिद्धांत निर्धारित किये हैं जिनके अनुसार 8 घंटे में प्रत्येक बुकिंग क्लर्क द्वारा 800 गैर उपनगरी टिकट या 1500 उपनगरी टिकट या 120 सीजन टिकट जारी किया जाना चाहियें । इसमें संबंधित रजिस्टरों के समापन और विवरणियों आदि को तैयार करने का काम भी शामिल है । जहां स्वमुद्रण मशीन लगी हुई है वहां प्रत्येक मशीन पर एक बुकिंग क्लर्क के हिसाब से बुकिंग क्लर्कों की व्यवस्था की जाती है चाहे जारी किये जाने वाले टिकटों की संख्या कितनी भी हो ।

पीलीभीत के निकट नदी के ऊपर रेलवे पुल के साथ गलियारा (कारिडोर)

3359. श्री मोहन स्वरूप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के रेलवे पुल के ढांचे के आधार पर पुल पार करने वाले पैदल व्यक्तियों तथा साइकिल सवारों की सुविधा के लिये पीलीभीत के निकट द्योह नदी के उपर भी रेलवे पुल के साथ एक गलियारा बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) रेलें केवल उसी हालत में ऐसे निर्माण कार्यों का निष्पादन शुरु करती हैं जब राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी ऐसे प्रस्ताव प्रायोजित करें और उसमें निहित लागत वहन करने लिये सहमत हों । अभी तक कोई पक्का प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैलानी से शाहजहांपुर तक रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के बारे में अभ्यावेदन

3360. श्री मोहन स्वरूप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैलानी से शाहजहांपुर तक रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के लिये कुछ अभ्यावेदन किये गये हैं;

(ख) क्या नवीनतम नीति के अनुसार पहले विश्वयुद्ध के दौरान उखाड़ी गई पुरानी रेलवे लाइनों को पुनः बिछाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस दिश में क्या कार्यवाही की है और मंत्रालय ने इस मामले पर किस हद तक विचार किया है और इसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) स्पष्टतः आशय उस पुरानी पौवायां स्टीम ट्रेनवे की मीटर लाइन को फिर से चालू करने से है जो शाहबाजनगर (शाहजहांपुर के निकट और इससे मीटर लाइन से संबद्ध) और मैलानी के बीच (62.5 किलोमीटर) स्थित थी। यह लाइन 1918 में उखाड़ ली गयी थी क्योंकि प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सैनिक प्रयोजन के लिये इस सामान की अन्यत्र आवश्यकता थी। अतीत में इस ट्रेनवे को मीटर लाइन के रूप में फिर से चालू करने के प्रश्न पर विचार किया गया था लेकिन अलाभप्रद होने के कारण इसे बनाया नहीं गया।

(ख) और (ग) विश्व युद्ध के दौरान उखाड़ी गयी कुछ लाइनों को अभी तक फिर से बिछाया नहीं गया है। इस तरह की लाइनों को फिर से बिछाने के लिये एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि पर्याप्त औचित्य और अपेक्षित धन उपलब्ध हो। इस तरह की दो लाइनों अर्थात् डालमऊ-दरयापुर और गोहाना-पानीपत को बिना पारी के कार्य के रूप में बनाने के लिये चालू वर्ष में मंजूरी दी गयी है।

सितम्बर 1973 में लालोरिखेड़ा स्टेशन का लूटा जाना

3361. श्री मोहन स्वरूप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या लालोरिखेड़ा रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) सितम्बर, 1973 में लूटा गया था;

(ख) यदि हां, तो वहां हुई क्षति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) जी हां। 16–9–1973 को लगभग 22-10 बजे बन्दूकों/लाठियों से लेस तीन बदमाश लालुरी खैरा स्टेशन के स्टेशन मास्टर के कार्यालय में घुस गये और 145 रुपये 70 पैसे की रेलवे नकदी और ड्यूटी पर रहने वाले सहायक स्टेशन मास्टर की 15 रुपये 50 पैसे की रकम लूट कर ले गये। बदमाशों ने स्टेशन मास्टर के घर पर भी धावा किया और वहां से टेरीकाट की दो साड़ियां, चार फ्राक और एक मेज घड़ी उठा ले गये।

पीलीभीत की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392/397 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफतीश कर रही है। अभी तक कोई बरामदगी/गिरफ्तारी नहीं हुई है।

सितम्बर 1973 में 61 अप ट्रेन (पूर्वोत्तर रेलवे) की तलाशी और लूटा जाना

3362. श्री मोहन स्वरूप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की गाड़ी संख्या 61 अप को सितम्बर, 1973 के दौरान कुछ बदमाशों द्वारा लूटा गया था और बदमाश यात्रियों से लाखों रुपये की राशि लेकर चलते बने; और

(ख) यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सितम्बर, 1973 के महीने में पूर्वोत्तर रेलवे की 61 अप गाड़ी के लूटे जाने की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आल इण्डिया कमर्शियल कलर्क्स एसोसिएशन के अभ्यावेदन

3363. श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री भारतीय रेल संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में आल इंडिया कमर्शियल क्लर्क्स एसोसियेशन से प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में 10 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6700 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आल इंडिया कमर्शियल क्लर्कस एसोसियेशन से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अखबारों के पार्सलों पर अवप्रभार में वृद्धि ठीक ही की गयी थी और उसमें संहिता नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ था । फिर भी, विशेष परिस्थितियों में इन अवप्रभारों को छोड़ देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

मेरठ सिटी स्टेशन के बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध शिकायत

3364. श्री भारत सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री मेरठ सिटी स्टेशन के बुकिंग क्लर्क के विरुद्ध शिकायत के बारे में 10 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6810 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के निष्कर्ष क्या-क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) यह मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा

भविष्य निधि अनुभाग डिविजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा गलत मासिक रिपोर्ट का दिया जाना

3365. श्री भारत सिंह चौहान : क्या रेल मंत्री भविष्य निधि, अनुभाग डिवीजनल लेखा कार्यालय नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा गलत मासिक रिपोर्ट दिये जाने के बारे में 24 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7905 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उस के निष्कर्ष क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जिन 4 कर्मचारियों को चार्जशीट दी गयी थी, उन में से दो के खिलाफ ,अनुशासनिक कार्यवाही पूरी हो गयी है । इन प्रत्येक मामले में एक सैट पास और दो सैट पी०टी०ओ० बन्द कर दिये गये हैं । अन्य दो कर्मचारियों के संबंध में अभी कार्यवाही चल रही है ।

सभी वर्गों के तीसरी श्रेणी के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

3366. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में 1600-1800 रुपये और 1800-2000 रुपये के वेतनमान में राजपत्रित अधिकारियों के लगभग तीन सौ पद हाल ही में बढ़ाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी वर्गों के तीसरी श्रेणी के पदों का दर्जा बढ़ाये जाने का है जैसा कि पहले रेलवे मंत्री ने निर्णय किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कनिष्ठ तथा मध्यवर्ती प्रशासी ग्रेड के 218 पदों को वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड में पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है।

(ख) कार्यभार और उत्तरदायित्व में असाधारण वृद्धि हुई है। इस संबंध में सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात ही यह विनिश्चय किया गया है।

(ग) और (घ) यह मामला विचाराधीन है ।

उड़ीसा में तालचेर पर एक सुपरतापीय बिजलीघर की स्थापना

3367. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या सिचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचेर में लगाये जाने वाला सुपर थर्मल पावर स्टेशन संबंधी प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है;

(ख) क्या तालचेर में लगाया जाने वाला प्रस्तावित सुपर थर्मल पावर स्टेशन किसी अन्य राज्य में ले जाया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग): सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्थापित स्थल चयन समिति द्वारा पूर्वी क्षेत्र में एक सुपर पावर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए भावी स्थलों में से एक स्थल के रूप में तलचर की जांच की जा रही है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

Electrification of Harijan Basties in Bundelkhand Region of U.P.

3368. Dr. Govind Das Richhariya : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the District-wise number of Harijan Basties in Bundelkhand region of Uttar Pradesh electrified so far;

(b) the number of Harijan basties yet to be electrified in these Districts; and

(c) the Block-wise particulars of the Harijan basties in Jhansi District?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b) District-wise details of Harijan Bastie electrified up to 31st October, 1973 and to be electrified in Bundelkhand region are given in *Annexure-I* **(Placed in the Library.** See No.-LT **5903/73).**

(c) Block-wise details of electrification of Harijan Bastis in Jhansi District are indicated in *Annexure-II* **(Placed in the Library.** See **No.** LT-5903/73).

अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के तीसरी श्रेणी के बुकिंग कार्यालय में कार्यभार

3369. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के तीसरी श्रेणी के बुकिंग कार्यालय में कार्याभार के बारे में दिनांक 20 मार्च, 1973 की अतारांकित प्रश्न संख्या 3939 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्क के पद के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित न करने के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार ने पश्चिम रेलवे के किसी स्टेशन पर पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्क की व्यवस्था करने के लिये क्या सिद्धांत अपनाया है; और

(ग) अजमेर के तीसरी श्रेणी के बुकिंग कार्यालय में अभी तक पर्याप्त संख्या में कर्मचारी न रखने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्कों द्वारा किये जाने वाले काम की प्रकृति ऐसी है कि उसकी वजह से कर्मचारी संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिये कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत निश्चित नहीं किये जा सकते । आवश्यकताओं का आकलन वास्तविक अनुभव के आधार पर किया जाता है और समय समय पर उसकी संवीक्षा भी की जाती है । ऐसी ही एक संवीक्षा आजकल हो रही है ।

साधारण जनता/व्यापारियों के साथ करार करने के लिये विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त शक्तियां

3370. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री जनसाधारण/व्यापारियों के साथ करार करने के लिये विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त शक्तियों के बारे में 6 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2188 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों और रेलवे प्रशासन के बीच फारवर्डिंग नोट, जिसके जरिये रेलवे को माल परिवहन का ठेका दिया जाता है भारतीय रेलवे अधिनियम 1890 की धारा 72 के अन्तर्गत एक कानूनी दस्तावेज है;

(ख) रेलवे प्रशासन की ओर से व्यापारियों के साथ विभिन्न प्रकार के करार करने का अधिकार किस रेलवे अधिकारी को दिया हुआ है; और

(ग) क्या इस बारे में कोई सीमा निश्चित की हुई है कि एक रेलवे कर्मचारी रेलवे प्रशासन की ओर से किस सीमा तक फारवर्डिंग नोट को स्वीकार कर सकता है और उस पर हस्ताक्षर कर सकता है; और यदि हां, तो उस की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) यातायात की बुकिंग और सुपुर्दगी के काम में लगे हुए स्टेशन मास्टरों और वाणिज्यिक कर्मचारियों को रेल प्रशासन की ओर से सामान्य अग्रेषण नोट को छोड़कर सभी अग्रेषण नोट स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है । सामान्य अग्रेषण नोट स्टेशन मास्टर के सामने प्रेषक द्वारा निष्पादित और मण्डल वाणिज्य अधीक्षक द्वारा अनुमोदित किये जाने चाहिएं

नगर बुकिंग एजेंसी/आउट एजेंसी के मामले में इस प्रयोजन के लिये नियुक्त ठेकेदारों को सामान्य अग्रेषण नोट से भिन्न अन्य सभी अग्रेषण नोट स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है ।

(ग) जी नहीं ।

ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के लिए बिहार द्वारा सहायता मांगा जाना

3371. श्री हरि किशोर सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सरकार ने उस राज्य में ग्राम विद्युतीकरण योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में और वर्ष 1974-75 में उन योजनाओं के लिये कितनी धनराशि उपलब्ध की जायेगी

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का निष्पादन तथा प्रायोजन राज्य बिजली बोर्डों और पाइलाट ग्राम विद्युत सहकारिताओं द्वारा किया जाता है । आवश्यक जांच करने के उपरांत स्कीमें तकनीकी रूप से संभाव्य तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं, ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड-भारत सरकार का एक उपक्रम-बोर्डों तथा सहकारिताओं को उनकी स्कीमों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित 21.70 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता की 37 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें अब तक निगम ने स्वीकृत की हैं । इनमें से छः विकसित क्षेत्र (ओ०ए०), 27 पिछड़े हुए क्षेत्र (ओ०बी०), दो

विशेष रूप से अविकसित पहाड़ी, रेगिस्तानी जनजातीय क्षेत्रों (एस०यू०) और दो विशेष पररेषण की स्कीमें हैं। 3 से 5 वर्षों की अवधि में पूर्ण हो जाने पर इन स्कीमों से 49,694 पम्पसेटों का ऊर्जन व 7,747 लघु-उद्योगों को बिजली, 86,920 घरेलू व वाणिज्यिक कनेक्शन तथा 4,267 गांवों में 1,774 स्ट्रीट लाइटें मिलेंगी।

निगम ने हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिये बिहार राज्य बिजली बोर्ड को 11.948 लाख रुपये की धन-राशि का एक विशेष ऋण भी स्वीकृत किया है। इन ऋणों का उद्देश्य 207 हरिजन बस्तियों में 1474 स्ट्रीट लाइटों को व्यवस्था करना है।

निगम ने 31 स्कीमों के संबंध में प्रथम तथा द्वितीय किस्तों के रूप में 9.54 करोड़ रुपये को धनराशि के ऋण की अदायगी की है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित 7.88 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 11 स्कीमें निगम के पास विचाराधीन हैं तथा 7.40 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 9 स्कीमें पुनः वापस संशोधनार्थ भेज दी गई हैं।

गोरखपुर जिला (उत्तर प्रदेश) की फरेन्दा तहसील की सिंचाई

3372. श्री एस० एल० सक्सेना : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में सिंचाई वाला और बिना सिंचाई का कितना कितना क्षेत्र है;

(ख) क्या फरेन्दा तहसील के असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या सरकार रोहिन नदी पर पाइप लाइन डाल कर गंडक नहर का विस्तार करके फरेन्दा तहसील की सिंचाई करने की व्यवहारिकता पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या जलकुंडी योजना स्थगित कर दी गई है या उसे क्रियान्वित करने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील में सिंचित और असिंचित क्षेत्र क्रमशः 44272 हैक्टेयर और 55581 हैक्टेयर हैं।

(ख) उत्तर प्र श सरकार ने बताया है कि फरेन्दा तहसील में सिंचाई के लिये कुन्हरा नदी के पानी के उपयोग के लिये एक स्कीम का अन्वेषण किया जा रहा है।

(ग) फरेन्दा तहसील में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये जलसेतुओं के निर्माण द्वारा रोहिन और प्याम नदियों के पार गंडक सिंचाई चैनलों के विस्तार के लिये प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया और इसलिये राज्य सरकार द्वारा उसे छोड़ दिया गया था।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ वर्ष पहले सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिये राप्ती नदी के ऊपर जलकुण्डी में एक बहुद्देश्यीय बांध के निर्माण की परियोजना की थी और एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की थी। परियोजना के स्कोप और व्यौरे पर अभी राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है। तत्पश्चात, विस्तृत अन्वेषण के बाद परियोजना रिपोर्ट को तैयार करना होगा।

चुनी हुई बड़ी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता

3373. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और विद्युत उत्पादन में गंम्भीर कमी को देखते हुए, क्या सरकार ने भारी केन्द्रीय सहायता और प्रयास प्रदान करके चुनी हुई उन बड़ी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को आपातकालीन आधार पर पूरा करने की संभाव्यता और आवश्यकता की जांच की है जिनका निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) निर्माण की प्रौढ़ अवस्था में सात चुनी हुई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिये वर्तमान वर्ष में उन्हें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने पर विचार किया जा रहा है। संसाधनों की तंगी के कारण, चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाने के लिये किसी विशिष्ट केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाया है।

गंडक नदी पर प्रस्तावित पुल

3374. श्री शिब्बन लाल सक्सेना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंडक नदी पर चितौनी बाग में प्रस्तावित पुल केवल रेल पुल होगा अथवा रेल पुल एवं सड़क पुल और इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ख) क्या गोरखपुर-महाराजगंज-निचलौल-चितौनी की 60 मील लम्बी रेल लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ताकि गोरखपुर जिले के लोग इस नये पुल का पूरा उपयोग कर सकें ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) गंडक नदी पर एक पुल सहित बगहा-चितौनी मीटर लाइन को फिर से बनाने की मंजूरी 9-11-1973 को दी गयी है जिसकी अनुमानित लागत 6.74 करोड़ रुपये है। बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह रेल और सड़क पुल के संबंध में अपना विचार बताये। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार से सूचना मिलने के बाद अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा। पुल की लागत, जिसका अभी, रेल पुल के रूप में प्रस्ताव है, 3.87 करोड़ है। रेल एवं सड़क पुल की लागत का अनुमान केवल तभी लगाया जा सकता है जब राज्य सरकार की आवश्यकताओं की जानकारी हो जाये।

(ख) जी नहीं।

हरियाणा द्वारा यमुना नदी का रुख मोड़ना

3375. श्री एम० एस० शिवस्वामी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने यमुना नदी का रुख मोड़ने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि यमुना नदी के व्यपर्तन हेतु उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में सोनारपुर के निकट बोद्रा तेल की खोज

3376. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सोनारपुर, 24 परगना, के निकट बोद्रा तेल की खोज के लिये कोई नया सर्वेक्षण और प्रयास किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) एक नवीन भू-चुम्बकीय सर्वेक्षण, जिसमें आधुनिक आगुलिक तकनीक का प्रयोग होता है, बोदरा क्षेत्र में किये गये थे। तथापि, विगत में भू-चुम्बकीय सर्वेक्षणों के द्वारा प्राप्त परिणामों से इनसे प्राप्त परिणाम महत्वपूर्ण नहीं थे। इसलिये बोदरा संरचना में और व्यधन कार्य नहीं किये गये।

हल्दिया पैट्रोलियम और रसायन परियोजना की प्रगति

3377. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पेट्रोलियम और रसायन, परियोजना की क्या प्रगति है;

(ख) इससे कितने लोगों को लाभ होगा; और

(ग) इस पर कुल कितना शुद्ध व्यय आयेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

(1) हल्दिया शोधन शाला

(i) हल्दिया शोधनशाला के बारे में इंजीनिरिंग एवं प्राप्ति कार्य लगभग पूर्ण रूप से मुकम्मल हो गये हैं। निर्माण कार्य समाप्त होने ही वाला है और आशा है कि यह शोधनशाला 1974 के प्रथम चतुर्थांश तक चालू किये जाने के लिये तैयार हो जायेगी।

(ii) हल्दिया शोधनशाला परियोजना के निर्माण कार्य में इस समय नियुक्त कर्मकारों की कुल संख्या 2900 है, इन में से 1941 कारीगर हैं तथा अर्ध-कारीगर हैं। मुकम्मल हो जाने पर शोधनशाला की देख-रेख परिचालन के लिये केवल लगभग 800 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। हल्दिया परियोजना में शुरू किये जाने वाले उर्वरक संयंत्र तथा हल्दिया के आस पास अन्य परियोजनाओं में इस परियोजना से छंटनी किये जाने वाले व्यक्तियों में से अधिक से अधिक व्यक्तियों को काम पर लगाये जाने की संभावनाओं को कार्य रूप देने के लिये एक समिति बनाई गई है जिस में आई०ओ० सी०, एफ० सी०आई०, ई० आई० एल० तथा पश्चिमी बंगाल की सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(iii) हल्दिया शोधनशाला की स्वीकृत लागत 67.50 करोड़ रुपये है।

(2) हल्दिया उर्वरक संयंत्र

(i) हल्दिया उर्वरक संयंत्र विभिन्न खण्डों के डिजाइन एवं इंजीनियरी से संबंधित कार्य में प्रगति हो रही है। आयानित एवं देशीय उपकरणों तथा सप्लाई के मुख्य भाग के लिये आदेश दिये जा चुके हैं। भूमिका अर्जित की जा चुकी है और सिविल कार्य में प्रगति हो रही है।

(ii) इस परियोजना के लिये गैर-तकनीकी काडर के व्यक्तियों सहित कुल 1400 व्यक्तियों की जरूरत है।

(iii) वर्तमान अनुमानों के अनुसार, इस परियोजना पर लगभग 136 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

युवा इंजीनियरों को पैट्रोल एजेन्सियां देने सम्बन्धी योजना

3378. श्री प्रिया रंजन दास मुंशी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने युवा इंजीनियरों को प्रोत्साहन देने हेतु देश पर्यन्त इन्डियन आयल तथा आयल इन्डिया की पेट्रोल एजेन्सियां उनको देने के संबंध में किसी योजना की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इससे कितने युवा इंजीनियर लाभान्वित हुए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) जी, हां। नवम्बर 1969 में भारतीय तेल निगम ने फुटकर पंपों की डीलरशिप तथा मिट्टी के तेल, लाइट डीजल आयल और इण्डेन गैस के वितरण कार्य को निम्न वर्ग के उपयुक्त बेरोजगार स्नातकों और अहर्ता प्राप्त इन्जीनियरों को देने की प्रथा अपनाई थी। दिसम्बर, 1971 के युद्ध के तुरन्त बाद इस योजना को आस्थगित कर दिया गया और सरकार की स्वीकृति से भारतीय तेल निगम ने एक योजना हाथ में ली जिसके द्वारा इसको एजेंसियों को सेना के अपंग कर्मचारियों/उनके आश्रितों तथा भुत-

पूर्व सैनिकों को दिया जाता है । 1972–73 तक भारतीय तेल निगम ने अपनी बेरोजगार इन्जीनियर/स्नातक योजना के अंतर्गत निम्नलिखित संख्या में डीलरों/वितरकों की नियुक्ति की है :–

	फुटकर पेट्रोल पम्प	एस०के०ओ० एल०डी०ओ०	एल०पी०जी०	कुल
डीलरशिप/वितरण एजेंसी	130	69	69	268
व्यक्तिगत लाभभोगियों की संख्या (कुछ डीलरशिप/वितरण एजेंसियां भागेदारी की है)	171	89	93	353

उपरोक्त स्थिति 31–3–73 की है ।

आयल इंडिया विपणन कम्पनी नहीं है और इसके समक्ष ऐसी कोई योजना नहीं है ।

नई दिल्ली-मंगलौर जयन्ती जनता में रेनीगुन्टा स्टेशन पर बर्थों का कोटा

3379. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में तिरुपति की तीर्थ यात्रियों तथा अन्य लोगों की सुविधा के लिये रेनीगुन्टा स्टेशन पर नई दिल्ली-मंगलौर जयन्ती जनता में कितने बर्थों का कोटा उपलब्ध किया गया है; और

(ख) क्या बर्थों का वह कोटा तीर्थ यात्रियों के लिये पर्याप्त नहीं है, यदि हां, तो क्या उपयुक्त कोटा निर्धारित करने की व्यवस्था की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेणिगुण्टा स्टेशन के लिये 131 डाउन जयन्ती जनता एक्सप्रेस में तीसरे दर्जे की छः शायिकाओं का कोटा है । इसके अतिरिक्त, तिरुपति ईस्ट स्टेशन से टिकट लेने और रेणिगुण्टा से इस गाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों के लिये भी तीसरे दर्जे की छः शायिकाओं का कोटा आवंटित किया गया है । 132 अप नयी दिल्ली–मंगलूर एर्णाकुलम जयन्ती जनता एक्सप्रेस में कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया है ।

रेणिगुण्टा/तिरुपति ईस्ट दोनों स्टेशनों के लिये तीसरे दर्जे की शायिकाओं के कोटे में तीन से छः शायिकाओं की वृद्धि 4–10–73 से की गयी थी । रेणिगुण्टा स्टेशन को 132 अप जयन्ती जनता एक्सप्रेस में भी अलग कोटा आवंटित करने के लिये संबंधित रेल प्रशासनों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं ।

बिहार में गंगा के आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी पर मोकामा पुल और फरक्का बांध के निर्माण का प्रभाव

3380. **श्री मधु लिमये :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोकामा पुल और फरक्का बांध के निर्माण से गंगा नदी सिस्टम में बाढ़ के पानी की निकासी में रुकावट आई है जिसके परिणामस्वरूप बिहार के गंगा के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ों की भयंकरता बढ़ गई है और वे अधिक समय तक रहती है;

(ख) क्या इससे पटना, मुंगेर और भागलपुर जिलों में भू-कटाव की भारी समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं;

(ग) क्या पटना के निकट नये गंगा पुल के बाढ़ तथा भू-कटाव पर पड़ने वाले प्रभावों का पूरी तरह अध्ययन कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार बिहार राज्य में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का व्यापक रूप से अध्ययन करेगी ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) फरक्का बराज केवल एक व्यपवर्तन संरचना है। बाढ़ों के दौरान सभी द्वार खुले रखे जाते हैं और इस प्रकार यह बाढ़ प्रवाह में कोई रुकावट नहीं डालता है। मोकामेह पुल के लिये पर्याप्त जल मार्ग की भी व्यवस्था की गई है और बाढ़ों के दौरान किये गये अवलोकनों से पता चला है कि जलोत्थान नगण्य है।

(ख) मोकामेह पुल और फरक्का बराज के निर्माण से पहले ही गंगा के साथ-साथ कटाव होता रहा है। कटाव निस्सार में विभिन्नता, तलछट की मात्रा नदी का ढालू होना और तल और तट की मिट्टी के संयोजन जसे कई एक पहलुओं के कारण नदी वहाव में परिवर्तन होते रहते हैं। गंगा के साथ कटाव भी नदी के विसर्पणों में परिवर्तन की समग्र समस्या एक भाग है, जो कि जलोढ़ नदियों में एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।

(ग) जी, हां। केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र पूना में अध्ययन किये गये और उनसे पता चला है कि इस पुल का बाढ़ के वहाव या नदी की वाह स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Complaints regarding Equipment for Power Plants imported from Russia

3381. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether Government have received complaint to the effect that some of the equipments and spare parts imported from Russia for the various Power plants were found to be very old;

(b) if so, whether any high-power enquiry has been conducted in the matter; and

(c) if so, the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) No such complaint has come to the notice of Government.

(b) & (c) Do not arise.

स्टोर खलासियों को भारी श्रम भत्ता

3382. **श्री या किरुतिनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टोर खलासियों को, जिन्हें स्टोर डिपुओं में दुष्कर और खतरनाक काम करना पड़ता है, वर्कशाप कर्मचारियों को इसी प्रकार के कार्य करने पर प्राप्त होने वाला भारी श्रम भत्ता नहीं दिया जाता; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) और (ख) रेलों पर चौथी श्रेणी के सभी कर्मचारियों जिनमें भंडार खलासी और कारखानों के अकुशल कर्मचारी शामिल हैं, के वेतन-मान दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर आवंटित किये गये हैं। दूसरे वेतन आयोग ने कारखानों के एसे अकुशल कर्मचारियों के लिये जिनका काम बहुत भारी है अथा उनकी ड्यूटी में विशेष खतरा है, 3 रु० प्रतिमाह की दर से विशेष वेतन की सिफारिश की थी, लेकिन भंडार खलासियों के लिये ऐसे किसी विशेष वेतन की सिफारिश नहीं की गयी थी।

नैमितिक श्रमिकों की दैनिक मजूरी में वृद्धि करना

3383. **श्री या किरुतिनन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के रेल कर्मचारी प्रगतिवादी संघ ने रेलवे प्रशासन का ध्यान सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण जीवन-निर्वाह मूल्य में वृद्धि और रेलवे में रखे जाने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को दी जाने वाली दैनिक मजूरी में वृद्धि की आवश्यकता की ओर दिलाया है;

(ख) क्या रेलवे में रखे जान वाले नैमित्तिक श्रमिकों को कुछ राज्य सरकारी विभागों तथा कुछ केन्द्रीय सरकारी विभागों की अपेक्षा बहुत कम दैनिक मजूरी दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की दैनिक मजूरी बढ़ाने के लिये रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग किया जाना

3384. श्री था किरुतिनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अथवा गृह मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को हाल ही में ऐसे निर्देश दिये हैं कि रेलवे प्रशासन में तेजी से हिन्दी का प्रयोग करके अंग्रेजी को हटाया जाए ;

(ख) यदि हां, तो निर्देश की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे से जोनल कोड तथा वाहनों और माल डिब्बों की संख्या केवल देवनागरी लिपि में देने के लिये कहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

आय-कर निर्धारण हेतु आय कर सीमा बढ़ाना

3385. श्री था किरुतिनन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों या उनके किसी संघ ने वेतन ढांचे के पुनरीक्षण को देखते हुए कर्मचारियों की वास्तविक मंजूरी के संरक्षणार्थ आय कर निर्धारण के लिये आय कर की सीमा बढ़ाने के लिये कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर रेलवे प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) आय कर में छूट की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपये कर देने के लिये कुछ यूनियनों की ओर से अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) यूनियनों के अभ्यावेदन वित्त मंत्रालय को अग्रेषित कर दिये गये हैं, जो इस मामले में संबंधित मंत्रालय है ।

मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्त के पिण्डों और पट्टियों की चोरी

3386. श्री धनशाह प्रधान : क्या रेल मंत्री मेरठ सिटी स्टेशन पर माल डिब्बों से आयातित जस्त के पिण्डों और पट्टियों की चोरी के बारे में 20 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3888 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) पूरा प्रयास किये जाने पर भी चोरी के घटना स्थल का पता नहीं लगाया जा सका ।

(ग) मेरठ सिटी स्टेशन (उत्तर रेलवे) के एक शंटिंग जमादार और रेलवे सुरक्षा दल चार कर्मचारियों के विरुद्ध ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिये विभागीय कार्रवाई की जा रही है ।

रेलवे के विकास के लिए पांचवीं योजना में प्रस्ताव

3387. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के विकास के पांचवीं योजना के प्रस्तावों को ग्रन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; ग्रौर

(ग) इन पर कितने खर्च का ग्रनुमान है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रेलों के विकास के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को योजना ग्रायोग द्वारा ग्रन्तिम रूप दिया जा रहा है। योजना की मुख्य विशेषतायें हैं कर्षण, सिगनल ग्रौर दूर-संचार, चल-स्टाक, रेलपथ ग्रनुरक्षण, कारखाना उपस्कर ग्रौर तकनीक, जिसमें ग्रनुसंधान ग्रौर विकास कार्य भी शामिल है, के क्षेत्रों में ग्राधुनिकीकरण ग्रौर सुधार लाने के ग्रलावा योजना की ग्रवधि में प्रस्तावित ग्रतिरिक्त माल ग्रौर यात्री यातायात विकसित करना।

योजना ग्रायोग द्वारा पांचवीं योजना में 2350 करोड़ रुपये के परिव्यय का ग्रनन्तिम रूप से प्रस्ताव किया गया है।

1973-74 के दौरान केरल के क्विलोन जिले में ग्रामों का विद्युतीकरण

3388. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **सिंचाई ग्रौर विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973–74 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के ग्रंतर्गत केरल के क्विलोन जिले के लिये किस किस गांव में बिजली लगाये जाने का विचार है ?

सिंचाई ग्रौर विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : केरल राज्य बिजली बोर्ड ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के ग्रधीन केरल के क्विलोन जिले के 13 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का विचार रखता है। इन गांवों के नाम नीचे दिये जाते हैं :–

1. वडास्सेरिकारा
2. केन्निथाजम
3. सूरनद साउथ
4. मुथुविलाकड वैस्ट
5. वैस्ट कल्लाडा
6. पविथेश्वरम
7. वेन्गूर
8. मुथायिल
9. एडाग्रोन
10. एडापालयम
11. मेनियार
12. करयारा
13. कोक्काड

मिराज-लाटूर को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण

3389. **श्री ग्रण साहिब गोटखिडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे पर जहाँ रेलवे मोड़ ग्रावश्यक है वहां मिराज-लाटूर को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को ग्रन्तिम रूप देने के लिये यातायात तथा इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के लिये कब स्वीकृति दी गई थी;

(ख) क्या सर्वेक्षण कार्य ग्रारम्भ हो गया है; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) यातायात एवं इंजीनियरी सर्वेक्षण की मंजूरी 6-4-1973 को दी गयी थी।

(ख) सर्वेक्षण कार्य हाल ही में शुरू किया गया है।

(ग) जून, 1974 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

इण्डिया टुबाको कम्पनी के कार्यों की जांच

3390. श्री त्रिदिव चौधरी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटेन की इम्पीरियल टुबाको कम्पनी की सहायक इण्डिया टुबाको कम्पनी, जिसकी देश में सिगरेट बनाने वाले उद्योग में पहले से ही विशेष स्थिति है, ने बड़े पैमाने पर होटल उद्योग, समुद्र से मछली पकड़ने वाली नौकायें बनाने वाले उद्योग में तथा पैकिंग की सामग्री, साइकिलों के पुर्जे इंजीनियरिंग का साज-सामान और मोटर-गाड़ियों के पुर्जे आदि निर्यात करने का उपक्रम किया है; और

(ख) क्या आर्थिक शक्ति के विचार से एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा कम्पनी के कार्यों की जांच कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत इण्डिया टुबाको कम्पनी लिमिटेड को तीन होटलों, आगरा, दिल्ली और मद्रास प्रत्येक में एक की स्थापना के अनुमोदन की अनुमति प्रदान की गई है । एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कम्पनी का समुद्री उत्पादों की प्रक्रिया हेतु एक नये उपक्रम की स्थापना के लिये जिसमें परिकल्पित किया जाता है कि दापोली (महाराष्ट्र), पैरादीप (उड़ीसा) और हल्दिया (रायचौक, पश्चिमी बंगाल) में क्रमश: प्रत्येक में 3000 टन की वार्षिक क्षमता सहित तीन प्रक्रिया एककों के गठन किये जाने का एक आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है । प्रस्ताव में जालपोतों के आयात को परिकल्पित किया गया है । हांलाकि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत जालपोत निर्माण उद्योग की स्थापना के अनुमोदन के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

कम्पनी ने अपने दिनांक 23 अक्तूबर, 1973 के पत्र द्वारा सूचित किया कि 30 सितम्बर, 1973 को समाप्त होने वाली छ: माह की अवधि में उसने समुद्री उत्पादों लपेटने। बांधने की सामग्री, सिगरेट, माइरोब्लम उत्पादित और मिश्रित सिगरेट चूर्ण, पैकेट चाय चर्म वस्तु, साइकिल/पुर्जे, अभियांत्रिक पुर्जे, सिल्क सामग्री, हेसियन कपड़ा, टेमेरिड कनक्रीट और रिकार्ड विज्ञापन टेपों का निर्यात किया ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

मैसर्स शां वैलेस एण्ड कम्पनी

3391. श्री त्रिदिव चौधरी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि सिंगापुर की मैसर्स सिमे डरबी एण्ड कम्पनी जिसके मैसर्ज शां वैलेस एण्ड कम्पनी में, 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली ब्रिटेन को उनकी सहायक कम्पनी मैसर्ज आर०जी० शां एण्ड कम्पनी के माध्यम से, 38 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, के चेयरमैन तथा एक निदेशक को धोखाधड़ी तथा गबन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या संदिग्ध प्रमाण-पत्रों वाले लोगों द्वारा मैसर्ज शां वैलेस एण्ड कम्पनी से संबंधित बोलियों के देर से हाथ में लेने का इस घटना के साथ कोई संबंध है ?

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) :(क) हां, श्रीमान ।

(ख) विभाग के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में
RE : CALLING ATTENTION

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The Government has said regarding Calling Attention that they have not received full information on yet. If they have not received information from their embassy at Kathmandu, it should be postponed and when information is received we shall have discussion on it.

Shri Madhu Limaye (Banka) : I also rise on a point of order on the same point. I support the suggestion made by Shri Bibhuti Mishra and it should be taken up only when the required information is received.

ग्रध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न वैध हैं । इसे कल तक स्थगित किया जाना चाहिये ।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : वाणिज्य मंत्री यह कार्य कर रहे हैं । पत्र-व्यवहार में भी कुछ कठिनाई हुई है । प्रतिवेदन कल तक शायद ही प्राप्त हो । यदि मुझे ग्राज जानकारी मिल गई तो मैं सचिवालय को सूचित कर दूंगा ।

ग्रध्यक्ष महोदय : यदि उन्हें ग्राज जानकारी मिल जाती है तो इसे कल रखा जायेगा ग्रन्यथा इसे बाद में रखा जायेगा ।

प्रो० मधुदंडवते (राजापुर) : ग्राप नियम 377 के ग्रन्तर्गत एक ग्रौर सूचना के लिये ग्रनुमति दे सकते हैं ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्रापके लिये यह ग्रप्रत्याशित लाभ होगा, मैं कोशिश करूंगा ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी ग्रधिनियम, 1956 के ग्रन्तर्गत पत्र

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): मैं कम्पनी ग्रधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के 31 ग्रगस्त, 1972 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के 31 ग्रगस्त, 1972 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे ग्रौर उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी-5896/73]

एकाधिकार तथा ग्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार ग्रधिनियम, 1969 के ग्रन्तर्गत प्रतिवेदन

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरूग्रा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :-

(1) एकाधिकार तथा ग्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार ग्रधिनियम, 1969 की धारा 62 के ग्रन्तर्गत एकाधिकार तथा ग्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार ग्रायोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :-

(एक) मैसर्स सेन्चुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के मामले में उक्त ग्रधिनियम की धारा 21(3) (ख) के ग्रधीन प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 1-6-1972 का ग्रादेश ।

(दो) मैसर्स कारबोरण्डम युनिवर्सल लिमिटेड, मद्रास के मामले में उक्त ग्रधिनियम की धारा 21(3) (ख) के ग्रधीन प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 1-10-1971 का ग्रादेश ।

(तीन) मैसर्स विद्युत मैटलिक्स (प्रोपनामा प्राइवेट लिमिटेड) कलकत्ता के मामले में उक्त ग्रधिनियम की धारा 21(3) (ख) के ग्रधीन प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 16-7-1973 का ग्रादेश ।

(चार) मिस्ट्रोनिक्स (साराभाई सन्स प्राइवेट लिमिटेड का एक डिवीजन) अहमदाबाद के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21(3)(ख) के अधीन प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 20-7-1973 का आदेश।

(पांच) मैसर्स टी०वी० सुन्दरम आयंगार एण्ड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, मदुरै के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22(3)(ख) के अधीन प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार की दिनांक 2-12-1972 का आदेश।

(छः) मैसर्स हिन्दुस्तान अल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 21(3)(ख) के अधीन प्रतिवेदन तथा उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 31-7-1973 का आदेश।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों तथा उन पर सरकार के आदेशों के अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी०-5897/73]

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

(एक) आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत इण्डियन काटन मिल्स फेड्रेशन का कथित पंजीकरण

Shri Madhu Limaye (Banka) : I want to raise an important question. The Trade Unions are covered under section 11 of the Income Tax Act. The Indian Cotton Mills Federation—a powerful union of this capitalists got itself registered in Bombay under this law and as a result of that this Federation was exempted from Income Tax for ten years. This Federation was never defined as it is required as per the Indian Trade Unions Act and the Indian Cotton Mills Federation should not have been exempted from Income-Tax. This has resulted in loss of the order of Rs.90 lakhs to the Ministry of Finance. May I know whether such organisations can be registered under the Trade Unions Act? Can this case be investigated? It can be done under the Income Tax Act and this amount of Rs. 90 lakhs or more can be realised. If the Government are not prepared to answer, there should be explanation of these points in the day.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री एस० एम० बनर्जी को एयर कारपोरेशन्स एम्प्लाइज यूनियन के बारे में नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति देना चाहता था। वह यहां नहीं हैं।

श्री समर गुह कहां हैं? हमारा विचार इसे कल रखने का है।

अब हम अगले कार्य को लेते हैं..

(दो) कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद के संबंध में बेलगांव में गम्भीर दंगों के बारे में समाचार

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने नियम 377 के अधीन मैसूर-महाराष्ट्र सीमा-विवाद के बारे में सूचना दी है..

अध्यक्ष महोदय : आप एक-दो शब्द कह सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : कल बेलगांव में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है । कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है । महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा-विवाद काफी समय से केन्द्र के पास अनिर्णीत पड़े रहने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है । महाराष्ट्र से एक शिष्टमंडल आया और प्रधान मंत्री से मिला । प्रधान मंत्री ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया । अत: मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इस मामले की जांच करें । मेरी केवल यही मांग है कि केन्द्रीय आसूचना विभाग के अधिकारियों को वहां प्रतिनियुक्त किया जाये । जो उपद्रव हुए हैं उनकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जानी चाहिये । जब उपद्रव हुए थे तब पुलिस के उप-आयुक्त वहां उपस्थित थे ।

श्री समर गुह : मुझे बताया गया था कि इसे कल लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि यह कल लिया जाये ।

उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सी० सुब्रह्मण्यम द्वारा 3 दिसम्बर, 1973 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करते हैं, अर्थात् :–

> "कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये ।"

श्री बी०वी० नायक बोल रहे थे । अब वह शीघ्र ही भाषण समाप्त करें ।

श्री बी०वी० नायक (कनारा) : मैं अपने अंतिम वाक्य में यह कह रहा था कि जब तक हम उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे जब तक सरकारी तंत्र को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तब तक उद्धार नहीं होगा । मैंने यह सोचा था कि इस छोटे से विधान से प्रत्येक क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा । जहां तक हमारी अधिष्ठापित क्षमता का संबंध है, इस पर रोक लगाने से हमारे देश के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कमी होगी । मंत्री महोदय द्वारा की गई प्रस्तावना टिप्पणियों के आधार पर मैंने सोचा कि जब हमने बढ़े हुए उत्पादन का युक्तिकरण कर दिया है तो यह रोक के रूप में काम करेगा । मैं चाहता हूं कि यह रोक के रूप में काम न करे । उत्पादन क्षमता बनाम अधिष्ठापित क्षमता के बारे में भी काफी विवाद हुआ है । उदाहरण के लिये, यदि एक ट्रक की क्षमता 10 टन की है और कोई होशियार ड्राइवर 12 टन वजन ले जाता है तो यह तो प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वह अधिक से अधिक क्षमता का प्रयोग करे । अत: मैं नहीं समझता कि उत्पादन क्षमता और अधिष्ठापित क्षमता के बारे म कोई मूल विवाद है । चाहे किसी भी प्रकार का उत्पादन हो, चाहे सिगरेट का हो. . (**व्यवधान**) शराब के उत्पादन को सरकारी क्षेत्र में कीजिये, इसे उत्पादन-शुल्क के ठेकेदारों को क्यों देते हैं ? उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग न करना ही गलत बात है । समूचे औद्योगिक क्षेत्र के भावी विस्तार के बारे में कहा गया है । मेरा यही कहना है कि अधिष्ठापित क्षमता को बेकार मत पड़ी रहने दीजिये ।

मैं इतना ही कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि विकास और सामाजिक न्याय के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिये । हमें उत्पादन और सामाजिक न्याय के बीच संघष की ओर ध्यान देना है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सी०एम० स्टीफन उपस्थित नहीं है । श्री रामसिंह भाई ।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): I support the amending Bill. It is essential in the plan period that the administration should have the estimates regarding demand and supply and at the same time there should be some sort of coordination in the matter of production and distribution. There are certain drawbacks in the original Act and they should be removed. This amen ment, which has been brought forward, is necessary.

The information asked for is about the installed capacity, the number of shifts and the number of man-days and the figures of production during three years preceding the enforcement of this law. Some of my friends have misunderstanding about installed capacity and production capacity. These two are different things. Our Prime Minister has repeatedly appealed to have sunday as a working day. I support it because the whole economy of our country depends upon production. If there is no production, either in agricultural or industrial sector, situation will deteriorate further. The hon. Minister has exercised care to see that the small scale industry is not affected on account of large scale industry.

Reference has been made to expansion. There are more looms and less spindles in Textile Mills. It is unbalanced and it leads to decline in production. We have made a demand to the effect that there should be 2500 spindles where there are 500 looms.

There are certain ways by which there can be more production irrespective of our installed or production capacity. If old machines or components are replaced by new ones, the production may go up. The Trade Unions and industrialists are trained through Productivity Council.

Generally, there are 26 man days in a month but there are a large number of units where there are 30 mandays. It leads to increase in production.

Sometime back the production capacity of Nepanagen Paper Mill was of order of 100 tonnes daily. The capacity has been increased by 250 tonnes. But the capacity of the pulp Machine is 100 tonnes. It has resulted in loss of production.

The production capacity of currency paper at Hoshangabad is 9 tonnes daily but its production is not more than 2 or 3 tonnes a day. Now its production is 11 tonnes a day. These matters are to be considered

Shri Madhu Limaye: My suggestion is that the Attorney General of India should be called here and his opinion on the three points should be heard. We had a talk with the Minister of Industrial development to-day in the morning. He told us about the ground on which he wanted to take the opinion of the Ministry of Law. He further said that the Ministry of law had given contradictory opinion. Lastly, he said that the Ministry of Law had asked to bring forward a new Bill instead of exercising the right which is there, by way of abundance caution, under existing law. There was no mention of the production capacity and installed capacity in the rules framed under the existing law and forms—'A', 'B' Application Forms—prepared under the existing law.

Production capacity of the registered companies cannot be determined by us, as Shri Sathe had said. I say that Government has to issue certificate under section 10(3) and frame rules under section 30. The Question is that why the defects in the original form of the certificate were not removed.

Government can fix the productive capacity of the registered companies under the present law by revising the rules and forms. I should say that you are legalising the illegal expnnsion.

I, therefore, propose that the opinion of the Attorney General be sought on the following three points. Firstly, whether Government can change the registration application form under section 30; secondly, whether Government can enter the capacity in the certificate under the Act; and thirdly, whether in order to determine the capacity, a new amending Bill is required to be passed.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हमने इस प्रश्न पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि संशोधन जरूरी है, अन्यथा बाद में इससे कानूनी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी । मेरे विचार में महान्यायवादी को यहां बुलाना जरूरी नहीं है ।

इनके विचार में उत्पादन वृद्धि एक बड़ी डकैती है । इसमें कोई भी ऐसी पेचीदा बातें नहीं हैं जिसके लिये महान्यायवादी को यहां बुलाया जाना जरूरी हो ।

Shri Madhu Limaye : They said that the Law Minister gave contradictory opinion.

अध्यक्ष महोदय : कोई बात बुनियादी रूप से अथवा संवैधानिक दृष्टि से गलत हो तो बात अलग है लेकिन जब वह कहते हैं कि उन्होंने विचार कर लिया है तो विधेयक पास करने में विलम्ब क्यों किया जाये।

श्री मधु लिमये : महान्यायवादी को बुलाया जाये। वही बतायें कि क्या नया विधान जरूरी है? मामला यहीं समाप्त होता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करवा ली है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इसका निर्णय महान्यायवादी ने नहीं बल्कि सभा ने करना है।

Shri Madhu Limaye : Let us hear the Law Minister.

Mr. Speaker : Do you think that this Bill has been introduced without their mutual consultations?

Shri Madhu Lamaye : He gave a contradictory opinion.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मुझे पूरी तरह से याद नहीं। जहां तक मुझे याद है हमने इस मामले के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर विचार किया था। हमने मंत्रालय को परामर्श दिया था कि यह प्रावधान वैध है। मेरे विचार में इसमें परस्पर विरोधी बात कोई नहीं है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य इस बात की पृष्ठभूमि जाने बिना महान्यायवादी को यहां बुलाना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye : What is the difficulty in taking legal opinion.

अध्यक्ष महोदय : विधेयक में जो व्यवस्था की गयी है उसकी व्याख्या के लिए महान्यायवादी को यहां नहीं बुलाया जा सकता।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I have placed all the facts before you. Now please allow me to move the motion for seeking the opinion of the Attorney General on the three points already mentioned by me.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमें यह देखना है कि 22 वर्ष पश्चात विधि की जो त्रुटि दूर की जा रही है वह क्या वास्तव में दूर हो जायेगी। दूसरी बात यह है कि क्या एक विस्तृत विधान लाने की आवश्यकता है। बात यह है कि इससे एकाधिकारी गृहों को एकाधिकारों का लाभ मिलेगा और देश को हानि होगी। अत: मैं श्री मधु लिमये के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि महान्यायवादी को सभा में अपनी राय देने के लिये बुलाया जाये।

श्री बीरेन दत्त : मैं भी उनका समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

> "कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक के संबंध में श्री मधु लिमये द्वारा उल्लिखित कतिपय बातों के बारे में सभा को संबोधित करने के लिये महान्यायवादी को आमंत्रित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।
The Lok Sabha divided:

पक्ष में :	विपक्ष में
Ayes:	Nos:
16	83

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं नियम 109 के अन्तर्गत इस विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूं। मंत्री महोदय हमारे संशोधन स्वीकार करने के लिये सहमत नहीं हुए हैं हमने प्रधान मंत्री से बात करने के लिये लिखा है ताकि हम उन्हें इस विषय म कठिनाइयां बता सकें। तब तक के लिए वाद-विवाद स्थगित होना चाहिये। मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि राज्य सभा द्वारा पारित रूप में उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधयक पर वाद-विवाद 5 दिसम्बर, 1973 तक स्थगित किया जाये।"

जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया अपने स्थानों पर खड़े हों।

10 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं और विपक्ष में बहुत ज्यादा सदस्य हैं। अतः प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।
The motion was negatived.

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर 5 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the clock.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K.N. Tiwari *in the Chair*]

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र में उत्पादन क्षमता का उल्लेख करने की अत्यन्त आवश्यकता है। लाइसेंस नीति और उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों की यथार्थ स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक प्रतीत होता है।

20 वर्ष पहले मूल अधिनियम बनाया गया था जिसके अन्तर्गत लक्ष्य रखा गया था कि देश को औद्योगिक दृष्टि से आगे ले जाया जाये। इन 20 वर्षों में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस नीति का पुनरीक्षण करना पड़ा है। प्राक्कलन समिति ने भी लाइसेंस नीति पर विचार किया है। कुछ अन्य समितियों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया था। हर समय देश का ध्यान इस ओर दिलाया गया। यहां तक कि समय समय पर धारा 29 (ख) को लागू करना और विभिन्न प्रतिष्ठानों को छूट देना आवश्यक हो गया।

1 जनवरी, 1972 की अधिसूचना के अनुसार, 65 उद्योग अपनी शत प्रतिशत क्षमता का विस्तार करने के लिये स्वतंत्र हो गये थे। प्राक्कलन समिति ने सरकार द्वारा घोषित की गई छूटों का स्वागत किया है।

जब किसी फर्म को एक अथवा दो पारियों में काम करने के आधार पर कतिपय क्षमता का लाइसेंस दिया जाता है तो उसे मशीनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु लाईसेंस की क्षमता बढ़ाने की अनुमति दे दी जाती है। अन्य मामलों में लाइसेंस क्षमता में वर्तमान 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बजाय 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की छूट दी जाती है।

लाईसेंस देने की नीति इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे देश की उत्पादनक्षमता और अधिष्ठापित क्षमता बिलकुल बेकार न जाये। इससे मुकरना प्राक्कलन समिति में किये गये वायदों से मुकरना है।

मैं समझता हूं कि धारा 30 के अन्तर्गत हम प्रमाणपत्र में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। नियम बनाने के अधिकार ने सरकार को काफी क्षेत्राधिकार प्रदान किया है।

प्राक्कलन समिति ने बार बार अपने प्रतिवेदनों में अधिक उत्पादन का जिक्र किया है। जब तक उत्पादन नहीं होता, इस देश की आर्थिक स्थिति का कोई समाधान नहीं निकलता। इस देश का भविष्य फल के निकलने पर आधारित है। यदि इस विधेयक का यह उद्देश्य है तो उसका हृदय से समर्थन किया जाना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Since the Government is already having sufficient powers, there is no necessity to bring forward this Bill. I think this Bill aims at benefiting the foreign companies and also big industrial houses of the country so that donation could be collected from them in future.

The committee appointed for the development of Industries made certain recommendations from time to time but nothing has been done to implement them. I do not, therefore, know the reason for which this Bill has been brought forward.

Shri Madhu Limaye : I am against the development and encouragement of foreign compaines in the field of consumer industries I.A.S. and I.C.S. officers of the Ministry of Industrial Development are in hand and glove with the foreign companies and big industrialists and it becomes very difficult for the Minister to control the situation.

I want to know the reasons for which they could not prepare the proform a of application forms and certificate under the rule-making powers which the Government had during all these 20-22 years. In fact, Government wants to provide a legal cover to what has been done illegally. Government should be frank enough to admit that it does not intend to check the concentration of economic power, that it does not want to encourage the indigenous industries. Then, there may be a difference of opinion but there cannot be a dispute. But when our object is the same, why should such things be allowed to happen. This is my question.

Another factor is that when the Bill was to be introduced, information regarding that leaked out to the companies and they, in anticipation, increased their production capacity. I had given the example of the Indian Tobacco Company to the hon. Minister. An officer of that Company had given me that information.

While bringing an amendment to the Act, the Minister should have taken all the aspects and facts into consideration. But he has ignored the facts I mentioned in my letter sent to him in June. I strongly oppose legalising each and every irregularity by bringing such amendments now and then. While bringing such amendment, all aspects should be taken into consideration—whether foreign companies are being Indianised or not; whether they have evaded taxes; and what amount of foreign exchange is being remitted by them to foreign countries. It is also argued by Government that they will not discriminate against foreign companies. I am unable to understand the logic of the Government. Giving encouragement to indigenous industries or companies is not discrimination against foreign companies. It is a misfortune that the policy of providing protection to Indian companies is being described as discrimination against foreign companies. Moreover, the increased capacity of foreign firms in respect of non-consumer industry and non-essential industry should not be regularised as such.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Depty Speaker *in the Chair*]

The Industrial Policy Resolution is not clear. There should be a proper industrial policy. If Government want to give encouragement to indigenous industries, to check concentration of economic power and curb, the expansion of foreign companies, they should patiently listen to what we say. So, Government should accept my amendment. If it is not possible to do so, Government should withdraw this Bill and bring another comprehensive Bill based on sound industrial policy.

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में सरकार को, प्रत्येक वर्ग के उपक्रम को उद्योग विनियमन और विकास अधिनियम के पारित होने से पूर्व दिये गये रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्रों को उनसे मांगने का अधिकार दिया गया है । जिस समय उद्योग विनियमन और विकास विधेयक पारित किया गया उस समय सभी विद्यमान उपक्रमों को रजिस्टर कराना आवश्यक था किन्तु संबंधित नियमों के अधीन जारी किये गये रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्रों में

औद्योगिक क्षमता का उल्लेख करने के लिये कोई कालम नहीं था । अब सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि कुछ उद्योगों और कुछ रजिस्टर्ड उपक्रमों ने अपना उत्पादन रजिस्ट्रेशन के समय बताये गये उत्पादन से बहुत अधिक बढ़ा लिया है । यह लघु और कुटीर उद्योगों के लिये अहितकर है, साथ ही इससे इन उद्योगों को 1951 में पारित अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त उद्योगों की तुलना में हानि होती है । अतः दोनों उद्योगों को समान स्तर पर लाने के लिये यह विधेयक लाया गया है । इसे उद्योगों के नियमित किया जा सकेगा और उनके विकास में अधिकाधिक अनुशासन लाया जा सकेगा । इस विधेयक के उपबन्ध उचित हैं इसलिये इसका समर्थन किया जाना चाहिये । यह कहा गया है कि यह विधेयक अनावश्यक है, किन्तु मेरे विचार से यह आवश्यक है क्योंकि इस समय सरकार ऐसे नियम नहीं बना सकती जिनमें दंड देने की व्यवस्था हो । इसके अतिरिक्त, औद्योगिक नीति स्पष्ट करने और लाइसेंस आदि देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से भी इसे लाया गया है । औद्योगिक नीति के स्पष्टीकरण से और लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाये जाने से औद्योगिक विकास की गति बढ़ जाती है । देश में हाल ही में औद्योगिक उत्पादन में जो कमी आई है, उसके संदर्भ में ऐसा करना आवश्यक भी था ।

सरकार ने बड़े 'औद्योगिक गृह' की परिभाषा पुनः की है । नई परिभाषा के अनुसार उन औद्योगिक गृहों को 'बड़ा' माना जायेगा, जिनकी आस्तियां, उनसे संबद्ध सभी उद्योग-समूहों की आस्तियों सहित, 20 करोड़ रुपये से कम मूल्य की नहीं होंगी । इस विस्तृत परिभाषा के आधार पर एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियायें आयोग देश में एकाधिकारवादी प्रवृत्ति को बढ़ने से रोकने में अधिक सफल होगा । मैं इस धारणा का भी विरोध करता हूं कि बड़े औद्योगिक गृहों को प्रगति करने से रोका जाये । यदि उनका अस्तित्व वैध है तो उन्हें प्रगति करने की भी छूट होनी चाहिये ताकि वे घाटे में न जाकर लाभ कमायें । वास्तव में हमारे देश में 'एकाधिकार' की तो कोई समस्या ही नहीं है । इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर समवाय अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन कर दिये गये हैं । बड़े औद्योगिक गृहों पर नियंत्रण हमारे देश में आसानी से किया जा सकता है ।

इस विधेयक की आलोचना एक गलत आधार पर की जा रही है । यह कहना बिल्कुल गलत है कि बड़े औद्योगिक गृहों की क्षमता के गैर कानूनी विस्तार को नियमित करने के लिए यह विधेयक लाया गया है । 1951 में जब अधिनियम लागू किया गया था तो उस समय ऐसे हजारों लघु, मध्यम और बड़े औद्योगिक गृह थे जिनकी क्षमता के बारे में उनके प्रमाण-पत्रों में कोई उल्लेख नहीं था । इनमें से केवल बड़े औद्योगिक गृहों को ही क्यों चुना जाये । उनमें से कुछ बंद भी हो गये हैं और कुछ का उत्पादन बढ़ा है । जिनका उत्पादन बढ़ा है, उन्होंने वास्तव में देश की सेवा की है । जहां तक लाइसेंस देने संबंधी प्रक्रियाओं का संबंध है, सरकार ने औद्योगिक स्वीकृति के लिये एक विशेष सचिवालय और एक परियोजना स्वीकृति बोर्ड की स्थापना की है । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि ये निकाय शीघ्रता से कार्य करें और उनमें नौकरशाही न पनपने पाये जिससे कार्यकुशलता कम होती है । हां, इस बात से मैं सहमत हूं कि बड़े औद्योगिक गृहों को पूर्व-रिक्ति क्षमता (प्री-एम्पटिंग कपेसिटी) और लाइसेंस लेकर नये कारखाने स्थापित न करने जैसे कदाचार करने से रोका जाये । साथ ही लघु उद्योगों को महत्व दिया जाये क्योंकि इससे औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा ।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । बड़े औद्योगिक गृहों के अनधिकृत उत्पादन विस्तार को नियंत्रित किया जाना चाहिये और दूसरे, उन्हें देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वी राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सम्पूर्ण देश का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक विधेयक सरकार को लाना चाहिये, जिससे मुख्य अधिनियम में बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता न पड़े । बड़े औद्योगिक गृहों के उत्पादन को सीमित करना तभी तर्कसंगत रहेगा जबकि लघु उद्योगों का उत्पादन बढ़ाया जाये और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये जायें । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थना करता हूं ।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : श्रीमान, अतीत से अनुभव से पता चलता है कि अब तक किये गये सभी विनियमनकारी उपाय असफल रहे हैं —वे न एकाधिकार को रोक सके हैं और न लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहन दे सके हैं । अनुभव से यह भी पता लगा है कि पूंजीवाद का नियम इन विनियमनकारी उपायों से अधिक शक्तिशाली है । मेरा सुझाव यह है कि जिन उपायों में सुधार नहीं किया जा सकता या जो प्रभावकारी नहीं हैं, उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिये ।

बड़े औद्योगिक गृह अपना विस्तार करते जा रहे हैं और लाभ कमाते जा रहे हैं । किन्तु ये पिछड़े क्षेत्रों में अपने उद्योग स्थापित करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वहां उन्हें घाटा उठाना पड़ सकता है । ये एकाधिकार-गृह धन एकत्र करते जा रहे हैं और उद्योगों का विस्तार करते जा रहे हैं, किन्तु पिछड़े क्षेत्रों में वे क्यों नहीं जाना चाहते ? दूसरे उन्हें लाइसेंस देते समय उनकी वह अधिष्ठापित क्षमता ली जाये जो उनके पंजीकरण के समय थी । दूसरे बड़े औद्योगिक गृहों को क्षमता विस्तार के लिये इस आधार पर अनुमति न दी जाये कि वे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करेंगे क्योंकि वे वहां जाने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री सी० एफ० स्टीफन (भुवत्तुपुजा) **:** प्राक्कलन समिति के सदस्य के नाते इन्होंने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हैं और उस प्रतिवेदन में सरकार की उस अधिघोषणा का स्वागत किया गया है जिसमें विद्यमान उद्योगों को 100 प्रतिशत तक विस्तार करने की अनुमति दी गई है । इन उद्योगों में बड़े औद्योगिक गृह भी सम्मिलित हैं ।

श्री डी० के० पण्डा : मैं अब भी इसका कड़ा विरोध करता हूं : एकाधिकार गृहों को पिछड़े क्षेत्रों में भी लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहियें ।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, I rise on a point of order. Hon. Member has made a mention of the proceedings of the Estimates Committee. Now it is not the convention to publish notes of dissent with the report of Estimates Committee. So it is not known as to who opposed and who supported the contents of the report. It is good to refer to the Estimate Committees' report but it is not proper to refer to what a particular Member said in the Committee and what he did not say.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है कि विधेयकों संबंधी प्रवर समिति के अलावा किसी अन्य समिति के प्रतिवेदनों के साथ विमति टिप्पणी प्रकाशित नहीं होती । यह भी वांछनीय नहीं है कि समिति की बैठकों में चर्चा के दौरान किस सदस्य ने क्या कहा, इसका उल्लेख किया जाये । क्योंकि इससे यह वाद-विवाद खड़ा हो जायेगा कि उसने चर्चा के दौरान क्या कहा था और क्या नहीं कहा था ।

श्री डी० के० पंडा : मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में पुनर्विलोकन कर के एक विस्तृत विधेयक लायेगी; दूसरे, क्या सरकार समझती है कि इस संशोधन के पश्चात एकाधिकारी गृह अपनी अधिष्ठापित क्षमता से अधिक विस्तार नहीं करेंगे; और तीसरे, क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग स्थापित करेगी ? अन्त में, मैं अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा के लिये सीमेंट उद्योग के लिए आवेदन-पत्र को स्वीकृति दी जाये । अन्य मंत्रालयों के पास जो आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं उन्हें भी तुरन्त स्वीकृति दी जाये ।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) **:** मैं इस विधेयक का समर्थन तो करता हूं परन्तु इस पर मुझे गहरी चिन्ता है कि मैसर्स किर्लोस्कर्ज को अधिक उत्पादन करने का लाइसेंस देकर मेरे चुनाव के छोटे उद्योगों के लिये कठिनाई पैदा हो जायेगी ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह विधेयक लाइसेंस प्राप्त उद्योगों पर लागू नहीं होता । यह पंजीकृत उद्योगों के लिये है । मैसर्स किर्लोस्कज एक लाइसेंस-प्राप्त उद्योग गृह है ।

श्री निम्बालकर : फिर तो मेरी समस्या हल हो गई है । क्योंकि मंत्री महोदय छोटे पैमाने के उद्योगों को बचाना चाहते हैं, इस लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री पण्डा का कहना है कि एकाधिकार गृहों को पिछड़े क्षेत्रों में नहीं जाने देना चाहिये । मेरे विचार में पिछड़े क्षेत्रों के लिये एकाधिकार गृहों का दायित्व छोटे पैमान के उद्योगों से कहीं अधिक है ।

हमारा उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाना है जिससे कि न केवल मूल्य कम हो बल्कि रोजगार भी बढ़े तथा औद्योगीकरण में वृद्धि हो । गरीबी हटाओ आन्दोलन को सफल बनाने का एकमात्र यही उपाय है । यदि इस आशय का कोई विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो मेरे विचार से उस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

यह कहा गया है कि सरकार एकाधिकारगृहों को छूट देती जा रही है । ऐसा नहीं होना चाहिये । देश को समृद्ध बनाने का दायित्व एकाधिकार गृहों को अधिक समझना चाहिये तथा देश के लोगों के हित में यदि उन्हें थोड़ी हानि भी हो

तो वह भी सहन करनी चाहिये । साथ ही मैं श्री मधुलिमये की इस बात से समहत नहीं हूं कि हम उद्योगपतियों की इस प्रकार भर्तस्ना करते रहें जैसे कि वे भारतीय ही नहीं हैं । विदेशी कम्पनियां भी यहां अपनी रोजी कमाती हैं और हमारे देश के लिये उत्पादन करती हैं । यदि वे कुछ मुनाफा भी बाहर भेजती हैं तो उसे भी हमें ऐसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिये. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब बातें विधेयक संबंधी विषय से परे की हैं तथा साथ ही भड़काऊ एवं विवादास्पद हैं ।

श्री निम्बालकर : खैर, विपक्ष का रवैया इस संबंध में कुछ भी हो परन्तु क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री धरनी धर दास :

Shri Madhu Limaye: On a point of order Sir, whenever an hon. Member speaks on the subject other than the main issue relating to the registered capacity, certificate and application, you ring the bell. It is allright. But in order to keep the Members within the scope of discussions, it would be very much essential that the Government should provide as with the opinion of the Law Ministry and also the details of defference of opinion, if any expressed by the Ministry of Industrial Development and the Law Ministry on this issue. Let all the points sent by the Government and also the opinions sent by the Law Ministry be made known to the hon. Members so that they are able to express their views here more precisely. You please give a ruling to this effect just now.

उपाध्यक्ष महोदय : इस में व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । प्रश्न तो यह है कि इस विधेयक पर चर्चा जारी रखी जाये । मैंने श्री धरनी धर दास को पुकारा है ।

प्रो० मधुदंडवते : यदि कानूनी राय भी सामने हो तो इसमें आपका काम भी सरल हो जायेगा । तब सदस्य गण विषय के बाहर बात नहीं करेंगे ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरे सचिवालय में इस विधेयक के संबंध में क्या क्या कार्यवाही हुई इस से माननीय सदस्य को कोई मतलब नहीं होना चाहिये । यह विधेयक उनके सामने है । वह मुझसे यह नहीं पूछ सकते कि मेरे सचिव ने क्या राय दी और मेरे अवर-सचिव ने क्या मत व्यक्त किया ।

Shri Madhu Limaye: I am least bothered about what his under secretary or even his wife has opinion over this Bill. We are not so fools. We are asking for the opinions expressed at inter-Departmental level *i.e.*, by Law Ministry to his Ministry.

Sir, preci sely speaking I want the legal opinion submitted by the Law Ministry on which the Bill is bas ed......**(interruptions)**.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । व्यवस्था बनाये रखिये । मेरे विचार से मंत्री महोदय ने सही स्थिति रखी है । हम उन्हें कोई दस्तावेज पेश करने को बाध्य नहीं कर सकते । सभा के समक्ष यह विधेयक है और आप उस पर चाहे जो राय दे सकते हैं । उन्हें क्या राय मिली और क्या नहीं, यह उन्हीं का काम है, वह जाने ।

श्री दिनेश जोरपर (मालदा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या विधि मंत्रालय तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय के विचारों में परस्पर कोई मतभेद है । यदि हां, तो वह क्या है ? यह हमें बताया नहीं गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर मंत्री महोदय को देना होता है । श्री धरनी धर दास ।

श्री धरनी धर दास (मंगलदाई) : श्रीमन् आप इस विधेयक पर चर्चा की सीमा को जरा व्यापक कर दीजिये । वस्तुत: हम चाहते हैं कि हम उन सिद्धांतों पर पहले विचार कर लें जिन पर यह अधिनियम तथा उसमें संशोधन करने वाला यह विधेयक आधारित है । वस्तुत: उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 वर्ष 1948 के औद्योगिक

नीति संकल्प का परिणाम था जिस नीति संबंधी सिद्धांतों को वर्ष 1948 में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने यहां स्पष्ट किया था । इसलिये मैं उस सिद्धांत पर बोलना चाहता हूं जिस पर यह अधिनियम आधारित है ।

स्वर्गीय नेहरू ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था की परिसीमाओं को निश्चित किया था तथा यह कहा था कि इसका उद्देश्य समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है । इसके अन्तर्गत इस विधेयक से एकाधिकार गृहों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का विस्तार सीमित होता है ।

सभा का निर्णय यह है कि एकाधिकार गृहों पर रोक लगाई जाये परन्तु इसके विपरीत अब तक उनमें अत्याधिक वृद्धि होती गई है । उदाहरणार्थ, बिड़ला बंधुओं की परिसंपत्तियां वर्ष 1947 में 40 करोड़ थी तो वे बढ़कर 1970 में 600 करोड़ रुपये हो गई । स्वयं श्री जे० आर० डी० टाटा ने भी अपने एक वक्तव्य में कहा है कि कतिपय लोगों ने सार्वजनकि हितों की उपेक्षा करके, निजी लाभ के लिये, कर अपवंचन, कालाबाजार, अवैध विदेशी मुद्रा अर्जन के द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई है ।

अत: मूल्य वृद्धि दूसरे शब्दों में मुनाफाखोरी में वृद्धि को रोकने के लिये हमें सार्वजनकि क्षेत्र को बढ़ाना होगा और तभी हम एकाधिकारगृहों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं ।

क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य एकाधिकारों पर प्रतिबंध लगाना है इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं ।

औद्योगिक विकास की आवश्यकता नगरीय स्थानों की तुलना में पिछड़े क्षत्रों में कहीं अधिक है । और ये एकाधिकारी-गृह पिछड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का भी शोषण करते हैं । इसलिये इन्हें पिछड़े क्षेत्रों में नहीं जाने दिया जाना चाहिये । आसाम के लोगों को इस संदर्भ में बड़ा कटु अनुभव हुआ है । जहां गत दो दशाब्दियों से निर्धनता निरन्तर बढ़ती जा रही है ।

हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिये सार्वजिनक तथा सरकारी क्षेत्र के माध्यम से देश में तेजी से औद्योगीकरण किया जाये ।

Dr. Kailas (Bombay - South): Every body in the country has been anxious to attain economic independence, decline in prices and eradication of unemployment at which this amending Bill is aimed at; but it appears that the hon. Minister has left out a few things from the scope of this Bill. He has to carefully verify whether this amendment would not directly or indirectly help the expansion of monopolies. Secondly, he should have seen whether or not our small scale sector is also producing those items which are being produced by monopoly houses, and thirdly, whether the proposed amendment goes against the recommendations made by the estimates Committee, Public Undertaking Committee and the Public Accounts Committee. It would have been better hand be taken all these factor into consideration before bringing forward this legislation.

To me it appears that it would be helping the monopoly houses and they would not be checked or their powers would not be curtailed for the fear that resultantly that would cause massive unemployment and also a big national loss. Again, since these people came to know in 1973 itself that the Government was bringing such an amendment to curb their expansion they worked overtime and in many shifts, day and night to enhance and also establish their capacities to the maximum extent which they now think would be licensed since the Government would sanction and licences on the basis of the latest magnitude of their production *i.e.*, what they are producing till the current year. I, therefore, urge that while assessing their production capacities, their production in only 1970, 1971 and 1972 should be taken in to account and not the production which they effected after they came to know to this proposed amendment *i.e.* during 1973; otherwise, no doubt these people would be a bit benefited but the nation would be at a great loss. Sir, it is time that Shri Subramanium has made some amendment in clause 2 on my insistence, but still I feel that he has not done full justice to the nation. He should not take into account the production effected after December, 1972. These monopoly houses have been producing very much more than their installed capacity and by now they have reached a very high degree of production and expansion. They have put off, on one pretext or the other, the submission of earlier records. Therefore, the Government should not legalise any capacity which they have acquired illegally and mischieviously.

Finally, I heartily support this Bill but I add that had my amendments been accepted, that would have enhanced the image of the Congress party and also would have helped in ful filling the dream of economic independence of the nation.

Shri Shashi Bhushan (South Dehli): The Sincerety of the hon. Minister in maximising the production of the country is landable, but the question is to which people will be getting expansion benefits as a result of this amendment? When the Foreign Companies manufacturing cosmatics and luxury goods came to know about this proposal, they made gigantic efforts to maximine their capacity and production so as to get maximum licences. A wine factory in Ghaziabad, which has not been paying even the excise duty and was refused expansion by the Government, would now be very much benefited as a result of this amendment since they have already enlarged their capacity to a very high level. Similarly, if cable factory of Tatas gets expansion, then our small factories would certainly not survive.

I think this would result in encouraging monopolists. If the hon. Minister ensures that luxury goods manufacturing foreign monopolists would not be allowed to expand. I would heartly support this Bill. I can anyhow tolerate national monopolists but certainly not the foreign ones.

The hon. Minister has stressed the need of enhancing production in the country itself instead of going for imports. Our party manifesto has been not to encourage foreign monopolists we are deadly against foreign monopolists. The hon. Minister may do any thing he likes to increase the production within the country and accord any sort of help to anybody but foreign monopolists should be discouraged, more particularly those who are producing non essential good *i.e.*, luxury goods.

The people of this country have full faith in our party.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari *in the chair***]**

श्री बी० के० दास चौधरी (कूचबिहार) : उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दो बातों पर बल दिया गया है। एक यह कि विनियमों के होते हुए भी कुछ उद्योगों ने अपनी क्षमता में वृद्धि कर ली है। समझ नहीं आता इतने अधिक सरकारी अधिकारी तथा प्रशासनात्मक तंत्र के होते हुए भी उन्होंने क्षमता में इतनी वृद्धि किस प्रकार करली कि 22, 23 वर्ष के पश्चात सरकार ने यह महसूस किया है कि छोटे तथा बीच के उद्योगों के हितों की रक्षा के लिये क्षमतावृद्धि को रोकना पड़ेगा और उनकी उत्पादन क्षमता को विनियमित करना पड़ेगा। इन्हीं दो तथ्यों को लेकर मंत्री महोदय ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

देश के सुनियोजित आर्थिक तथा बहुमुखी विकास के लिये उत्पादन क्षमता के सही आंकड़े रखे जाने आवश्यक हैं। इस के लिये दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो यह कि क्या सरकार देश के वर्तमान उपलब्ध संसाधनों तथा अब तक किये गये पूंजी निवेश की उपेक्षा कर सकती है और दूसरे यह कि क्या सरकार इस बात के लिये उचित कदम उठायेगी कि मशीनों के पूरे उपयोग के समान उत्पादन क्षमता की मंजूरी दी जाये और क्षमता के उपयोग पर सरकार उचित नियंत्रण रखे।

उपलब्ध संसाधनों तथा पूंजी निवेश का उपयोग किस प्रकार किया जाये? क्या इनका उपयोग अत्याधिक खपतवाली वस्तुओं के उत्पादन की उपेक्षा करके अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिये किया जाये? क्या इससे देश की आवश्यकतायें पूरी होंगी? आज देश में उत्पादन की आवश्यकता है। परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी निश्चित करना होगा कि किस प्रकार का उत्पादन किया जाना चाहिये। अत्याधिक खपत वाली वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। विधेयक में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें सरकार ने उन प्रक्रियाओं में भेद करने का प्रयास किया हो जो देश की मूलभूत आवश्यकताओं के पूरा करने के लिये आवश्यक हैं। सरकार को इस बात के साथ साथ कि कुछ उद्योगपति और एकाधिकार गृह बहुत बड़ा लाभ कमाते हैं और विदेशों को भेजते हैं इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वे हमारे देश के लिये विदेशी मुद्रा भी कमाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सरकार को एक व्यापक विधेयक

लाना चाहिये जिसमें इस आशय की व्यवस्था हो कि उत्पादन क्षमताओं का विनियमन किस ढंग से हो और किस प्रकार की वस्तुओं के सिलसिले में विनियमन हो। दूसरे उन मामलों में जहां सरकार की जानकारी के बिना उद्योगपतियों ने अपनी क्षमता बढ़ाली है उनके लाभ कम किये जायें। इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है।

उत्पादन क्षमता के मूल्यांकन के लिये कौन सा समुचित ढंग हो, यह बात स्पष्ट की जानी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह किसी भी उद्योग की उत्पादन क्षमता के लिये अन्तिम प्रमाण पत्र देते समय श्रमिक असंतोष, बिजली के फेल होने, कच्चे माल की सप्लाई न होने तथा अन्य संबंधित तथ्यों को अवश्य ध्यान में रखें।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत सरकार को औद्योगिक नीति निर्धारित नहीं होती है, यह तो औद्योगिक नीति को कार्यक्रम देने के लिये केवल एक साधन मात्र है। इस विधेयक का उद्देश्य कुछ उद्योगों को संसद के अधिकार क्षेत्र में लाना है क्योंकि संविधान के अन्तर्गत सभी उद्योग, जिन्हें संसद ने महत्वपूर्ण उद्योग घोषित किया है, राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकारों में आते हैं।

इस अधिनियम में लाइसेंस जारी करके उद्योगों को विनियमित करने की शक्ति सरकार को दी गई है। विधेयक में सरकार की नीति जैसी कोई चीज नहीं है।

सदन में तथा सदन के बाहर भी यह आरोप लगाया गया है कि नीति बड़े औद्योगिक गृहों के हितों की रक्षा के लिये बनायी जा रही है। मेरा कार्य देश में उद्योगों का विकास करना है, उद्योगों को समाप्त करना नहीं। अतः हमारी नीति उद्योगों के विकास की समर्थक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। औद्योगिक विकास के संबंध में सरकार की नीति सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों का विकास करना है। हमारी सभी नीतियां इसी आधार पर बनायी जाती हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह अपेक्षित है कि समाज के संसाधनों का स्वामित्व तथा उन पर नियंत्रण ऐसा होना चाहिये कि जनता का अधिकाधिक हित हो सके और आर्थिक प्रणाली के कार्यकरण का यह परिणाम न हो कि उत्पादन के साधनों तथा संपत्ति का केन्द्रीयकरण हो।

सरकार ने नीति के इन उद्देश्यों का विविध उपायों के माध्यम से अनुसरण किया है और इस समस्या को हल करने का ठोस प्रयास किया है। औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की अनुसूची "क" में उद्योगों की एक सूची है जिनका अग्रेतर विस्तार सरकारी क्षेत्र के लिये ही आरक्षित रखा हुआ है। समाज की समाजवादी पद्धति पर संरचना के राष्ट्रीय उद्देश्य तथा नियोजन और तीव्र विकास के लिये यह आवश्यक है कि सभी बुनियादी तथा महत्वपूर्ण उद्योग सरकारी क्षेत्र में हों।

2 फरवरी, 1973 के वक्तव्य में नीति संबंधी संकल्प को समर्थन दिया गया है। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां अनुसूची 'क' के उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में स्थापित न किया गया हो। ऐसे बहुत से उद्योग जो अनुसूची 'क' में आते हैं और गैर सरकारी क्षेत्र में थे। हमने उनमें से बहुत से उद्योग सरकारी अधिकार क्षेत्र में ले लिये हैं। यह बात भी ध्यान में रखी गई है कि प्रगति, समाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के मुख्य उद्देश्यों को बढ़ाने के लिये अपेक्षित उद्योगों के भावी विकास के लिये राज्य प्रत्यक्षरूप से जिम्मेदार है। अतः यह अनुसूचि 'क' तथा 'ख' के उद्योगों तक ही सीमित नहीं है।

इस प्रकार औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की कोई अवहेलना नहीं की गई है। सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों अथवा एककों, जैसे भारतीय तांबा निगम, आई०आई०एस०सी०ओ० कोककारी और गैर-कोककारी कोयला खानें, जिनका संबंध अनुसूची 'क' से है, को अपने हाथ में लेने में संकोच नहीं किया है।

अनुसूची 'ख' में वे उद्योग आते हैं जिनमें राज्य सरकारें नये उद्योगों की स्थापना के प्रयास करती हैं और इसमें गैर-सरकारी उद्यम भी राज्यों के प्रयासों में सहायता कर सकते हैं। अनुसूची 'ख' से अन्य उद्योगों की स्थापना के मामले में सरकारी क्षेत्र पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता है। अतः यह अनुसूची 'क' और 'ख' तक ही सीमित नहीं है।

औद्योगिक नीति संकल्प यह बात स्पष्टरूप में मानता है कि राज्य अनुसूची 'क' तथा 'ख' के किसी भी उद्योग के उत्पादन को अपने हाथ में ले सकता है।

इस दृष्टिकोण के अनुसार अनुसूची 'क' और 'ख' में न आने वाले बहुत से उद्योग, जैसे सीमेंट, कागज, अखबारी कागज, मिट्टी हटाने के उपकरण, इंजीनियरिंग का साजसामान, बेकरी, जूते आदि सरकारी क्षेत्र में हैं।

उद्योगों में सरकारी पूंजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वह पहली योजना के आरम्भ में 29 करोड़ से बढ़कर इस समय 4500 करोड़ रुपये हो गया है ।

एक विकासशील देश में, जिसने समाज की समाजवादी संरचना पद्धति को स्वीकार किया है, उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने, केन्द्रीयकरण को कम करने, आयात में बचत करने, निर्यात बढ़ाने और जनसाधारण के उपयोग की वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिये सरकारी क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी । जिस नीति का पालन किया जा रहा है उसमें उन स्थानों पर गैर सरकारी क्षेत्र में बड़े गृहों तथा विदेशी कम्पनियों के उद्यमों तथा पूंजीनिवेश को बढ़ावा नहीं दिया है जहां सरकारी क्षेत्र अपने उद्योग स्थापित कर सकता है । यह नीति नये उपक्रमों के संबंध में ही लागू नहीं होती अपितु यह वर्तमान गैरसरकारी एककों के संबंध में भी लागू होती है । इन सब प्रस्तावों की जांच लाइसेंस देते समय सरकारी क्षेत्र के दृष्टिकोण से की जाती है पर जहां सरकारी क्षेत्र की क्षमता सीमित है और निवेश तथा कार्य-कुशलता की तुलना में हम अधिक उत्पादन चाहते हैं वहां केवल बड़ा व्यापार गृह ही कागज अथवा सीमेंट की फैक्टरी स्थापित कर सकता है । अतः इन कारखानों की स्थापना करने की क्षमता बड़े व्यापार गृहों में ही है तथा इनकी स्थापना छोटे उद्यमियों द्वारा नहीं की जा सकती । अब हमारे सामने दो ही विकल्प हैं कि या तो उत्पादन हो अथवा उसके अभाव में काम चलायें । या तो आयात करें या अभाव सहन करें ।

2 फरवरी 1973 के नीति संबंधी वक्तव्य में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत दी गई व्याख्या के अनुसार औद्योगिक गृहों द्वारा स्थापित किये जाने वाले जो बड़े व्यापार गृहों के लिये ही सुरक्षित नहीं हैं, उद्यमों की एक सूची जारी की गई थी । यह सूची पांचवीं योजना की आवश्यकता को देखते हुए तैयार की गई है तथा उन्हीं उद्योगों को इसमें शामिल किया गया है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण हैं । भविष्य में लगाये जाने वाले उद्योगों का संबंध महत्वपूर्ण उद्योगों और निर्यात प्रधान उद्योगों से होगा । पहले विदेशी कम्पनियां ऐसे उद्योगों की स्थापना करती थीं । नीति वक्तव्य में छोटे, मध्यस्तरीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की बात स्पष्ट की गई है । नये उद्योगों की स्थापना के लिये बड़े उद्योग गृहों तथा विदेशी कम्पनियों के साथ साथ छोटे और मध्यस्तरीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

फरवरी 1973 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह किया गया कि लाइसेंस देने के लिये बड़े उद्योग गृहों की व्याख्या को, एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम 1969 के अनुसार अर्थात् 20 करोड़ अथवा इससे अधिक की आस्तियों के आधार पर लाइसेंस देने की सीमा के अन्तर्गत लाया गया है । परिशिष्ट 1 में दिये गये उद्योगों से भिन्न उद्योगों में बड़े व्यापार गृह और विदेशी कम्पनियां तभी निवेश कर सकती हैं जबकि वे अधिकतर निर्यात के लिये ही हों । सरकार की नीति सरकारी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने के साथ साथ उपभोक्ता सामान के उत्पादन में सहकारी, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की है । इन वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति बड़े औद्योगिक गृहों को तभी दी जा सकती है जबकि उसमें मूल्यों को घटाने, औद्योगिकी उन्नति, अधिक निवेश की आवश्यकता पूरी करने, निर्यात की पर्याप्त क्षमता तथा आधुनिकीकरण के गुण हों । फरवरी, 1973 के नीति संबंधी वक्तव्य के द्वारा उन कमियों को भी समाप्त कर दिया है जिनके कारण बड़े औद्योगिक गृह उन उद्योगों में प्रवेश कर जाते थे जिनके कि वे अधिकारी नहीं हैं । सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि संयुक्त क्षेत्र की आड़ में बड़े औद्योगिक गृहों को उनके लिये वर्जित उद्योगों में नहीं आने दिया जायेगा । अतः संयुक्त क्षेत्र नये भागों में उद्योग स्थापित करने के लिये ही नहीं है उन्हें इस भाग में उद्योग स्थापित करने के लिये पहले ही से अनुमति प्राप्त है । स्वतंत्र रूप से उद्योगों की स्थापना करने के बजाय हम उससे उन भागों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हैं ।

बड़े व्यापार गृहों पर प्रतिबन्ध, मध्यम और नये उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिये भी लगाया गया है । तथापि, हम कितना भी चाहें नये और मध्यम श्रेणी के उद्यमी स्वतः सामने आकर नये उद्योगों की स्थापना नहीं करेंगे । इसलिये एक प्रोत्साहन देने वाली नीति बनाई जानी चाहिये और लागू की जानी चाहिये । इस दिशा में बहुत से कदम उठाये गये हैं । इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं : पहले यह कि एक करोड़ से कम पूंजी निवेश वाले क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिये विशेषतया छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिये प्रक्रिया को सरल किया गया है । ये लाभ बड़े गृहों तथा विदेशी कम्पनियों को उपलब्ध नहीं होंगे । यदि पूंजी निवेश एक करोड़ से कम है तो भी बड़े गृहों तथा विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस लेना पड़ेगा ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मंत्री महोदय ने विधेयक के बारे में कुछ भी नहीं कहा है ।

सभापति महोदय : बहुत से सदस्यों ने नीति संबंधी प्रश्न उठाये हैं। इसीलिये मंत्री महोदय उनका उत्तर दे रहे हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : छोटे और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिये ठोस उपायों का सुझाव देने हेतु भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र के अध्यक्ष श्री आर०एस०भट्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इस दिशा में बहुत से कदम उठाने हैं।

छोटे उद्योगों के लिये वस्तुओं का आरक्षण रखने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि छोटे उद्योगों की क्षमता तथा कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण क्षेत्र को और विस्तृत किया जायेगा। 1967-68 में रक्षित वस्तुओं की सूची में 47 वस्तुयें थीं जो अब 147 हो गयी हैं। दो दिन पूर्व ही हमने 26 वस्तुयें इसमें और सम्मिलित की हैं। यह क्षेत्र केवल छोटे उद्योगों के लिये ही है।

सरकार ने आयातित कच्चे माल में छोटे उद्योगों को समानता देने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी नीति नये तथा मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की है ताकि वे अधिकाधिक उद्योग स्थापित कर सकें। इसके उपरांत भी ऐसे आरोप लगाये जाते हैं कि सरकार की नीति बड़े उद्योग गृहों को समर्थन देती है।

कुछ लोग कहते हैं कि इन सभी उद्योगों को सरकारी अधिकार में ले लिया जाये। मैं ऐसा करने को तैयार हूं बशर्ते कि इसके फलस्वरूप उत्पादन में संवर्द्धन हो तथा श्रमिक विवाद न बढ़ें। तथ्य यह है कि राष्ट्रीय कृत उद्योगों में श्रमिक विवाद पहले से अधिक बढ़े हैं। इण्डियन एयरलाईन्स में तालाबन्दी इस तरह एक ज्वलंत उदाहरण है। अतः हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाये जिसमें उत्पादन में वृद्धि तथा श्रमिक विवादों को कम से कम किया जा सके। इसी आधार पर हम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने को प्रोत्साहित हो सकते हैं। अन्यथा तो राष्ट्रीयकरण का अर्थ मुसीबत मोल लेना होगा।

श्री शिवनाथ सिंह : फिर इस कठिनाई को दूर करने हेतु मंत्री महोदय क्या करना चाहते हैं? अधिग्रहण करने की नीति छोड़ कर निजी उद्योगों को बढ़ते रहने देंगे या कि राष्ट्रीयकरण करेंगे?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : हम चाहते हैं कि सार्वजनिक उद्योगों में बेहतर श्रमिक-संबंधों की सृष्टि में सभा के सभी सदस्य सहयोग दें। देने के हित में हम कभी भी किसी उद्योग का राष्ट्रीकरण करने में हिचके नहीं हैं; हम ऐसा करते भी रहेंगे परन्तु साथ ही यह भी निश्चिय करना चाहेंगे कि इसके फलस्वरूप काठिनाईयां बढ़ें नहीं। इस संबंध में मैं सभी वर्ग के सदस्यों से सुझावों की कामना करता हूं तथा उन पर पूरी तरह विचार करने को तैयार हूं।

माननीय सदस्य जानते हैं कि औद्योगिक उत्पादन के अवरुद्ध होने से पांचवीं योजना में भी रुकावट पड़ी है। हम और आप यही चाहते हैं कि उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धि हो जिसके फलस्वरूप रोजगार बढ़ेगा। इसी उद्देश्य को लेकर हम पंजीकृत एककों संबंधी कानून में समुचित व्यवस्था करना चाहते हैं।

पंजीकृत एककों संबंधी कानून में 20 वर्ष पहले यह त्रुटि रह गई थी कि उसमें उत्पादन क्षमता निर्धारित नहीं की गई थी। अब हम उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो हमें यह कहा जाता है कि बीस वर्ष में नहीं किया तो हम अब क्यों करना चाहते हैं; अर्थात् अब भी मत करो। यह रवैया उचित नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि क्यों नहीं किया। महत्व इस बात का अधिक है कि अब भी करें या न करें। यदि पहले नहीं कर पाये तो क्या अब भी न करें?

वस्तुस्थिति यह है कि गत बीस वर्षों से उस त्रुटि का लाभ उठाकर पंजीकृत एकक मनमाने ढंग से अपनी क्षमता बढ़ाते रहे हैं हालांकि वे इसकी सूचना हमें देते रहे हैं और हम तदनुसार कर भी वसूल करते रहे हैं। दूसरी ओर लायसेंस प्राप्त एकक अनुमति प्राप्त करके अर्थात् लायसेंस लेकर ऐसा करते रहे हैं परन्तु पंजीकृत एकक बिना रोक-टोक अपना विस्तार करके अपनी क्षमता काफी सीमा तक बढ़ा चुके हैं। अब इस स्थिति में क्या किया जाये? हम 20 वर्ष पहले के प्रार्थना-पत्र निकाल कर उन पर क्षमता तो निर्धारित कर नहीं सकते क्योंकि फिर उस फालतू पूंजी-निवेश का क्या होगा?

श्री वसन्त साठे : हम उनसे जुर्माना वसूल कर सकते हैं तथा आगे के लिये उन पर केवल निर्यात अथवा अन्य प्रकार के प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। उन्हें छोड़ें क्यों?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जुर्माने के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। यदि हम प्रार्थना-पत्र के समय की क्षमता निश्चित कर दें तो फिर अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन तथा तत्संबंधी रोजगार का क्या बनेगा? बीस वर्ष में क्षमता बढ़ाकर किसी

उद्योग ने हजारों व्यक्तियों को भर्ती कर लिया। अब प्रतिबंध लगाकर उन लोगों को बेरोजगार कर दें? इस प्रकार जहां औद्योगिक उत्पादन प्रतिबंधित हो जायेगा, वहां लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे, जबकि हम रोजगार बढ़ाना चाहते हैं। अतः ऐसा करना तो बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। (व्यवधान)। मैं बीच में किसी की नहीं सुनूंगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने कहा कि सभापति महोदय ने बीच में व्यवधान की अनुमति दी जिसका यह अर्थ होता है कि यह अनुमति दया करके दी गई है जबकि संसदीय प्रक्रिया के अनुसार यदि किसी सदस्य की दलीलों का मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हों और इस बीच उस सदस्य के दिल में कोई शंका पैदा होती है तो निश्चय ही वह बीच में व्यवधान करके अपनी शंका का निवारण करवा सकता है।

सभा पति महोदय : मैंने किसी व्यवधान को अनुमति नहीं दी थी। यदि मंत्री महोदय बीच में प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो मैं अनुमति दे सकता हूं। परन्तु इस समय वह ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं : मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : अतः हमें कोई ऐसा सूत्र ढूंढना है जिसकी सहायता से हम वर्तमान स्थिति को नियमित करके भविष्य के लिये इसे नियंत्रित कर सकें और उन्हें कम से कम अनावश्यक क्षेत्रों में अनावश्यक वस्तुओं के लिये दुर्लभ कच्ची सामग्री का उपयोग करने से रोक सकें। भविष्य में उनके विस्तार पर हमें निश्चय ही रोक लगानी होगी। इसलिये हम उनकी वर्तमान क्षमता का अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

हम किसी एकक के सर्वाधिक उत्पादन को उसकी उत्पादन क्षमता स्वीकार नहीं कर लेते। हमने प्रावधान किया है कि उपधारा 137 के अधीन जारी किये पंजीकरण प्रमाणपत्र में उत्पादन-क्षमता निश्चित करते समय केन्द्र सरकार उस उत्पादन क्षमता या अधिष्ठापित क्षमता को ध्यान में रखती है न कि उसको जो कि उन्होंने अब उत्पादन किया है। अब हम यह भी विचार में रखते हैं कि क्या किसी एकक ने अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन किया है। संभव है उक्त अवधि में श्रमिक विवाद रहे हों। कच्चेमाल की कमी रही हो या विद्युत की कमी रही हो। इन बातों पर भी ध्यान देना होता है। साथ ही हम सारे वर्ष के उत्पादन को देखते हैं। मासिक उत्पादन का हिसाब तो हम तब लगाते हैं जबकि उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया हो। इस प्रकार हम वास्तविक उत्पादन क्षमता का पता लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। अतः इसमें "पहली जून, 1972" या अन्य कोई तारीख का तो प्रश्न हीं नहीं उठता। इसी वास्ते विधेयक प्रस्तुत करने के बाद यदि नई क्षमता कायम की गई है तो हम उसको विचार में नहीं लेंगे।

विधेयक की विस्तार-सीमा को देखकर पता लगेगा कि यह बड़ा ही सीधा-साधा विधेयक है, हालांकि इसमें बड़े उद्योगगृहों तथा विशिष्ट विदेशी उद्योगगृहों संबंधी नीतियां अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। मैं माननीय सदस्यों से पूरी तरह सहमत हूं कि विदेशी प्रभुसत्ता को न केवल कम करना है बल्कि अन्ततः उसे समाप्त भी कर देना है। इसके लिये हम हर संभव उपाय करेंगे और यह तभी संभव है जबकि हम अपनी वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी योग्यतायें बढ़ा लें। अब तो हम स्वयं विदेशियों को यहां बुलाते हैं क्योंकि हम प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता में पीछे हैं। यही कारण है कि हम अपने देश में ही विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास को सर्वाधिक महत्व दे रहे हैं। ताकि हमारी अपनी योग्यता बढ़े। सरकार की यह नीति है कि विदेशी स्वामित्व प्राप्त कम्पनियां कम रहें, उनकी भूमिका कम हो परन्तु साथ ही यह भी देखना है कि अनावश्यक रूप से वे न पनपें। हम उनको केवल उन्हीं अनिवार्य क्षेत्रों में तथा अनिवार्य वस्तुओं के लिये अनुमति देने की सोच सकते हैं तथा वह भी बड़ी सावधानी तथा जांच के बाद, जहां हमें निरन्तर प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः कोई यह न समझ ले कि सरकार विदेशी स्वामित्व प्राप्त कम्पनियों का आस्तित्व चाहती है।

दूसरी बात यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि हम बड़े-बड़े उद्योग गृहों के पक्ष में हैं। सच तो यह है कि किसी मजबूरी के कारण ही हमें यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। वैसे हम इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये समुचित नीति तैयार कर रहे हैं।

जो क्षेत्र छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये नियत हैं उनम बड़े अथवा मध्यम पैमाने के उद्योगपतियों को प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा। इस आशय की तो पहले ही से व्यवस्था है।

यह भी बात उठी थी कि क्या यह व्यवस्था केवल नियमों में परिवर्तन करके नहीं लाई जा सकती थी। हमने इस पर खूब विचार किया और यह सोचा कि ऐसा करने पर मामला उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तक ले जाया जा सकता है तथा इसके फलस्वरूप अनेक वर्ष भी लग सकते हैं। अतः हमने अधिनियम में ही संशोधन करना उचित समझा जिसमें यह भी व्यवस्था है कि यह मामला न्यायलय म नहीं ले जाया जा सकेगा।

श्री स्टीफन ने बड़ी अच्छी बात सुनाई है कि प्राक्कलन समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों के आधार पर भी कुछ संशोधन किये जाने चाहियें। काश मुझे इस बात का पहले पता होता। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि इन बातों को भी शामिल कर लिया जाये। श्री स्टीफन का मैं इस संबंध में आभारी हूं।

श्री मधु लिमये सदा ही सरकार को शक की नगाह से देखते हैं और समझते हैं कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे और इसीलिये कहते हैं कि इसे तुरन्त लागू किया जाये। यद्यपि श्री लिमये बड़ी अच्छी बातें कहते हैं,जो कि स्वीकार्य भी हो सकती हैं परन्तु वह कहते इस ढंग से हैं जैसे कि वह अकेले ही सब बातों के ठेकेदार हैं और इस प्रकार उनकी कई स्वीकार्य बातें भी अस्वीकार हो जाती हैं।

एक मित्र के नाते मेरी उनको एक सलाह है कि वह किसी की भावनाओं को आहत करके अपनी बात पर जोर न डाला करें। मैं जानता हूं कि उन्हें कब कड़ी बात कहनी चाहिये, परन्तु अनावश्यक रूप से कड़ी बात कहना यदि वह अपनी आदत से निकाल दें, तो निश्चय ही वह और अधिक प्रभावशाली सदस्य हो सकते हैं ?

Shri Madhu Limaye : On a point of personal explanation, I am grateful for his sermon to me and I would definitely take that into consideration but I would also like to give him a piece of advice which he should take into consideration. I wrote him a letter when he took over the charge of the present office, from which I will quote a few lines :

"I do not know whether I should congratulate you on your resumption of the responsibilities for the Ministry of Industrial Development or whether I should offer you condolences. You are faced with a very heavy responsibility and I can only wish you good luck".

Is it not a polite letter ? I have to be a bit sharp in language when I donot get even an acknowledgement of my letters. Every body including Shri Subramaniam knows that I have no personal grudge against anybody.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह उनकी एक आदत सी बन गई है।

Shri Madhu Limayc : I have no personal grudge against anybody but I have to be rough when people do not receprocate. I am always polite in writing.

Mr. Charmain : What is the question of the hon. Member ?

Shri Modhu Limaye : I do not have any suspicion. There are C.O.B. Registered and Licensed units. Licensed ones have full freedom. Britannia Buscuits had a licensed capacity of only 7152 tons but they produced 29,000 tons. Resultantly, the 43 to 61 per cent capacities of Six Indian companies remained unutilised. I can cite hundreds of such examples.

Mr. Chariman : Let him put his question.

Shri Madhu Limaye : My question is this : I have been writing to Shri F.A. Ahmed, Shri Dinesh Singh, Shri Mohinulhaq Chowdhry and Shri Subramaniam for the last four years Why action was not taken since then ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : केवल एक पत्र को छोड़कर जो कि उन्होंने उस समय लिखा था जबकि वह सदस्य नहीं थे और जिसकी भाषा आपत्तिजनक थी शेष सभी पत्रों पर मैंने सूचना मिलते ही कायवाही आरंभ कर दी थी और उन्हें जानकारी दी थी। उन्होंने बड़े जटिल मामले बताये थे और उनमें समय लगा। मैं उन्हें उत्तर देता रहा हूं और जांच के परिणामों से अवगत कराता रहा हूं। अतः वह मुझ पर दोष नहीं लगा सकते। मैं उनके हर पत्र पर कार्यवाही के आदेश देता हूं।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adoped

खण्ड-2

सभापति महोदय : खण्ड 2 पर माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री मधु लिमये : मैं अपने संशोधन संख्या 2, 3,4, 5 तथा 6 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वसंत साठे : मैं अपने संशोधन संख्या 10 तथा 12 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं अपने संशोधन संख्या 28 और 43 पेश करता हूं जो निम्न प्रकार हैं :

> कि विधेयक के पृष्ठ 2, पंक्ति 13 में "Commencement" (प्रारम्भ) के स्थान पर "Introduction in Parliament" (संसद में पुरःस्थापन) प्रतिस्थापित किया जाये, और पंक्ति 14 में "Act" (अधिनियम) के स्थान पर "Bill" (विधेयक) प्रतिस्थापित किया जाये। यदि कोई हो तो, की सीमा सहित **(संशोधन संख्या 43)**
>
> पृष्ठ 2, पंक्ती 17 में, अन्त में ये जोड़ दिया जाये—
> "including the extent of under utilization of capacity if any during the relevant period due to any cause (किसी भी कारण से संबंधित अवधि के दौरान क्षमता के कम उपयोग, यदि कोई हो तो, की सीमा रहित **(संशोधन संख्या 28)**

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपना संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : उपरोक्त संशोधन सभा के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, I have to speak on my amendment on clause 1.

Mr. Chairman : Clause 1 will be taken up later. Also he may speak on all his amendments simultaneously. You may speak on your amendments No. 2, 3, 4 and 6 at a time.

Shri Madhu Limaye : How can that be so ? It is quite possible that the hon. Minister may change his mind when I speak. Anyway, if you so ask I will speak on all of them together; But kindly let me speak in detail since it is a very important clause.

My first amendment is that the legislation should be implemented with in 60 days of its passage. There should be no difficulty for the hon. Minister to accept it.

My amendment No. 3 requires the production capacity to be defined as "which shall include capacity created by the undertaking indirectly through contracting out". This is because certain companies, especially the foreign companies, which are dominating the entire industrial field and enjoying all marketing fecilities would not allow the small scale industries to compete with them since the latter are not having marketing failities. Therefore the Indian companies too start setting their products under the brand of foreign companies. For example, a Bombay company named Master Tobacco Company has stopped the production of its own products and has started prouducing the product of Imperial Tobacco company which is now known as Indian Tobacco Co. Similerly, Universal Tobacco Company is also producing for a foreign company. There are many more such instances. Thus, almost all the Indian cigarette companies are dead now. I want that the Indian companies should be helped to flourish and enabled to compete with the foreign companies; otherwise the profits would continue going abroad. These came under the category of registered ones.

Now M/s Britannia Buscuit company is a licensed one having three factories and their production capacity at present has increased to 29375 tons *i.e.* fourtimes the licensed capacity. This has resulted in the capacities of other Indian units remaining unutilised to a large extent.

We all want that the production should go up but certainly we do not want any sort of political slavery or dependence on foreign capital, skill and enterprises of foreign countries.

Therefore, if the hon. Minister wishes that the Indian companies should survive and new enterprises grow up then he should have no hesitation in accepting my amendment.

The Government says that : "the productive or installed capacity of the industrial undertaking as specified in the application for registration, the level of production immediately before the date, the level of highest annual production during the three years immediately preceding the commencement of the Industries (Development and Regulation) Act, 1973 and the extent to which the production during the said period was utilised for export and such other factors as the central Government may consider relevant," would be taken into consideration. Thus it is also not an exhaustive list of factors to be considered. I, threfore, want that the following may also be considered :

> "If a foreign company, the extent and rate of the Indianisation of its equity capital and personnel and the likely effect on remittances of foreign exchange, the impact on employment, the reasonableness of the wage level in the undertaking its record in the matter of conforming to the foreign exchange regulation and Tax laws."

Although the new companies increase their production illegally, evade taxes and violate foreign exchange regulations, yet they are given more opportunities. I, therefore, urge that this amendment of mine should be accepted. This is not going to curb their discretionary powers. I have only spelt out the words "such other factors" used by the Government.

I hope that the Hon'ble Minister would accept my amendment.

I have another amendment No. 5 also. Why are we giving three calendar year time? Because many concerns have come to know about this law, which is being enacted. Other examples can also be given. If there has been any labour trouble or there has been any strike, as Hon'ble Minister has said, I will not be so unreasonable about that. An exception can be made in their case. You can also take into account the cases of labour troubles and coal shortages. But thus the Indian companies have been suffering in this way. I request the Hon'ble Minister to consider all these things.

श्री वसंत साठे : (अकोला) मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिये जाने से पूर्व मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरे कुछ संशोधन हैं (**व्यवधान**)। मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। जहां तक अधिनियम को लागू करने का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय स्वयं यह चाहते हैं कि इसे यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए। हमें स्वयं ही इस अधिनियम में तिथि का विशेष रूप से उल्लेख कर देना चाहिए। यदि अधिसूचित करने में समय लग जाता है, तो इस का परिणाम यह होगा कि पुरःस्थापित होन की तिथि से लागू नहीं होगा (**व्यवधान**) यदि कोई क्षमता को बढ़ाता है. . . .

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : हमने "प्रारम्भ" शब्द न रख कर "पुरःस्थापन" शब्द रखा है।

श्री वसंत साठे : यह ठीक है। हम केवल उन्हीं उद्योगों को शामिल करेंगे जिन का उल्लेख अधिसूचना में किया जायेगा। हमें 2 मास की अवधि निर्धारित कर देनी चाहिये। सरकार को इस निर्धारित अवधि में इसे लागू कर देना चाहिये।

सभापति महोदय : प्रत्येक सदस्य इस चरण पर भाषण दे रहा है। यह उचित नहीं है।

श्री वसंत साठे : मैंने अपने संशोधनों के संबंध में बोलना है।

सभापति महोदय : आप संशोधन संख्या 10 और 12 के संबंध म बोल सकते हैं।

श्री वसंत साठे : मैं केवल उन्हीं संशोधनों के संबंध में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : आप अपने संशोधनों के संबंध में कम से कम समय लें। आपने केवल संशोधनों के संबंध में ही बोलना है। इसलिये संक्षेप में बोलिये।

श्री वसंत साठे: जहां तक क्षमता का संबंध है, मैं पूर्णतया श्री मधु लिमिये द्वारा कही गयी बात को समझ रहा हूं। बड़े कारखाने वालों को अप्रत्यक्ष रूप से छोटे उद्योगों के द्वारा लाभ नहीं उठाना चाहिये। इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिये। अतः इसपर विचार किया जाये तथा इसे स्वीकार किया जाये। इसको स्वीकार कर लेने से किसी प्रकार से भी हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा नहीं आएगी। विदेशी कम्पनियों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में मेरे द्वारा तथा श्री मधु लिमये द्वारा एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। इस से हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतः मैं मंत्री महोदय से इन संशोधनों को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : मैंने इस आशय से एक संशोधन रखा है कि यह विधेयक पहली जून, 1973 से लागू किया जाये, क्योंकि जब इस संशोधी विधेयक का विचार आया, तो रुचि रखने वाले सरकार के कुछ व्यक्तियों ने यह सूचना औद्योगिक गृहों को दे दी। परिणामस्वरूप बड़े औद्योगिक गृह अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाते चले गये। वे इन संशोधित उपबन्धों के भीतर लाभ उठाना चाहते थे। अतः मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने से भी पूर्व से, जो माननीय मंत्री महोदय का संशोधन है, इस विधेयक के उपबन्धों को लागू किया जाना चाहिये।

इन सभी विनियमों तथा उपबन्धों के होते हुए भी एकाधिकारी गृह बढ़ गये है। 1967 से 1969 के बीच मन्दी आयी। 1969 से 1973 के बीच कोयला संकट, बिजली संकट आदि आये। इन सभी बातों के होते हुए भी एकाधिकारी गृहों की क्षमता का विस्तार होता रहा। समूचा राष्ट्र यह जानना चाहता है कि मंत्रालय द्वारा क्या किया गया। मंत्री महोदय द्वारा लागू की गयी अनेक नीतियों का क्या परिणाम निकला है? अतः, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री डी०के० पंडा (भंजनगर) : मेरा संशोधन यह है कि इसे 1 जनवरी, 1973 से लागू किया जाना चाहिये।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : श्रीमान जी, मैंने इन संशोधनों की ओर ध्यान दिया है। मुख्य उत्तर में मैंने लगभग सभी संशोधनों को लिया है। अतः मुझे खेद है कि मैं संशोधन संख्या 28 और 40 को छोड़कर अन्य किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये रख दूं।

श्री मधु लिमये : एक साथ नहीं।

सभापति महोदय : आप किस संशोधन को पृथक रूप से मतदान के लिये रखने के लिए आग्रह करते हैं?

श्री मधु लिमये : मैं संशोधन संख्या 2 के संबंध में मतविभाजन पर जोर नहीं दूंगा।

सभापति महोदय: अब मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 2 was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided

पक्ष में	विपक्ष में :
Ayes	**Nos**
13	**76**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived

सभापति महोदय : मैं श्री मधु लिमये द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 4 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided

पक्ष में :	विपक्ष में :
Ayes	**Nos**
13	**79**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The Motion was negatived

सभापति महोदय : अब मैं श्री मधु लिमये द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 5 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The Amendment No. 5 was put and negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया ।

लोकसभा में मत विभाजन हुआ :
The Lok Sabha divided

पक्ष में :	विपक्ष में :
Ayes	**Nos**
13	**77**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The Motion was negatived

सभापति महोदय : श्री साठे क्या आप अपने संशोधनों को लिये जोर दे रहे हैं ।

श्री वसंत साठे : मैं अपने संशोधन संख्या 10 तथा 12 को वापस ले रहा हूं ।

संशोधन संख्या 10 और 12 सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।
Amendments Nos. 10 and 12 were by leave, withdrawn

सभापति महोदय : अब मैं श्री दिनेश जोरदर द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 44 को मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 44 मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided

पक्ष में :	विपक्ष में :
Ayes	**Nos**
11	**77**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The Motion was negatived

कि विधेयक के पृष्ठ 2, पंक्ति 13 में "Commencement" (प्रारम्भ) के स्थान पर "Introduction in Parliament" (संसद में पुरःस्थापन) प्रतिस्थापित किया जाये, और पंक्ति 14 में "Act" (अधिनियम) के स्थान पर "Bill" (विधेयक) प्रतिस्थापित किया जाये। **(संशोधन संख्या 43)**

पृष्ठ 2 पंक्ति 17 में, अन्त में ये जोड़ दिया जाये—
"Including the extent of under utilization of capacity if any during the relevant period due to any cause" "किसी भी कारण से संबंधित अवधि के दौरान क्षमता के कम उपयोग, यदि कोई हो तो, की सीमा सहित" **(संशोधन संख्या 28)**

संशोधन स्वीकृत हुए ।
The Amendments were adopted

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2, as amended, was added to the Bill

खण्ड 3

श्री मधु लिमये : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

I am moving the said amendment so that we may be able to amend the punishment which has been provided in the original Act.

We have been assured that in future stringent action would be taken against the persons who contravene this provision. I have tried to provide punishment to those who attempt to contravene the law and try to finish the Indian Companies It has also been provided that a fine at the rate of 25 per cent *ad valorem* of any increase beyond the productive capacity in the certificate of registration shall be imposed. I hope that the Hon, able Minister would accept this amendment.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं । विधान में पहले ही दंड की व्यवस्था है । और जब हम इसका संशोधन कर रहे हैं तो फिर इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

सभापति महोदय : मैं श्री मधु लिमये द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 7 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The Amendment No. 7 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

Shri Madhu Limaye : I beg to move my amendment No. 8. He should include items like Magnetic tapes, murcury tubes, chocolates, etc. in miscellenous industries, so that it may become easier to control and develop them and to give tham a direction. This may please be accepted.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न राज्य के क्षेत्राधिकार में से कुछ उद्योगों को केन्द्र के क्षेत्राधिकार में लाने से संबंधित है । इसलिये, मैं माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखूंगा । हम लिनोलियम को नियंत्रित करना चाहते हैं इसलिये इसे अनुसूची में सम्मिलित किया गया है । बूट पालिश तथा अन्य वस्तुओं को अनुसूची में शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है ।

सभापति महोदय : क्या आप अपना संशोधन मतदान के लिये रखना चाहते हैं ?

श्री मधु लिमये : जी, हां ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।
The Amendment No. 8 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 1

सभापति महोदय : श्री मधु लिमये का एक संशोधन है ।

मधु लिमये : मैं इसके लिये जोर नहीं दे रहा हूं ।

सभापति महोदय : ठीक है, प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1 was added to the Bill

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।
The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :
"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : नियम 93(2) के अंतर्गत, जहां विधेयक में संशोधन किये गये हैं, यह प्रस्ताव, कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये, उसी दिन प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये जिस दिन विधेयक पर विचार समाप्त हुआ है । जब तक कि अध्यक्ष महोदय ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता है, इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इसे कल तक के लिये स्थगित रखिये ताकि कल हम इसका तीसरा वाचन कर सकें ।

सभापति महोदय : मैं प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री एच०एन०मुकर्जी : क्या आप सभा का समय बढ़ा रहे हैं ?

सभापति महोदय : मैं सभा का समय नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक समारोह होने वाला है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

यह सदस्यों का अधिकार है कि वे ऐसे प्रस्ताव के तीसरे वाचन पर बहस करें जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्या यह उचित है कि किसी समारोह के कारण सभा के कार्य को इस प्रकार जल्दी समाप्त किया जाये ? बिना इस पर बहस के सभा को इस प्रकार स्थगित नहीं किया जाना चाहिये । आप स्वयं जानते हैं कि यह विधेयक कितना महत्वपूर्ण है । मेरा सुझाव है कि तीसरा वाचन अगले दिन तक के लिए स्थगित किया जाये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि इस विधेयक पर बहस पूरी तरह से नहीं हुई है । इस विधेयक पर सभी सदस्य बोले हैं । माननीय सदस्यों का तीसरे वाचन पर बोलने का अधिकार है, परन्तु मैं इस आधार पर इस विधेयक पर विचार अगले दिन तक के लिये स्थगित नहीं करने जा रहा हूं कि विधेयक को उसी दिन पारित नहीं किया जाना चाहिये । यदि आप तीसरे वाचन पर बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : You may allow the discussion to be continued upto 6 o'clock and give half an hour or so tomorrow for it. There are several members desirous of speaking on it. We want to hear them.

Mr Chairman : Shri Madhu Dandavate.

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में विधेयक पर की गई आपत्ति का समाधान नहीं किया है । माननीय सदस्यों ने आंकड़े प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया है कि उत्पादन की क्षमता को जानबूझकर बढ़ा हुआ दिखाया गया है, यह तथ्य किसी एक उद्योग के बारे में नहीं होता है अपितु सभी उद्योगों के बारे में है । इसलिये, इसका समाधान कहीं और खोजना पड़ेगा ।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस संबंध में उद्देश्य तथा कारण बताने वाले विवरण तथा मंत्री महोदय के वक्तव्य में भी एक खास त्रुटि है ।

26 मार्च, 1973 को माननीय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने यह विचार व्यक्त किये थे कि यदि विदेशी कम्पनियों को और विस्तार की अनुमति दी गयी तो भारतीय कम्पनियों के लिये प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र समाप्त हो जायेगा । जैसे ही कुछ कानूनी बाधायें समाप्त होंगी, हमारा विचार उनकी मूल क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनकी उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का है ।

मंत्री महोदय के वक्तव्य में मूल क्षमता का उल्लेख किया गया है । अब मूल क्षमता की तुलना विधेयक को पुरः स्थापित किये जाने की तिथि की विद्यमान क्षमता से की जानी चाहिये । अतः इस संबंध में बड़ी कमी रह जायेगी ।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि न केवल नैतिक सिद्धांतों, बल्कि कार्मिक संघ, कारखाना अधिनियम तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यहार अधिनियम के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है । सभी प्रकार के कदाचारों का बोलबाला है । अतः यदि विधेयक को पूर्णतया इसी रूप में पारित कर दिया गया तो इससे भ्रष्टाचार तथा सभी प्रकार के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा ।

अतः मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूं। इस विधेयक में और सुधार कर इसे पुनः पुरःस्थापित किया जाना चाहिये जिससे इसे एक मत से पारित किया जा सके।

Dr. Kailas (Bombay South). If the production capacity in Indian Tobaco company has increased three to four times in the year 1973-74 as compared to 1971-72 and 1972-73, then it must be accepted that there was some bungling in this matter. Therefore, the concerned persons must be punished.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर): जैसा कि मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, एकाधिकारी लुक्का-छुपी का खेल खेल रहे हैं। यदि कहीं किन्हीं त्रुटियों अथवा दोषों को दूर किया जाता है तो अनेक और त्रुटियां सामने आ जाती हैं। अतः प्रश्न यह उठता है कि क्या और त्रुटियों का पता करना है अथवा विरोधी पक्ष के सदस्यों के साथ बैठकर इस पर विचार विमर्श की अनुमति दी जानी है, जिससे एक व्यापक विधेयक तैयार किया जा सके और अधिकांश त्रुटियों को दूर किया जा सके।

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Government is not going on the basis or its original capacity but it is working on the basis of its existing capacity. There has been a vital difference in this matter. 'We are the only country which penalises increases in production'. It shows that Government has no confidence in its own policies. If no restrictions are imposed on foreign owned companies, the Indian industries, will suffer. If the Government has no confidence in Industrial Regulations, then it should abolished them otherwise they should be utilised in implementing the announced policies.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं मंत्री महोदय से इस रोग के कारणों का पता लगाने का अनुरोध करूंगा। मंत्री महोदय को बड़े, छोटे, मध्यम दर्जे तथा हर प्रकार के औद्योगिक गृहों को दी गई अस्वाभाविक औद्योगिक छूटों की जांच के लिये एक आयोग का गठन करना चाहिये।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैंने यह आश्वासन दिया है कि मूल क्षमता को ध्यान में रखा जायेगा। उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी किये गये किसी भी पंजीकृत प्रमाण पत्र में उत्पादन क्षमता का निर्धारण करने में केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अन्तर्गत किये गये पंजीकरण के अभ्यावेदन में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम की निर्धारित क्षमता को ध्यान में रखेगी। अतः उसे भी शामिल किया गया है। यदि एक बार क्षमता निर्धारित हो जाती है, तो उससे और अधिक विस्तार का प्रश्न नहीं उठता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 5 दिसम्बर, 1973/14 अग्रहायण, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, December 5, 1973/Agrahayana 14, 1895 (Saka).

MGIPNLK—2/Lok Sabha/74—6-4-74—490 Copies.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]